इतिहास प्रसिद्ध मांडू और बाघ गुफाओं को छोड़ दें तो मालवा के धार अंचल में शेष रह ही क्या जाता है। वही शताब्दियों से जंगलों और पहाड़ों में कुर्राटियां भरने वाले आदिवासी, अभावों और कष्टों से जूझने वाले वनवासी और अपने छोटे-छोटे 'सुख' पर स्वयं ही मुग्ध रहने वाले आदिम अंचल के लोग। अभी भी इनका जीवन बदला नहीं है, यद्यपि बराबर प्रयास होते हैं, प्रयास अभी भी जारी हैं।

कहते हैं, आदिवासी अंचल में बदलाव की प्रक्रिया तभी तेज हो सकती है जब क्षेत्र का औद्योगीकरण हो। मध्य प्रदेश में भिलाई इसका एक जीवन्त उदाहरण है जो आदिम समाज व्यवस्था से एक औद्योगिक समाज व्यवस्था में देखते-देखते प्रवेश कर गया। शायद यही वह कारण है जो मध्य प्रदेश के औद्योगीकरण के रथ के पहियों को गति दे रहा है।

मध्य प्रदेश में भिलाई, भोपाल, इन्दौर, देवास में औद्योगिक विकास के बाद अब नया क्षेत्र सामने आना प्रस्तावित है और वह है आदिवासी अंचल धार का गवला-प्रीथमपुर औद्योगिक संस्थान। और जिस दिन यह प्रोजेक्ट पूर्ण होगा उस दिन यह समूचा अंचल विकास की लय ताल पर थिरक उठेगा।

यह अंचल धार जिले के नालछा विकास खंड के गवला गांव से महूनीमच रोड पर प्रीथमपुर गांव तक फैला हुआ है। एक हजार एकड़ का यह विशाल क्षेत्र न केवल मालवाअंचल के लिए, बल्कि भविष्य में धार से झाबुआ की सीमा पर स्थित मेघनगर तक के क्षेत्र में उद्योगों के फैलाव में महत्वपूर्ण आधारशिला का काम करेगा, क्योंकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक मार्गों से जुड़ा होने के कारण एक ओर इन्दौर-दिल्ली से, दूसरी तरफ अहमदाबाद-गुजरात से और तीसरी तरफ बम्बई-महाराष्ट्र से सीधे संपर्क में आ जाता है तथा इन्दौर से केवल 18 किलोमीटर दूर होने से ब्राड और मीटर गेज रेलवे सुविधाएं तथा विमान सेवाएं भी इन उद्योगों को उपलब्ध रहेंगी। साथ ही, खंडवा दोहद रेलवे लाइन के इसी क्षेत्र से गुजरने की भी संभावना है। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए के आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और संभावना यह है कि यातायात आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण करोड़ों रुपये के उद्योग यहां स्थापित हो सकेंगे।

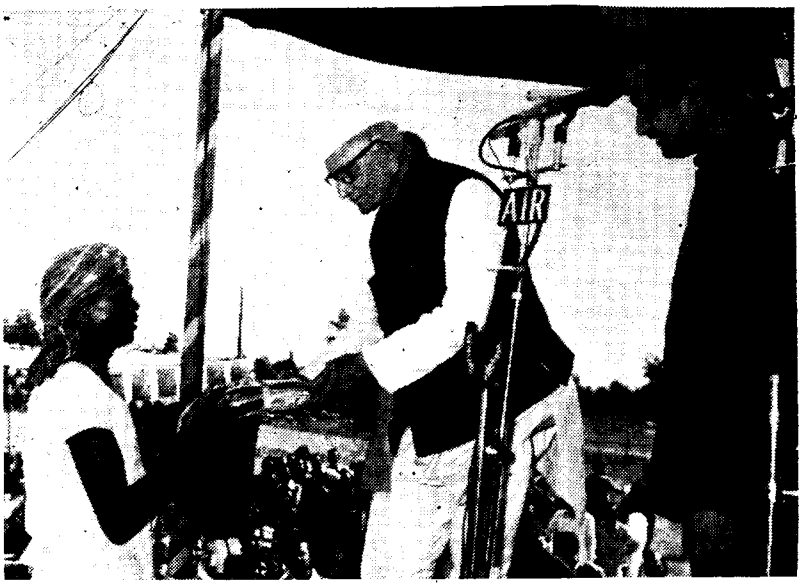

प्रधान मंत्री बस्तर के आदिवासियों को भूमि पट्टे देते हुए।

धार के जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की नई लहर

श्याम व्यास

यद्यपि धार जिला प्रशासन द्वारा "पिछड़ा जिला" घोषित किया गया है, और उसके तीन विकास खण्ड नालछा, धार तथा बदनावर औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र भी घोषित कर दिए गए हैं, फिर भी, इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पिछले एक वर्ष में खास तौर से अध्ययन किया गया और अन्त में एक विशाल औद्योगिक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

अध्ययन के फलस्वरूप यह विदित हुआ कि इस क्षेत्र के औद्योगीकरण नहीं होने के मुख्य कारण दो ही हैं—औद्योगिक दृष्टि से आवागमन का अभाव तथा स्थानीय उद्यमियों का अभाव।

इन दोनों संदर्भों को देखते हुए यह तय किया गया कि नालछा विकास खण्ड का वह क्षेत्र औद्योगीकरण के लिए चुना जाए जो कि राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक राजमार्गों से जुड़ा हुआ हो तथा धार और इन्दौर शहर से दूर भी नहीं हो। अतः निर्णय लिया गया है कि नालछा विकास खंड का वह भाग जो एक तरफ इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर गवला गांव से प्रारंभ होता है और दूसरी ओर आगरा-बम्बई मार्ग पर महू से जुड़ता है और महू से नीमच मार्ग पर प्रीथमपुर गांव से लगा हुआ है इस विकोण को विकसित किया जाए। ग्राम गवला इन्दौर-अहमदाबाद मार्ग पर इन्दौर से लगभग 18 किलोमीटर दूर पर पक्की सड़क पर है इस प्रकार इस क्षेत्र के उद्योग एक तरफ इन्दौर दिल्ली, दूसरी तरफ अहमदाबाद गुजरात और तीसरी तरफ बम्बई-महाराष्ट्र से सीधे सम्पर्क में आ जाते हैं।

इस योजना को तीन चरणों में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

पहले चरण में ग्राम गवला के निकट 15 एकड़ भूमि अतिरिक्त उपलब्ध करा ली गई है और उसमें 28 प्लाट्स भी काट लिये गये हैं। 10 एकड़ और भूमि राजस्व विभाग से निकट भविष्य में हस्तांतरित करवा ली जायेगी। अभी तक 4 इकाइयों को भूमि-आबंटन के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

ए ए सी एवं ए सी एस और कन्डक्टर्स,
टीन कन्टेनर्स,
सोडियम मेटल एवं ब्लीचिंग पाउडर
प्रापरजी एल्यूमीनियम रिड्रा राड्स।

उद्योगों में लगभग 35 लाख की पूंजी नियोजित की जा रही है और प्रारंभ में 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की

[शेष आवरण पृष्ठ 3 पर]

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : कु० शशि चावला
मोहन चन्द्र भट्टन

आवरण पृष्ठ : जीवन अडालजा

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 — ज्येष्ठ-आषाढ़-1901 — अंक 8

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

धार के जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की नई लहर — आवरण 2
श्याम व्यास

भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश — 2
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

मध्य प्रदेश की धरती पर सस्ते मकानों का सपना — 4
राजेन्द्र धारकर

सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नया कदम — 7
काम के बदले अनाज : विकास की दिशा में नई क्रान्ति — 9
जयकृष्ण गौड़

कोई कंठ रहे न प्यासा — 12
जगन्नाथ शास्त्री

मध्य प्रदेश म अन्त्योदय: आदिवासी कल्याण की दिशा में नया कदम — 14
क्षितीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

मध्य प्रदेश के वन और वन्य पशु-सम्पदा — 16
डा० राम गोपाल चतुर्वेदी

मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव — 18
देव कृष्ण व्यास

बैलाडीला के खनिज भण्डारों में एक दिन — 20
रामचन्द्र तिवारी

हरी-भरी झूमती फसलें — 24
खेत-खेत जल से आप्लावित हो, मेंड़-मेंड़ हरियाली छाये — 26
विकास हो रहा है पर जनसंख्या वृद्धि उसे लीलती जा रही है — 28
शिव कुमार कौशिक

मध्य प्रदेश में सहकारिता का प्रसार — 31
पहला सुख निरोगी काया — 34
साहित्य समीक्षा — 35

भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

जिस प्रदेश को उत्तर में यमुना नदी छूती हो और दक्षिण में जो कृष्णा नदी तक फैला हो, पश्चिम में जिसकी सीमाएं अरब सागर तटीय गुजरात को छूती हों और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तटीय उड़ीसा को, उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। वास्तव में इसे मध्यदेश कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि यह न केवल भारत के मध्य में स्थित है बल्कि इसका आकार प्रकार भी एक देश के ही समान है। इसका कुल क्षेत्रफल 442841 वर्ग किलोमीटर है और पिछली जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या 41654119 थी। कहने को तो यह भारत के नए प्रान्तों में है। इसका जन्म 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था परन्तु वस्तुतः यह भारत का प्राचीनतम भाग है। इसमें फैला हुआ विन्ध्याचल पर्वत संसार का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है और इसी की छाया में जो देश बना उसे देश ही नहीं एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई और कहा गया कि वह क्षेत्र गोंडवाना लैण्ड था जो बाद में कटकर अफ्रीका और एशिया के रूप में बंट गया। उस समय तक हिमालय का उदय नहीं हुआ था और विन्ध्याचल के उत्तर में जहां आजकल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और बंगाल हैं, एक विशाल समुद्र लहराता था। विन्ध्याचल के मूल निवासी गौंडों को लेकर भूगोल शास्त्रियों ने या यों कहिए कि भूगर्भ शास्त्रियों ने इस क्षेत्र का नाम गोंडवाना लैंड महाद्वीप रखा।

मध्य प्रदेश इस समय महाद्वीप तो नहीं है पर महाराज्य अवश्य है। इसमें विन्ध्यप्रदेश विलीन हुआ, मध्यभारत विलीन हुआ, भोपाल विलीन हुआ, छत्तीसगढ़ विलीन हुआ, पूर्वांचल के सरगुजा जैसे बड़े राज्य विलीन हुए और दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश से लगे हुए निमांण तथा विदर्भ के अनेक जिले विलीन हुए। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश एक छोटा भारत

है। यहां पर [illegible] बोली जाती है, बुंदेलखण्डी बोली जाती है, निमाणी बोली जाती है, बघेलखण्डी बोली जाती है, आदिवासियों की विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वे भीली ही हों, मुण्डा हों, या मारिया। मध्य प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित भाग है। यहां पर देश की संस्कृति भी, प्रकृति भी अपनी अपूर्व छटा दिखाती है। इस राज्य में 45 जिले हैं और केवल 56 प्रतिशत भूमि ही जुताई के काम में आती है। सिंचाई की यहां कमी है और कुल जुती हुई भूमि का मुश्किल से 10 प्रतिशत सींच के अन्तर्गत होगा। राज्य में 2/5 भाग में वन हैं जो भारत के वनों का एक चौथाई होता है। अगर हम जनसंख्या से कल्पना करें तो पता लगेगा कि वन-सम्पदा में मध्य प्रदेश कितना सम्पन्न है। यहां पर प्रति हजार व्यक्ति 1660 एकड़ भूमि में वन हैं जबकि महाराष्ट्र में यह अनुपात 370, तमिलनाडु में 170, और उत्तर प्रदेश में 150 ही रह जाता है और ये वन भी मामूली नहीं हैं। इनमें 14000 वर्ग मील में केवल सागौन यानी टीक के मैदान हैं। 16000 वर्ग मील में साल के वन हैं जो बहुमूल्य हैं। और भी बेकार की लकड़ी यहां पर जीवनदान देती हैं। बुंदेलखण्ड में जो महुआ होता है उसकी उपज के बारे में कहावत थी 'महुआ मेवा बेर गुलगुला गुलगिच बड़ी मिठाई' आज भी बसन्त ऋतु में मध्य प्रदेश पलाश के लाल-लाल फूलों से उसी तरह लाल दिखाई देता है जैसा राजशेखर को या वाण को दिखाई दिया था। आज भी पूर्वकाल के दशार्ण देश में जामुनों के गिरने से धरती बैंजनी हो जाती है और इस भूमि में आपको आम मिलेगा, अमरूद मिलेगा, सन्तरा मिलेगा और भांति-भांति के फल मिलेंगे।

जिस समय महर्षि भारद्वाज ने राजा राम को या यों कहिए कि बनवासी राम को यह सलाह दी थी कि उनके रहने के लिए चित्रकूट उपयुक्त स्थान है तो ठीक ही कहा था। चित्रकूट में मन्दाकिनी आज भी मन्द-मन्द बहती है। गुफाओं से गोदावरी निकलती है जो गुप्त गोदावरी कही जाती है। खुली गोदावरी तो नासिक के पास त्रयम्बकेश्वर के निकट सैह्याद्रि पर्वत पर एक प्रपात के रूप में निकलती है। चित्रकूट आज भी अपनी मनोहरता में कम नहीं हुआ है और जब तक राम और सीता 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे उन्हें कोई खतरा भी नहीं पैदा हुआ। आज भी मध्य प्रदेश अनेक तीर्थों का स्थान है। यहां पर अमरकंटक है जहां से नर्मदा निकलती है और जबलपुर, होशंगाबाद ओंकारेश्वर, महेश्वर तथा सहस्र धारां को छूती हुई अरब सागर में मिलने चली जाती है। नर्मदा के दर्शनमात्र से पुण्य प्राप्त होता है लेकिन मध्य प्रदेश में केवल नर्मदा ही सुन्दर नदी नहीं है। यह बड़ी प्राचीन नदी है, इसका एक नाम रेवा भी है और आज भी फीजी में जो 12 हजार मील दूर है यहां के निवासी कभी गए होंगे और उन्होंने भी अपनी सबसे बड़ी नदी का नाम रेवा रखा है। फिर यहां पर क्षिप्रा भी है जो देखने में छोटी परन्तु गति में भयंकर है और इसीलिए इस क्षिप्रा के तट पर महाकाल की राजधानी उज्जयिनी या उज्जैन है जो इसलिए और भी पवित्र हो गई कि ब्रह्मा ने यहां पर अमृत कुंभ रखा था जिसकी स्मृति में यहां पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ होता है। पर ऐसा नहीं है कि यहां पर छोटी-मोटी नदियां ही बहती हों। यहां पर भांति-भांति की नदियां हैं। परन्तु महानदी भी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है पर जिसकी घाटी में बसा हुआ छत्तीसगढ़ चावल की खान कहा जाता है।

खानों की यहां कमी नहीं, हीरा से लेकर कोयला तक यहां पर पैदा होता है। हीरा की खान पन्ना जिले में हैं जो देश में सबसे बड़ी हीरे की खान है। सीधी जिले में सिंगरौली है जो संसार में कोयले की सबसे मोटी परतों में से है। यहां पर बैलाडीला की खानें हैं जिनसे आप किसी मात्रा में लोहा निकाल सकते हैं, कोई अन्त नहीं है। सिंगरौली से लेकर चिरमिरी तक कोयला ही कोयला है और बाक्साइट, तांबा तथा अन्य बहुमूल्य खनिज जैसे अभ्रक यहां पर मिलते हैं।

अगर मध्य प्रदेश में यह सब कुछ भी न होता तो भी केवल इतिहास और पुरातत्व के बल पर यह राज्य पर्यटन के लिए प्रसिद्ध रहता है। आखिर को यहां पर खजुराहो के प्रसिद्ध मन्दिर हैं जिनको देखने के लिए सारे संसार से यात्री सारे वर्ष आते रहते हैं। यहां पर ग्वालियर का किला है। गूजरी महल है, सास-बहू का मन्दिर है, जो यह घोषित करता है कि यह प्राचीन दुर्ग केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सौन्दर्य, कला और संगीत का भी केन्द्र रहा है। यहां पर विदिशा है जहां के नगरसेठ की कन्या को राजकुमार अशोक ने वरण किया था और बाद में उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका भेज दिया था। विदिशा के पास जो पहाड़ियां हैं और उनमें जो सुन्दर मूर्तियां हैं जिन्हें उदयगिरि की गुफाएं कहा जाता है उनका जिक्र कालिदास ने किया था। पास ही में उदयेश्वर का मन्दिर है जो आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनाया गया था और अपनी कलाकृतियों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। विदिशा में हैलियो डोरस नामक एक यूनानी राजदूत ने विष्णु की पूजा के लिए गरुड़स्तम्भ की स्थापना की थी जो आज भी विद्यमान है और इस बात का संकेत देता है कि विदिशा किसी समय कितना सम्पन्न राज्य था कि यहां पर यूनानी राजदूत रहते थे। अगर नर्मदा अपने दर्शनों के लिए प्रसिद्ध है तो यहां पर एक और नदी भी बहती है बेतवा या बेत्रवती जिसके किनारे यह प्राचीन विदिशा नदी बसी है। बेत्रवती की विशेषता यह है कि जहां पर यह गई है इसने महत्वपूर्ण कलाकृतियों को जन्म दिया। बेतवा के स्रोत के पास ही भोजपुर है जहां का साढ़े साल फुट ऊंचा और साढ़े सत्रह फुट के घेरे में बना शिवलिंग भोजपुर को उत्तर का सोमनाथ बताता है। रास्ते में सांची पड़ता है। जहां के स्तूप सारिपुत्र और मोग्गलायन जैसे भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों के अवशेष अपने तीन स्तूपों में रखे हुए हैं और ये तीनों स्तूप संसार के बौद्धों के लिए पवित्र तीर्थ हैं। इनके तोरण आकर्षण के केन्द्र हैं, उनके नमूने पर बने हुए तोरण जापान के कामाकुरा या नारा के प्रसिद्ध मन्दिरों में देखे जा सकते हैं। छतीसगढ़ भी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर के बेढ़ाघाट के सौन्दर्य से लेकर कलचुरी राजाओं की राजधानी त्रिपुरी और छतीसगढ़ के राजाओं की प्राचीन राजधानी रतनपुर और सिरपुर आज भी अपने प्राचीन गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं।

और क्या कहा जाए उस उज्जैन का जहां विक्रमादित्य राज्य करता था। जिसकी कथाएं सारे संसार में फैली हुई हैं। क्या चर्चा करें उस धार की जहां का सरस्वती मन्दिर राजाभोज के प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा कलाप्रेम का परिचय देता है और कौन ऐसा नहीं है जिसकी आकांक्षा माण्डों में शाम बिताने की न रही हो। जहां रूपमती और बाजबहादुर की प्रेम कथा पत्थरों में लिखी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मध्य प्रदेश की धरती पर

सस्ते मकानों का सपना

राजेन्द्र धारकर, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण.

पिछले दो दशकों में मध्यप्रदेश की शहरी आबादी में आशातीत वृद्धि हुई है । यह वृद्धि दूसरे राज्यों की समान और औसत वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है। 1951-61 के दशक में आबादी की वृद्धि का 47.7 प्रतिशत रहा, है जबकि 1961–71 के दशक में 46.6 प्रतिशत । शहरी आबादी की विषमता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि शहरी-क्षेत्रों में प्रतिवर्ग किलो-मीटर आबादी का घनत्व 2378 व्यक्ति है, जबकि ग्रामीण-क्षेत्रों में प्रतिवर्ग किलो मीटर यह घनत्व केवल 73 व्यक्ति आता है। रोजगार की तलाश और चमक-दमक भरी जिन्दगी के मोह ने ग्रामीण-क्षेत्रों की भीड़ को बेतहाशा शहरों म उड़ेलना शुरू कर दिया है जिसका नतीजा है, शहरों में गन्दी बस्तियों और पर्यावरण की समस्याओं का फैलाव ।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद के वर्षों में आवास-निर्माण को दोयम दर्जे का काम और गैर-उत्पादक विनियोजन माना जाता रहा है, लेकिन समस्या की भीषणता से धीरे-धीरे योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और समस्या को बुनियादी आवश्यकताओं का दर्जा देते हुए उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यक आर्थिक प्रावधान किए गए हालांकि वे अपर्याप्त प्रमाणित हुए ।

लागत और भुगतान की खाई

एक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश में लगभग 30 लाख मकानों की कमी है । यह कमी शहरी-क्षेत्रों में 10 लाख और ग्रामीण-क्षेत्रों में 20 लाख है । आवास-समस्या को हल करने के लिए प्रदेश में शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तथा व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए गए है, लेकिन अन्ततोगत्वा समस्या की विशाल व्यापकता की तुलना में वे सभी बौने साबित हुए हैं । विडम्बना तो यह हुई है कि सीमित साधनों के अन्तर्गत किए गए इन प्रयासों का लाभ भी आम-जनता तक अपेक्षित रूप में नहीं पहुंच सका है । इसका कारण है मकानों की निर्माण-लागत और आम आदमी की आर्थिक भुगतान-क्षमता के बीच की खाई । हाल ही विश्व-बैंक के एक विशेषज्ञ दल ने अपनी सर्वेक्षण-रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया था कि आवास-समस्या के इन दो विपरीत छोरों को एक ही परिधि में लाना अत्यावश्यक है ।

आवास-नीति

नई आवास नीति के अन्तर्गत शासन की यह मंशा है कि आवास-योजनाओं का अधिकतम लाभ समाज के आर्थिक रूप से दलित वर्ग और अल्प आय वर्ग के लोगों को प्राप्त हो । उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत मकान बनाने का इरादा अब शासन नहीं रखता । यह तय किया गया है कि कुल आर्थिक प्रावधानों की 85 प्रतिशत धनराशि आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग पर खर्च की जाए और शेष मध्यम आय वर्ग के आवास गृहों और अन्य व्यावसायिक निर्माण कार्यों पर । विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित आवास-गृहों की लागत के संबंध में केन्द्रीय आवास एवं निर्माण मंत्रालय के ताजा निर्देश हैं कि ई० डब्ल्यू० एस०, एल० आई० जी० और एम० आई० जी० भवनों की कीमत क्रमशः किसी भी रूप म, 8, 18 और 25 से 42 हजार रुपये से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए ताकि वे लोगों की आर्थिक पहुंच के भीतर उपलब्ध हो सकें । कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास-निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्पष्ट निर्देश छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में भी किया गया जिसमें शहरी-क्षेत्रों में आवास निर्माण और गुणात्मक सुविधाओं के लिए 30.00 करोड़ तथा ग्रामीण-क्षेत्रों के लिए 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके विपरीत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी-क्षेत्रों के निर्माण के लिए केवल 12.38 रुपये करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से अभी 9.08 करोड़ रुपये ही वास्तविक रूप में खर्च किए जा सके । निर्माण-कार्यों के लिए शासकीय स्रोत ही पर्याप्त नहीं होते बल्कि इसके लिए जीवन बीमा निगम, आवास एवं नगर विकास निगम और ऋण-पत्रों से प्राप्त निधियों का उपयोग भी किया जाता है ।

मेटेरियल-बैंक

मकानों की निर्माण लागत बढ़ाने के लिए प्रदेश में पहला कारगर कदम "मेटेरियल-बैंक" की स्थापना के रूप में उठाया गया है । मध्यप्रदेश में यह अपने ढंग की अभिनव पहल है । इस बैंक की स्थापना का मूलभूत लक्ष्य है, उचित एवं सस्ती दर निर्माण-सामग्री का उत्पादन कर उसे उपलब्ध कराना तथा निर्माण-सामग्री उत्पादनकर्ता और आवास-निर्माता के बीच मध्यस्थ के व्यावसायिक-लाभ को शून्य करना । यह बैंक परम्परागत निर्माण-सामग्री के स्थान पर नई, परिशोधित वैकल्पिक और स्थानीय रूप से प्राप्त निर्माण सामग्री के प्रयोग पर बल देगा । इसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में 9 फैक्ट्रियां आवास एवं नगर विकास निगम के सहयोग से स्थापित की जा रही हैं । इंदौर में ईंटों का प्लांट, जबलपुर में वूड-वर्किंग प्लांट और रायपुर में हाईड्रेटेड-लाईम प्लान्ट पहले से ही कार्यरत हैं एवं अन्य फैक्ट्रियों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । इटारसी में हाईड्रेटेड-लाईम फेक्ट्री अक्तूबर म उत्पादन आरंभ कर देगी । हाईड्रेटेड-लाईम दिनों-दिन दुलर्भ होता जा रहा है, जो सीमेंट का विकल्प है । इससे सीमेंट की

कमी पूर्ति होगी और लगभग 10 प्रतिशत खर्च कम आयेगा। दुर्ग म "टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट" शूरू हो रहा है, जो लकड़ियों की चौखटें,दरवाजे ,खिड़कियां आदि तैयार करेगा आगामी कुछ ही महीनों में ये फैक्टरियां पूर्ण क्षमता में उत्पादन आरम्भ कर देंगी। इनके उत्पादन का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों के अलावा निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों को भी मिलेगा।

साईट एवं सर्विस स्कीम

लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन की व्यग्रता और चिंता का पता इसी से चलता है कि गृह निर्माण मंडल से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 16 करोड़ रुपये का विशाल एवं महत्वकांक्षी आवास-कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका अधिकतम प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और दलित वर्ग के लिए सुरक्षित है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से "साइट एवं सर्विस स्कीम" (स्थल एवं सेवा योजना) को आरम्भ किया गया है। आवास की दुनियां में यह नई योजना प्रतिष्ठित हुई है और दक्षिण-पूर्वी एशिया के लगभग 10 देशों में यह सक्रिय है, इसका लक्ष्य है, शहरों में उमड़ती हुई गरीब आबादी को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर" संरचना आधार की सभी विकसित सुविधाओं के साथ आसान किस्तों में आवास-स्थल उपलब्ध कराना, जिससे वह गन्दी बस्तियों की बुराइयों से दूर रह कर स्वास्थ्यप्रद पर्यावरणीय स्थितियों में जीवन-यापन कर सकें। अपनी आर्थिक सुविधाओं के अनुसार इन स्थलों पर कच्चा या पक्का निर्माण-कार्य किया जा सकता है। यथासंभव ये आवास-स्थल लोगों के कार्य-स्थलों के निकट ही रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में 258.77 लाख रुपए की लागत से कुल 13282 आवासीय-स्थल विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें 11,156 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 1729 अल्प आय वर्ग तथा शेष 397 मध्यम आय वर्ग तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हैं। 4 शहरों में कार्यान्वित की जा रही 7 परियोजनाओं के अन्तर्गत भोपाल में ई० डब्ल्यू० एस० के 5850, एल० आई० जी० 933 भिलाई में ई० डब्ल्यू० एस० 3233, एल०आई० जी० 65, एम० आई०जी० 77 और ग्वालियर में ई० डब्ल्यू० एस० 540, एल० आई० जी० 62 और एम० आई० जी० 10 आवासीय स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना में आवंटियों से लगभग 500 रुपये प्रारंभिक रूप में लिए जाएंगे तथा शेष राशि 10 से 15 रुपए की आसान किश्तों में 20 वर्ष की अवधि में देय होगी।

इसी योजना के अन्तर्गत एक और विशाल परियोजना "आवास एवं नगर विकास निगम" के आर्थिक सहयोग हेतु विचारार्थ प्रस्तुत की जानी है जिसके अन्तर्गत 657.30 लाख रुपये की लागत से प्रदेश में 46,987 आवासीय स्थल विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत प्रदेश के 6 नगरों इन्दौर, उज्जैन, रायपुर, रीवां, सतना और ग्वालियर में 42073 ई० डब्ल्यू० एस० 3095 एल० आई० जी० और 1819 एम० आई० जी० एवं व्यावसायिक भूखण्ड विकसित किए जाएंगे।

विभिन्न योजनाएं

इसके साथ ही "हुडको" (आवास एवं नगर विकास निगम) के वित्तीय सहयोग के लिए 4883 आवास गृहों के निर्माण की विभिन्न योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें भोपाल, देवास, रतलाम, दुर्ग और रायपुर में 204.77 लाख रुपए की लागत से 3906 ई० डब्ल्यू० एस०, 962 अल्प आय वर्गीय और 15 मध्यम आय वर्गीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग 331.03 लाख रु० की लागत की निर्माण योजनाएं तैयारी के स्तर पर हैं। इनमें कुल 2772 आवास गृहों में 1294 ई० डब्ल्यू० एस० 1231 एल० आई० जी० और 247 एम० आई० जी० आवास गृह हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत धार में 190 ई० डब्ल्यू० एस० 251 एल० आई० जी० 44 एम० आई० जी० मन्दसौर में 95 ई० डब्ल्यू० एच०, 125 एल० आई० जी०, 22 एम० आई० जी० रतलाम में 400 ई० डब्ल्यू० एस०, 300 एल० आई० जी०, 100 एम० आई० जी०, देवास में 109 ई० डब्ल्यू० एस०, 485 एल० आई० जी० और 81 एम० आई० आई० जी०; राजनांदगांव में 200 ई० डब्ल्यू० एस० तथा भिलाई में 300 ई० डब्ल्यू० एस०, 70 एल० आई० जी० आवास गृहों का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।

स्केलेटन भवन

सस्ते आवास गृहों की श्रृंखला में "स्केलेटन भवनों" का जिक्र भी उल्लेखनीय है। इस योजना में पक्का चबूतरा और ब्रिक मेसनरी के पक्के कालमों, प्रिकास्ट आर2 सी० सी० पोटल फ्रेम और पक्की दीवार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार टीन चादरों या लकड़ी के पट्टों की दीवारें सठाई जा सकती हैं। इसका लाभ झोपड़ी-झुग्गी वासी आसानी से उठा सकते हैं जिनकी भुगतान क्षमता न्यूनतम होती है। इस प्रकार से ढांचा भवन की लागत विकसित भूखण्ड सहित 2500 रु० आती है। इसमें इच्छुक व्यक्ति को दो सौ रुपए प्रारंभ में जमा करना होते हैं तथा शेष कीमत 6 रुपए प्रति माह की किस्तों के आधार पर 20 वर्ष की अवधि में चुकाई जा सकती है। भोपाल में लगभग 600 स्केलेटन भवन तैयार किए गए हैं और लगभग 2900 भवनों की योजना हुडको की स्वीकृति हेतु भजी गई है। पिछले वर्ष दिसम्बर में भोपाल आगमन के समय विश्व-बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने इस योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और खास-तौर से इसके "सैल्फ-हैल्प" वाले पहलू पर सराहनीय रूप अख्तियार किया गया था। यही नहीं, शासन ने प्रदेश के शहरों में गन्दी बस्तियों और पर्यावरण सुधार के लिए इस वर्ष 50 लाख रुपय का प्रावधान किया है। ये बस्तियां हटाई नहीं जाएंगी, बल्कि यथा स्थान सुधारी जाएंगी।

ग्रामीण आवास योजनाएं

मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण है। 4 करोड़ 17 लाख की कुल आबादी में 3 करोड़ 49 लाख आबादी ग्रामीण है जो 77 हजार गांवों में निवास करती है। प्रदेश में कोई भी योजना उस समय तक सार्थक नहीं कही जा सकती, जब तक कि उसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में न किया जाए। इसलिए राज्य शासन ने अब ग्रामीण गृह निर्माण की ओर भी ध्यान केन्द्रित किया है। इसके लिए राज्य के बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गृह निर्माण मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के जरिए संभावनाओं की खोज कर रहा है। योजना के प्रारंभिक क्रियान्वयन के लिए कार्यपालन यंत्री, के स्तर का एक "सेल" कायम किया गया

है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मकान बनाने के लिए "डिमांस्ट्रेशन-प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत विश्वकर्मा महाविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर गुजरात के ग्रामीण गृह निर्माण खण्ड के तत्वावधान में राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के वित्तीय सहयोग से मकानों का निर्माण कराया गया है। इनकी कुर्सी 250 वर्ग फीट है, जिसकी कीमत 4 हजार रुपए है। निर्माण लागत को कम करने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया गया है और ब्लैक काटन भूमि में अण्डर रीमिंग पाइल" के स्थान पर "रेती के भराव" का प्रयोग किया गया है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो ग्रामीण गृह निर्माण के लिए विपुल संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। संभावनाओं को अधिक विस्तृत करने के लिए गृह निर्माण मंडल आवास एवं नगर विकास निगम द्वारा आयोजित "सस्ती ग्रामीण गृह निर्माण प्रतियोगिता" में भी भाग ले रहा है जिसके लिए मण्डीदीप भोपाल और गौसलपुर (जबलपुर) के लिये दो-दो सौ मकानों की परियोजनाएं प्रविष्टि के रूप में प्रेषित की गई हैं। परियोजना की शर्तों के अनुसार मकान ग्रामीण परिवार की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, जिसकी कीमत भूमि के विकास की लागत को छोड़कर 4 हजार से अधिक नहीं हो। ये मकान 350 रुपये से कम मासिक आमदनी वाले ग्रामीण लोगों को आवंटित किए जाएंगे। इसके पूर्व शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकानों के निर्माण का सर विश्वेसरैया अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार (1976) (हुडको और हरिओम आश्रम नडियाड द्वारा आयोजित) गृह निर्माण मंडल अपनी पद्मनाभ पुरम (दुर्ग) के 200 मकानों की परियोजना के लिए जीत चुका है। इस योजना की विशेषता यह है कि नई और स्थानीय सामग्री तथा उन्नत तकनीक के युक्ति संगत प्रयोग के आधार पर बेहतर मकानों के निर्धारित "स्पेसीफिकेशनों" में काट-छांट किए बगैर 4 हजार से भी कम लागत में ये सुविधा-सम्पन्न आवास गृह बनाए गए। सस्ते मकानों की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतने का प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर रहा है।

लघु आवास प्रतियोगिता

सस्ते मकानों की खोज और निर्माण के स्तर पर विविध प्रयोगों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि गृह निर्माण मंडल के माध्यम से सस्ते आवास निर्माण की एक लघु प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 10 और 5 हजार रुपए के प्रथम और द्वितीय पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता की शर्तों के अनुसार प्रतियोगी को कम से कम 2 मकानों का निर्माण करना होगा, जिसकी कीमत सभी सेवा शुल्कों सहित प्रति मकान 4 हजार रुपए से अधिक नहीं बढ़ सकेगी। प्रतियोगिता में व्यावसायिक आर्कीटैक्ट, कालोनाईजर्स, इन्जीनियर्स एवं निर्माण व्यवसाय से सम्बद्ध अन्य लोग भाग ले सकेंगे। मकानों की वास्तविक लागत का भुगतान मण्डल द्वारा किया जाएगा।

व्यावहारिक रूप से सभी जिला मुख्यालयों पर आवासीय गतिविधियां सक्रिय हैं। इसके अलावा, नीमच, बुरहानपुर, इटारसी, बतुल, खण्डवा, गुना, श्योपुर, मूरैना आदि के लिए भी बड़े पैमाने पर आवास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उपरोक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को आसान किस्तों के आधार पर आवास-गृहों का विक्रय किया जाएगा। ✱

सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश

✱ (पृष्ठ 3 का शेषांश)

हुई है और जहाजमहल तथा अन्य इमारतें दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

ऐसी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश ने जो कुछ किया प्राचीन काल में ही किया हो तभी यहां पर विक्रमादित्य हुए हों, चन्देल निर्माता मदन वर्मा हुए हों, ओरछा नरेश मधुकर शाह, वीरसिंह देव या राजकुमार हरदोल हुए हों या रानी दुर्गावती ने ठीक उसी तरह अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई हो जैसी पड़ौसी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने लगाई थी। यहां पर चम्पतराय और छत्रसाल हुए हों जिनकी प्रशंसा में भूषण ने कहा था--"शिवा को सराहों या सराहों छत्रसाल को" इस वीर राजा ने जिसने जिन्दगी भर औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, भूषण की पालकी को अपने कन्धे पर उठा लिया था। कवियों का सत्कार यहां पर विक्रमादित्य और भोज तक ही सीमित नहीं रहा वैसे यह परम्परा आधुनिक काल तक चली आई है। इस भूमि ने महापुरुषों को जन्म दिया। अमर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, अमर शहीद श्री चन्द्रशेखर आजाद, पं. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री कामता प्रसाद गुरु, श्री पदुमलाल पन्नालाल बक्शी, श्री माधवराव सप्रे, श्री गजानन माधव-मुक्तिबोध जैसी अनेक विभूतियां मध्यप्रदेश को गौरवान्वित करती रहीं। राजा वीरसिंह द्वितीय ने कुण्डेश्वर में वसन्तोत्सव के कवि सम्मेलनों द्वारा ही देश के कवियों को प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि अपने समय का सबसे बड़ा हिन्दी पुरस्कार देव पुरस्कार भी स्थापित किया और कुण्डेश्वर को श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के नेतृत्व में साहित्य और रचनात्मक समाजसेवा का केन्द्र बनाया जिसके प्रतीक स्वरूप गांधी भवन आज भी मध्यप्रदेश का एक प्रसिद्ध रचनात्मक केन्द्र है और टीकमगढ़ जिला हरित क्रान्ति में आगे है।

मध्य प्रदेश में यह सब कुछ है हीरा है, पन्ना है, खनिज हैं, इतिहास है, जल है, वन है पर फिर भी मध्यप्रदेश का निवासी अपने को उपेक्षित और पिछड़ा हुआ समझता है। श्री गोविन्ददास या श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र जैसे लोग भले ही अखिल भारतीय नेता बन गये हों, पर मध्यप्रदेश भरपूर प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी अभाव और बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहां सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। देश के 22 प्रतिशत, और उनकी स्थिति सन्तोष जनक नहीं है। यद्यपि मध्यप्रदेश की बसें देश के प्राय प्रत्येक कोने को छूती हैं परन्तु इतने बड़े राज्य में रेलपथ की कमी है जिससे स्थानीय विकास अवरुद्ध हुआ है। उद्योगों का वहां पर जाल बिछ सकता है। जिस प्रदेश ने चन्देरी और महेश्वर जैसे रेशमी साड़ियों के केन्द्र पैदा किए ये खजुराहों और उदयेश्वर जैसे मन्दिर बनाए जहां का कारीगर चाहे चांदी का काम हो, चाहे सोने का काम हो और चाहे हीरे का अपनी शानी नहीं रखता उस प्रदेश को गरीबी और अभाव से क्यों जूझना पड़े यह विचारणीय है।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नया कदम

ग्राम पंचायतें लोकतन्त्र की रीढ़ हैं । भारत ग्रामों का देश है और गांवों की तरक्की और किसानों व कमजोर वर्गों की खुशाहाली के लिए आवश्यक है कि इन ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाए । राज्य सरकार इस तथ्य से भली भांति परिचित है । फलस्वरूप मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने और उन्हें ग्राम विकास कार्यक्रमों में भागीदारी सौंपने के लिए नई सरकार द्वारा पहली बार अनेक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग को अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के रूप में नया स्वरूप प्रदान कर एक नई चेतना का विस्तार किया जा रहा है ।

नए चुनाव : नया वातावरण

राज्य में पंचायतों तथा जनपदों के मई 1977 तक निर्धारित कार्यकाल पूरा हो जाने पर भी नए चुनाव नहीं कराए गए थे । ऐसी स्थिति में लोगों में ग्राम पंचायतों और उसकी गतिविधियों के प्रति गहरी उदासीनता की भावना का होना सहज स्वाभाविक था । फलतः नई सरकार द्वारा जून 1978 तक प्रदेश की सभी 14,996 ग्राम पंचायतों में नए चुनाव कराए गए । तदन्तर नवम्बर 1978 तक विकास खण्ड स्तरीय जनपद पंचायतों के चुनाव भी पूरे करा लिए गए । ग्राम पंचायतों के इन चुनावों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,76,87,123 थी और उनके द्वारा 70,424 मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। चुनाव के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को कुल 2 लाख 17 हजार 239 वार्डों में विभाजित किया गया था । इनमें सामान्य वार्डों की संख्या 1 लाख 58 हजार 384 थी । शेष वार्डों में 55 हजार 728 वार्ड आदिवासियों तथा 3127 वार्ड हरिजनों के लिए रक्षित थे । सरपंचों के कुल आरक्षित पदों की संख्या 3,900 थी जिसमें 3,095 पद आदिवासियों के लिए आरक्षित थे ।

नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व

ग्राम पंचायतों के चुनावों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसमें मतदाताओं की आय सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई । इससे नई युवा पीढ़ी को ग्राम विकास कार्यों में भागीदारी का अवसर मिला । ये चुनाव सरलीकृत मार्किंग पद्धति से कराए गए । इसकी एक अन्य विशेषता यह भी थी कि पंचायत के सरपंच का चुनाव मतदाताओं द्वारा सीधे कराया गया । साथ ही मतदान के दिन ही मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा की गई । राज्य में पहली बार सरपंचों के पद के लिए हरिजनों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई । इस प्रकार अब जिन पंचायतों में सवर्ण सरपंच चुने गए हैं वहां उप-सरपंच हरिजन या आदिवासी समूह में से ही सरपंच द्वारा नामजद किए गए हैं । नए चुनाव के अन्तर्गत प्रदेश के 459 विकास खण्डों में नई जनपद पंचायतें गठित की गई हैं जबकि इसके पहले राज्य में केवल 390 जनपद पंचायतें गठित की गई थीं । इन जनपद पंचायतों में विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उपसदस्य मनाया गया है। दो महिलाओं के सहयोजन की भी व्यवस्था रखी गई है । क्षेत्र की नगरीय संस्थाओं के सदस्यों ने भी एक प्रतिनिधि चुनकर भेजा है । विकास खण्ड से संबंधित विधायक जनपद पंचायत के सदस्य होंगे लेकिन उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र की केवल एक जनपद पंचायत में मत देने का अधिकार रहेगा । जनपद पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचोंतथा अन्य जनपद सदस्यों द्वारा किसी भी मतदाता में से किया गया है जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा किया गया है । नए प्रावधान के मुताबिक यदि जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद पर सवर्ण निर्वाचित हुए हैं तो उपाध्यक्ष अनिवार्यतः हरिजन या आदिवासियों में से रखा गया है । जनपदों की कार्य सुचारूकता के लिए 7 सशक्त स्थायी समितियां होंगीं जो प्रशासन का कार्य देखेंगी ।

ग्राम सचिवालयों की नई पहल

मध्यप्रदेश में ग्राम सचिवालय के माध्यम से सत्ता के विकेद्रीकरण की जो जन कल्याण कारी पहल की गई है उसकी आज देश के सभी प्रदेशों में सराहना की जा रही है ।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के कुशल नेतृत्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिभाउ जोशी के उचित मार्ग दर्शन से प्रदेश के गांवों में बड़े उत्साह से इन ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 1978—79 में राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक ग्राम सचिवालय भवन का निर्माण किया जाएगा । राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम-सेवक आदि सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय वाले गांवों में ग्राम सचिवालय भवन बनाए जा रहे हैं जिससे ये सभी कर्मचारी एक ही स्थान पर एकत्र होकर सरकारी काम निपटाएं और गांवों के लोगों को उनके पीछे भटकना न पड़े । जिन गांवों में पंचायत भवन हैं वहां उनका विस्तार कर ग्राम सचिवालयों के लिए भवन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहां दोनों ही भवन बनाए जाने हैं वहां कम लागत की डिजाइन का एक ही भवन बनाया जाएगा ताकि दोनों व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर हो जाएं। इस तरह ग्रामीण स्तर की प्रशासकीय व्यवस्था तथा पंचायत

प्रशासन में सरलता से समन्वय संभव होगा. । यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत प्रदेश में लगभग 5,000 ग्रामीण सचिवालय स्थापित किए जाएंगे । वर्तमान में लगभग 2,000 ग्राम सचिवालय अपना कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं ।

साप्ताहिक बैठकें

ग्रामीणों के हित में यह व्यवस्था भी की गई है कि पटवारी, गाम सेवक तथा जिला सहकारी संस्थानों के समिति सेवक सप्ताह में एक दिन जो साप्ताहिक बाजार का दिन होगा, पूरे दिन ग्राम पंचायत भवन में बैठकर शासकीय कार्य करेंगे । राजस्व निरीक्षक, पंचायतों की इन साप्ताहिक बैठकों में माह में कम से कम एक बार अन्य कर्मचारियों के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपस्थित हुआ करेंगे । ये कर्मचारी अपने कार्य-संबंधी मासिक प्रतिवेदन जनपद पंचायत के मार्फत अपने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे । जनपदों द्वारा भी ये सभी प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से हर महीने जिला कलक्टर को भेजे जाएंगे । संभागीय आयुक्त यह निगरानी रखेंगे कि कलक्टर स्तर पर इन प्रतिवेदनों और ग्राम पंचायतों की टिप्पणियों एवं अनुशासन पर ठीक से कार्यवाही हो ।

ग्राम पंचायतों की भागीदारी

ग्राम सचिवालय के सफल संचालन में ग्राम पंचायतों को भी पूरी तरह भागीदार बनाया गया है । ग्राम पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच और पंच इस बातकी निगरानी रखेंगे कि ग्राम सचिवालयों के काम शासकीय अधिकारियों द्वारा ठीक ढंग से संपन्न हो रहे हैं । कार्य के बारे में साप्ताहिक हाजिरी रजिस्टर पर अपनी टीप में वे इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि कार्य सुचारु रूप से हुआ या अमुक-अमुक कर्मचारी के संबंध में अमुक शिकायत है ।

इसके अलावा, गांव के नक्शों, भू-अभिलेखों जमाबन्दी और खसरा की नकल जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्रतिलिपियां पंचायतों के पास रखने तथा उनकी नकलें प्रदान करने का अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपने के बारे में भी शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । चूंकि पंचायतों के अनेक जनोपयोगी और लाभप्रद प्रस्ताव धनाभाव के कारण

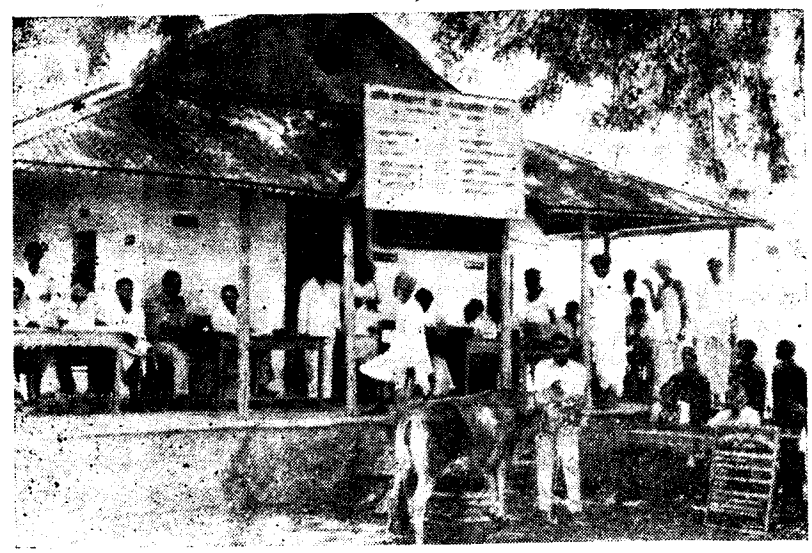

ग्राम सचिवालय भवन

समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पंचायत वित्त निगम गठित कर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी कोशिश की जा रही है । राज्य में संभाग स्तर पर प्रशिक्षण दल कायम किए गए हैं जो विकास खण्डों में जाकर पंचों के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे । इस तरह नव निर्वाचित लगभग सवा दो लाख पंचों और सरपंचों को आगामी 6 माह में पंचायत अधिनियम, आडिट पंचायत प्रशासन तथा ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा । शासन का विचार है कि पंचायतें सहकारी रूप से ऐसे उपयोगी उद्यम हाथ में लें जिनसे उनकी आमदनी बढ़े । प्रयोगात्मक रूप से इस दिशा में उज्जैन संभागीय पंचायत सहकारी मुद्रण संस्था गठित की जा रही है ।

ग्राम विकास की पंचवर्षीय योजनाएं

गांव के सर्वांगीण विकास के लिए अब प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध साधनों के आधार पर पांच वर्षीय निर्माण कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं । वर्ष 1978-79 के निर्माण कार्य पंचायतों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार ही संपन्न कराए जा रहे हैं । इसी प्रकार विकास खण्डों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जन-सहयोग के आधार पर संपन्न होने वाले स्थानीय विकास कार्यक्रमों को भी और अधिक लोकोन्मुख बनाया जा रहा है स्थानीय विकास कार्यक्रमों की सूची को व्यापक बना दिया गया है जिससे अब ग्रामीण विकास से संबंधित प्रायः सभी निर्माण कार्यों का इसमें समावेश हो गया है ।

ग्रामीण रोजगार योजनाएं

गांवों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में वर्ष 1978--79 से ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई है । योजना के तहत 150 विकास खण्डों में पहले वर्ष 1.50 करोड़ रु० खर्च करने का प्रावधान किया गया । इनमें से करीब आधे विकास खण्ड आदिवासी क्षेत्रों के हैं । इनके अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य इस तरह शुरू किए गए हैं ताकि उस इलाके के ग्राम वासियों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मिल सके । वर्ष 1978--79 में 55 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था जबकि लगभग एक लाख लोगों को रोजगार देने में सफलता मिली है । अगले चार वर्षों में पांच लाख से अधिक ग्राम वासियों को अंशकालीन रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

प्रदेश में मार्च 1978 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है । पहले ही माह में प्रदेश ने 10 हजार मीट्रिक टन गेंहूं के केन्द्रीय आवंटन में से 8,780 मैट्रिक टन का उपयोग कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । योजनान्तर्गत लगभग

[शेष पृष्ठ 30 पर]

काम के बदले अनाज :

विकास की दिशा में नई क्रांति

जय कृष्ण गौड़

मजदूरी के लिए अनाज का वितरण

गांवों में कई किसान अनाज देकर सामान खरीदते हैं। बड़े किसानों के यहां जो नौकर रहते हैं उनकी मजदूरी का भुगतान अनाज के द्वारा किए जाने की प्रथा अभी तक चली आ रही है । यहां तक कि कई दुरस्त गांवों में कारीगर, कुम्हार आदि का पारिश्रमिक अनाज के रूप में दिया जाता है । मुद्रा का इतना अधिक प्रसार होने के बावजूद भी गांवों में कृषि उपज के द्वारा व्यवहार होना इस तथ्य को प्रकट करता है कि गांवों में बसे मजदूर, कारीगर को मजदूरी के बदले यदि अनाज दे दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गांवों में बसे लाखों मजदूरों एवं छोटे कारीगरों के समक्ष मुख्य समस्या केवल पेट भरने की है । कहा गया है कि देश अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो गया है और हमारे पास विपुल भण्डार मौजूद हैं । हमारे राजनेताओं ने यह सही सोचा है कि अनाज से गांव के मजदूरों को काम देकर उनकी पेट की ज्वाला शांत की जा सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि कृषि प्रधान देश में अनाज के द्वारा देश की तस्वीर को बदला जा सकता है । शायद इसी परिवेश में "काम के बदले अनाज" योजना प्रारंभ की गई है ।

इस योजना को अप्रैल 1977 में "नान प्लान योजना" के रूप में शुरु किया गया था। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । योजना का मूल उद्देश्य सरकार द्वारा यह बताया गया कि (1) ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोज़गार तथा अल्प रोज़गार व्यक्तियों (पुरुष एवं महिला) के लिये रोज़गार पैदा करना जिससे उनकी आय में सुधार हो सके (2) स्थायी सामुदायिक परिसम्पतियों का सृजन करना तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना, (3) मानवीय संसाधन के विकास के लिए फालतू खाद्यान्नों का उपयोग । मोटे रूप में सिंचाई कार्य, बाढ़ बचाव, जल निकासी कार्य, जल संरक्षण एवं भूमि को कृषि योग्य बनाना, वन रोपण, सड़कों का निर्माण , पाठशाला भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, ग्रामीण सचिवालय, कुओं आदि का निर्माण इस योजना के तहत किया जाना है ।

कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को कार्यान्वित करने में कठिनाई व्यक्त की थी क्योंकि उनके यहां की ग्रामीण जनता गेहूं का उपयोग करने की आदि नहीं है । इसलिए इस योजना में यह भी प्रावधान रखा गया है कि गेहूं के अलावा, चावल, का भी उपयोग किया जा सकता है । अब पंचायतों के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

130 करोड़ की केन्द्रीय मदद

जनता सरकार ने इस योजना में भरपूर मदद देने का निर्णय लिया है । चालू वर्ष के कार्यक्रम में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए करीब 130 करोड़ रु० की सहायता का प्रावधान रखा है । राज्य सरकार भी इस योजना में सहयोग देगी, इसलिए कुल निवेश 200 करोड़ रुपयों से अधिक हो जाएगा । केन्द्र सरकार की रपट के अनुसार इस योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1977-78 में इस योजना को असम, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, की सरकारों ने कार्यान्वित किया है । सन् 1978-79 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, एवं मिजोरम में भी इस योजना पर अमल किया गया है ।

मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 'काम के बदले अनाज' योजना को अधिक प्रभावी और कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है । पंचायतों के माध्यम से पिछले वर्ष सन् 1978-79 में करीब 24 करोड़ रु० के निर्माण कार्य किये गए और गत वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 18 करोड़ का गेहूं तथा चावल दिया गया । प्रदेश में चाहे महिला हो या पुरुष उसे इस योजना के तहत एक दिन की मजदूरी तीन किलो गेहूं और 70 पैसे नकद दिये जाते हैं । मध्य प्रदेश में मार्च, 78 के तीन सप्ताह में ही करीब एक करोड़ रुपये की पौने नौ हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपयोग किया गया है । ओला वृष्टि के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति से निपटने में यह कार्यक्रम काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

प्रदेश का कायाकल्प

इस कार्यक्रम से प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में इतनी गति आई है कि प्रदेश में करीब 10 हजार निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे ढाई लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। 15 मार्च 1979 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 1978-79 में एक लाख टन अनाज का उपयोग हो चुका है। और प्रदेश सरकार ने 25 हजार मीट्रिक टन गेंहूं की अतिरिक्त मांग की है। कार्यक्रम की उपयोगिता एवं लोकप्रियता के आधार पर मुख्य मंत्री श्री सखलेचा ने गत जनवरी में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिसमें इस कार्यक्रम की भावी योजना पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। इस बैठक को वित्त मंत्री श्री रामहित गुप्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिभाऊ जोशी, राजस्व मंत्री श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा एवं वन मंत्री श्री यशवंतराव मेघवाल ने संबोधित किया था। म० प्र० सरकार का इरादा है कि वर्ष 1979-80 में 30 करोड़ रु० के मूल्य के अनाज की मांग की जाए जिससे विकास कार्यों की गति अधिक तेज की जा सके।

मुख्य मंत्री श्री सखलेचा सहित जनता सरकार के मंत्री एवं विधायक ग्रामीण अंचल में 'काम के बदले अनाज' योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्वयं जाकर अवलोकन कर रहे हैं जिससे यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करने में सहायक हो रहा है। मुख्य मंत्री श्री सखलेचा ने हाल ही में कहा है कि इस योजना के तहत प्रदेश को 16 करोड़ रुपये का गेंहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन्दौर जिले का कीर्तिमान

प्रदेश ग्रामीण विकास के सचिव श्री दत्तात्रय गोविन्द भावे भी ग्रामीण अंचलों में जाकर विकास कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं हाल ही में श्री भावे को इन्दौर जिले के कलेक्टर श्री नरेश नारद ने बताया कि जिले के चारों विकास खंडों में "काम के बदले अनाज" योजना में 398 कि० मी० लम्बी सड़कें करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से बनाने का काम शुरू हो चुका है। करीब 20 लाख की लागत से नए कुओं की मरम्मत का काम भी चल रहा है। स्थानीय विकास कार्यक्रम में भी 9 लाख के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत तीन-चार माह में कई निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश के इन्दौर जिले ने इस योजना को कार्यान्वित करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि राज्य सरकारों द्वारा अब अधिक अनाज की मांग निरंतर की जा रही है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकारों की ओर अधिक मांग स्वीकार करना संभव नहीं है।

"काम के बदले अनाज" योजना के बारे में

राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिभाऊ जोश द्वारा डोंगर गांव में प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन

प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अब ठेकेदारों या बिचौलियों के माध्यम से अनाज नहीं बांटा जाना चाहिये। श्रमिकों को अनाज लेने के लिए कूपन दिए जाएं। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित जिला समितियों में वहां के संसद सदस्यों एवं विधायकों को भी शामिल किया जाना चाहिये। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम की

गांव के श्रमिक क्या सोचते हैं? इस योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की हालत क्या है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं इन्दौर जिले के महू जनपद के युवा अध्यक्ष श्री गोविन्द आर्य के साथ ग्रामीण अंचल में गया। आदिवासी क्षेत्र में कोलामी से ओलामी की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां करीब 500 आदिवासी महिला पुरुष काम कर रहे थे। सड़क का निर्माण बिना किसी तकनीकी मार्ग-दर्शन से किया जा रहा था। आसपास

के गांव के आदिवासी काम कर रहे थे। रामा नामक आदिवासी से मजदूरी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुझे तीन किलो अनाज एवं 70 पैसे एक दिन की मजदूरी के मिलते हैं। अन्य महिला पुरुष श्रमिकों ने भी यही बताया और उन्होंने अनाज खराब मिलने की शिकायत नहीं की। गांवों में महिला पुरुष की मजदूरी में अन्तर रहता है, लेकिन इस कार्यक्रम से महिलाओं को भी पुरुष के समान मजदूरी मिल रही है। आदिवासियों ने अनुभव के आधार पर अच्छी सड़क का निर्माण किया है। इन्होंने लकड़ी की अस्थायी पुलिया का भी निर्माण किया है।

आदिवासी क्षेत्र सुलानिया से शेरपुर जहां ढाई किलो मीटर लम्बी सड़क का निर्माण आदिवासी श्रमिकों द्वारा इस योजना के तहत किया जा रहा है वहां अमरसिंह नानूराम आदि आदिवासियों ने बताया कि इस सड़क के आसपास के 47 गांवों के आदिवासियों को इस सड़क का काम मिलेगा। सभी श्रमिक लगन से सड़क बनाने का काम कर रहे थे।

पूछने पर उन्होंने बताया कि इस सड़क का उपयोग भी हम लोग ही करेंगे। इसलिये गांव वाले श्रमिक लगन से काम कर रहे हैं। एक आदिवासी महिला श्रमिक ने अपनी बोली में कहा कि बारिश में हमें 'गोड़ा गोड़ा' कीचड़ में होकर जाना पड़ता था। अब सड़क बनने से आराम हो जायेगा। फटेहाल आदिवासियों को इससे काफी राहत मिली है कि उनको काम भी मिल रहा है और उनके यहां सड़क भी बन रही है। वहां के सरपंच का कहना है कि हमारे यहां के आदिवासियों को काम के लिये इस वर्ष शहर में नहीं जाना पड़ा है जबकि हर वर्ष सैकड़ों आदिवासी काम की तलाश में बाहर चले जाते थे। यह सब देखकर मुझे लगा कि हमको शहर में अनेक सुविधायें मिलने के बाद भी संतोष नहीं है और यदि इन आदिवासियों के लिये केवल एक पक्का रास्ता बना दिया तो ये काफी खुश दिखाई देते हैं। यह कटु तथ्य कि शहरी असंतोष की परवाह किये बिना यदि ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया तो देश की तस्वीर बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। केवल महू जनपद क्षेत्र में 105 निर्माण कार्य मंजूर हुए हैं जिनसे 28 से अधिक के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस क्षेत्र की एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां निर्माण कार्य न चल रहे हों।

प्रदेश में सड़के, शाला भवन, पंचायत भवन, ग्रामीण सचिवालय, सार्वजनिक शौचालय आदि का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। महू में मुझे जनता पार्टी के नेता श्री भेरुलाल पाटीदार मिल गए, उन्होंने कहा कि हम हर गांव में फ्लश के सार्वजनिक शौचालय बनाने जा रहे हैं जिससे महिलाओं को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इस क्षेत्र के तीन चार गांवों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है। मध्य प्रदेश की यह भी उपलब्धि है कि पंचायत चुनावों में काफी युवक पंच, सरपंच चुनकर आए हैं जो बड़े लगन और तत्परता से विकास कार्यों में रुचि ले रहे हैं। गांवों में ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता भी हैं जो निःस्वार्थ भाव से निर्माण कार्यों की दखरेख कर रहे हैं। यह सब देखकर कहा जा सकता है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों का महायज्ञ चल रहा है। जो भारत को महान बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम साबित हो सकता है।

इस कार्यक्रम के तहत यह शिकायत की जाती है कि मजदूरों को दिये जाने वाला अनाज बाजार में बिक जाता है। ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण किए जाने की भी चर्चा है। यदि क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और अधिकारी इस ओर ध्यान दें तो इन छोटी मोटी शिकायतों का निराकरण सरलता से हो सकता है।

एफ-4, ओल्ड पलासिया,
इन्दौर

1978—79

क्रम सं०	राज्य	आवंटित खाद्यान्न (मे० टन)	कंटित खाद्यान्न (मेट्रिक टन)		उपयोग में लाए खाद्यान्न (मेट्रिक टन)	
			गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	146000	61000	65000	23987-00	249-00
2.	असम	15000	5000	5000	4580.00	—
3.	बिहार	200000	200000	—	85707-70	—
4.	गुजरात	50000	15000	—	8500-00	—
5.	हरियाणा	14000	14000	—	—	—
6.	जम्मू तथा काश्मीर	10000	3000	3000	143-24	6.00
7.	कर्नाटक	50000	7000	8000	626-83	—
8.	केरल	50000	13000	3000	5421.68	—
9.	हिमाचल प्रदेश	3000	15000	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	127000	102000	25000	49897-22	—
11.	महाराष्ट्र	71000	35000	5000	22400-00	—
12.	नागालैंड	3000	750	750	—	—
13.	उड़ीसा	203000	154000	49000	122136-74	11770-80
14.	पंजाब	63000	32000	—	14560-39	—
15.	राजस्थान	261000	261000	—	170020-00	—
16.	त्रिपुरा	10000	6000	2000	4800-00	280
17.	उत्तर प्रदेश	136000	125500	10500	52544-00	—
18.	पश्चिम बंगाल	205000	150000	—	8000-00	—
19.	मिजोरम	1200	1200	—	672-00	—
		1618200	118650	176250	645996-80	12305-80

कोई कंठ रहे न प्यासा

जगन्नाथ शास्त्री

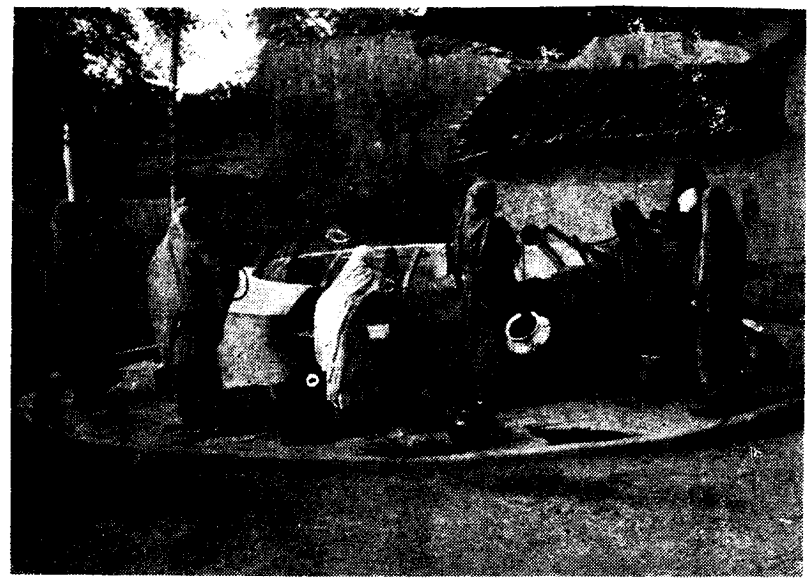

अब इनके लिए पेयजल की समस्या नहीं

पीने का पानी जीवन की सबसे पहली बुनियादी जरूरत है। आजादी मिलने के बाद जब देश के विकास की बात योजनाओं के जरिए सोची गई तब यह निश्चय किया गया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हर एक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। यदि इतना कर लिया गया होता तो यह अपने आप में सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आजादी के 31 वर्ष बीतने पर भी यह समस्या उतनी ही गंभीर बनी रही। जो गांव समूचे देश की अन्न की जरूरत पूरी करते हैं, वहां के लोग पीने के पानी को तरसते रहें और मीलों दूर से नदी नालों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते रहें। गंदा पानी पीने से बीमारियों के शिकार होते रहें सो अलग।

मध्यप्रदेश में भी गांवों में पीने के पानी की समस्या देश के अन्य राज्यों की तरह समस्या ही बनी रही। जनता सरकार ने इस समस्या को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तत्परता से हल करने का दृढ़ संकल्प किया और निर्णय किया कि समस्या के निराकरण के मार्ग में धन की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 77,883 गांव हैं। किन-किन गांवों में पीने के पानी का सवाल है, इसका पता लगाने के लिए गत वर्ष सर्वेक्षण किया गया। गत वर्ष कुल 22,972 गांव पीने के पानी की दृष्टि से समस्यामूलक घोषित किए गए थे, इनमें से 14,789 गांवों में 31 जनवरी, 78 तक मुख्यतः ट्यूबवैलों तथा हैंड पम्पों के जरिए पीने के पानी का इन्तजाम किया जा चुका था, 1977–78 में 3306 गांवों में और 1978–79 में 1460 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई।

देश की तुलना में लगभग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व आधा याने 178 के मुकाबले केवल 94 होने से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जलपूर्ति योजनाएं क्रियान्वित करना मध्य-प्रदेश के लिए आवश्यक हो जाता है। सरकार की मंशा यह है कि पीने की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी को 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े।

इसके अलावा, पीने के पानी का इंतजाम करते समय एक और तथ्य भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। वह यह कि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में 43,473 मजरे या पारे या टोले हैं, जिनमें से आधे मुख्य गांव की आबादी से या तो 1.6 कि० मी० से अधिक दूरी पर हैं अथवा प्राकृतिक रुकावट जैसे पहाड़, नदी बारहमासी नाले आदि के कारण एक दूसरे से अलग हैं। ऐसी जगहों की जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, वहां जलपूर्ति की व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी।

पीने के पानी के सवाल को हल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राज्य के सभी समस्यामूलक गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए करीब 55 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

गांवों की जलपूर्ति योजनाओं के काम में गति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत केन्द्रीय सरकार से जो वित्तीय सहायता मिलेगी, उससे पुराने अधूरे कामों को जल्दी पूरा किया जा सकेगा। वर्ष 1977-78 में 250 लाख रु० की राशि शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर सुलभ कराई गई, जिसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया। वर्ष 1978-79 में इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता 75:25 के अनुपात में रही। फिर भी जलपूर्ति योजनाओं को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है उसकी पूर्ति योजना के मद से संभव नहीं जान पड़ती।

वर्ष 1977-78 में कुल 15.96 करोड़ रु० का प्रावधान था और वर्ष 1978–79 में 21 करोड़ रु० की व्य-

[illegible] 79-80 के चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए 6.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए विशेष योजना के तहत इस वर्ष 50 लाख रुपए प्राप्त होंगे।

पेयजल की सुविधा तेजी से पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी 1978 में ग्रामीण पेयजल की नल योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस योजना का पूरा खर्च अब सरकार देगी। अभी तक पच्चीस प्रतिशत जनता को योगदान करना होता था।

ऐसी योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के अभिप्राय से संभागीय आयुक्तों और जिलाध्यक्षों को दिए गए प्रशासकीय अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई है। इन अधिकारों के तहत संभाग के आयुक्त अब 5 लाख रु० तक और जिलाध्यक्ष 2 लाख रु० तक की योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। बढ़े हुए काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक ढांचों में भी विस्तार किया जा रहा है।

राज्य में पेयजल सुलभ कराने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को और अधिक सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जिले में पेयजल के कुएं खोदने के उपकरण वाहन और अन्य सामग्री की पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और विभाग की संरचना को इस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि प्रत्येक जिले में पेयजल की पूर्ति की योजनाएं तेजी से चलें और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। इसी दृष्टि से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष अब प्रमुख अभियंता होंगे।

प्रशासनिक तंत्र के विस्तार से पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत गति आ जाएगी। विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त कर और अधिक वित्तीय साधन जुटाने के लिए एक योजना भी बनाई जा रही है।

पेयजल समस्या के समाधान की दृष्टि से शासन ने यह निर्णय भी लिया है कि हर गांव में कम से कम एक सार्वजनिक कुएं का निर्माण भी किया जाए। वर्षों के मौसम में इन कुओं को गहरा करने और उन पर बिजली के पम्प लगाने की भी मंजूरी दी गई है ताकि इन कुओं से गांव वालों को गर्मियों में भी पीने का पानी आसानी से मिलता रहे।

शासन ने खुले कुओं की योजना को मंजूर कर लिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को उसकी जरूरत के मुताबिक धनराशि का आवंटन किया गया है। इस योजना में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करने की भी छूट दी गई है।

ग्रामीण अंचलों में खराब हैण्ड पम्पों की देखभाल की जिम्मेदारी का काम राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1978 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इस काम के लिए 60 लाख रु० के सालाना खर्च से आवश्यक कर्मचारी भी स्वीकृत किए गए हैं।

हैंड पम्पों की मरम्मत के काम में गांववालों की दिलचस्पी पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक नई योजना के तहत हैंड पम्पों की देखभाल का काम कोटबार, ग्राम पंचायत सचिव या गांव के ही किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दिया जाएगा। इस काम के लिए उन्हें प्रयोग के रूप में 10 रु० प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कारगर सिद्ध होने पर इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

यूनीसेफ की सहायता से शुरू किए गए पाताल गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6500 नलकूपों में इंडिया मार्क-2 अर्थात् अच्छी किस्म के हैंड पम्प लगाने का काम शुरू किया गया है। जून 1978 तक 1,500 नलकूपों में ऐसे हैंड पम्प लगाए जा चुके हैं।

केन्द्र परिपोषित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के तहत 1977-78 में 19 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 1,832 गांवों के लिए पेयजल योजनाएं तैयार की गईं। इनमें से केन्द्र की सहमति से स्वीकृत की गई 1,066 परियोजनाओं की लागत 11.40 करोड़ रु० थी।

राज्य सरकार गांवों की ही नहीं, बल्कि शहरों को भी पीने के पानी की समस्या को हल करने की दिशा में प्रयास कर रही है। नगरों की [illegible] तथा मल प्रवाह की [illegible] केवल 6 औद्योगिक नगरों में करने के लिए कुल 130 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। योजना आयोग का आग्रह है कि नगरों की जलपूर्ति व्यवस्था के लिए जो ऋण लिया जाए उसकी अदायगी और योजना के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ति चालू जल-दर की वसूली के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन राज्य के अधिकांश नगरों में इस व्यवस्था पर अमल करना संभव नहीं जान पड़ता। उदाहरण के लिए इन्दौर नगर के लिए नर्मदा नदी से जलपूर्ति की पूरी की गई योजना और सीहोर नगर के लिए पार्वती नदी से जलपूर्ति की प्रस्तावित योजना को ही लिया जाए, तो जल, दर के जो इस समय राज्य के किसी भी नगर में 1 रु० 50 पैसे प्रति 1,000 गैलन से अधिक नहीं है, बढ़ाकर करीब 5 रु० 50 पैसे प्रति 1,000 गैलन करना आवश्यक हो जायेगा। इस तरह करीब 350 प्रतिशत वृद्धि न तो व्यावहारिक है और न ही संभव जान पड़ती है।

दो हजार से अधिक जनसंख्या वाले कुल 1,348 गांवों में से 343 गांवों में जल खुदाई योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं और वर्ष 1977-78 में ऐसी 17 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्ष 1977-78 में शहरी क्षेत्रों के लिए भी 10 जल प्रदाय योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इंदौर शहर को जल प्रदाय योजना के 31 जनवरी, 1978 को पूर्ण होने पर अब वहां नर्मदा का पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 14.30 करोड़ रु० की लागत की उज्जैन जल प्रदाय आवर्धन योजना, 7.15 करोड़ रु० की ग्वालियर जल प्रदाय योजना, 6.15 करोड़ रु० की जबलपुर प्रदाय योजना, 2.63 करोड़ रु० की सीहोर जल प्रदाय योजना और रायपुर नगर की भूमि गत नाली तथा जल प्रदाय योजना के कार्य को भी तेज किया जा रहा है। ✱

प्रतिनिधि दैनिक भास्कर
16 ई 28, फिरोजशाहरोड
नई दिल्ली-110001

मध्यप्रदेश में

अन्त्योदय कार्यक्रम

आदिवासी कल्याण की दिशा में नया कदम

क्षितीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

अब ये भी भूमि स्वामी बन गए हैं

आदिवासी बहुल मध्यप्रदेश में 'अन्त्योदय' का अर्थ आदिवासी कल्याण ही हो सकता है। ये लोग इतने गरीब होते हैं कि इनमें सबसे गरीब छांटना असंभव है। पूरे के पूरे समूहों की आर्थिक दशा एक सी ही होती है। इसीलिए मध्यप्रदेश में 'अन्त्योदय' कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा ने कहा था "हम आदिवासियों के हित के लिए जो कुछ कर रहे हैं वही हमारा अन्त्योदय कार्यक्रम है।"

आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। राज्य का हर पांचवां आदमी आदिवासी है। पिछली जनगणना के अनुसार राज्य में 58 विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या 88.87 लाख अर्थात् राज्य की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। इस तरह आदिवासी कल्याण जनहित का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

व्यवस्था संबंधी सुधार

पहले एक क्षेत्र में घोषित अनुसूचित जनजाति के लोग दूसरे क्षेत्रों में शासन द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। इस क्षेत्रीय प्रतिबंध को अब समाप्त कर दिया गया है। इससे एक क्षेत्र के घोषित अनुसूचित जनजाति के लोग दूसरे क्षेत्रों में भी शासकीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इसके साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। अब तेरह के बजाए 21 जिलों के उपयोजना क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ गए हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद यह निर्णय लिया कि आदिवासियों के विकास के लिए निर्धारित राशि का उपयोग केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही होगा। इससे पहले कहा जाता था कि इन क्षेत्रों में राशि का उपभोग करने की क्षमता नहीं है। यह भी तय किया गया कि बजट का 21 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा।

भूमि वितरण

राज्य सरकार ने आदिवासियों में उपलब्ध कृषि भूमि के वितरण का काम अपने हाथ में लिया। वन भूमि पर अतिक्रमण के व्यवस्थापन के बाद आदिवासियों को नियमित पट्टे दे देने की व्यवस्था से लगभग एक लाख वनवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।

स्थानीय विकास कार्यक्रमों के तहत स्थानीय लाभ के छोटे निर्माण कार्य किए जाते हैं जिसके लिए सरकार अनुदान देती है। अनुदान की पुरानी शर्तों के कारण आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे काम अधूरे रह जाते हैं। राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जनसहयोग का प्रतिशत 25 से घटाकर 10 कर दिया है। यह भी निर्णय लिया है कि आदिवासी प्रधान गांवों में पेयजल की व्यवस्था का पूरा व्यय सरकार वहन करेगी।

आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के लिए वनोपज की खरीद की दरों में वृद्धि कर दी गई है। उदाहरण के लिए हर्रा की क्रय दर 11 रु० प्रति क्विन्टल से बढ़ा कर 16 रु० प्रति क्विन्टल तथा गोंद की क्रय दर 225 रु० प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 275 रु० प्रति क्विन्टल कर दी गई है। इसी तरह निजी खाते की इमारती लकड़ी की दरों में 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है।

शासकीय सेवाओं में आदिवासियों को और अधिक अवसर दिलाने के लिए इस वर्ग के उम्मीदवारों पर से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अधिक से अधिक चार बार बैठने के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। अब आदिवासी उम्मीदवार कितनी भी बार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं।

आदिवासियों के लिए सुरक्षित चिकित्सक पदों को भरने के लिए इस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार आयोजित किया गया और सभी आवेदकों को नियुक्ति दी गई।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में मिनी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। इसके तहत पहले साल 125 और दूसरे साल 134 मिनी स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। आदिवासी क्षेत्रों में शालेय छात्रों के साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई।

वर्ष 79-80 में 175 नए एकलव्य केन्द्र और 200 उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं जिनमें से अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में होंगे।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। गत वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में 1075 नई प्राथमिक शालाएं, 200 नई माध्यमिक शालाएं तथा 20 पूर्व माध्यमिक और 6 मैट्रिकोत्तर छात्रावास खोले गए। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 1.16 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए। इंजीनियरिंग और चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन रत आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्तियों में 60 रु० प्रतिमाह की वृद्धि कर दी गई।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती के लिए और बैंकों और शासकीय नौकरियों के लिए आदिवासी युवक युवतियों को तैयार करने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इनमें आदिवासी छात्रों को निःशुल्क शिक्षण आवास आदि की व्यवस्था रहती है और उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। केन्द्रीय सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए आदिवासी युवकों को तैयार करने के लिए भी एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में विचार हो रहा है।

आदिवासियों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और 15 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान शिष्यवृत्ति 45 से 65 रु० प्रतिमाह दी जाती है। आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का धंधा स्थापित करने के लिए पांच हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत राज्य के 21 आदिवासी प्रधान जिलों में 31 बड़ी और 11 छोटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आदिवासी उपयोजना के तहत कृषि, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत्, उद्योग, सड़कों और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने वाले स्थानीय विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना अधिकारियों को पांच-पांच लाख रु० की राशि दी जाती है और इसके व्यय हेतु पर्याप्त अधिकार दिये गए हैं ताकि छोटे-मोटे कार्यक्रमों के लिए विभागाध्यक्ष अथवा सचिवालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

आदिवासी किसानों को कृषि के लिए आसान कर्ज मिल सके इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक विकास-खंड में भूमि विकास बैंक के अलावा एक नामजद व्यापारिक बैंक भी कृषि पुनर्वित्त निगम की योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज बांटेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कृषि प्रक्षेत्रों के विकास, शोषण से रक्षा, ऋण-मुक्त आदिवासियों से वसूली रोकने और नई वन नीति के तहत कई नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आदिवासियों की खेती संबंधी मामलों को तुरंत निबटाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। आदिवासी इलाकों में बिजली और सिंचाई के विस्तार के साथ-साथ उद्योगों की स्थापना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य शासन ने आदिवासियों को प्रशासनतंत्र के निकट लाने के प्रयास किए हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दौरों के समय इस वर्ग के लोगों की बस्तियों में जाएं और उनकी समस्याएं मौके पर ही हल करने का प्रयास करें। ✱

सी-93 साउथ एक्सटेंसन-11
नई दिल्ली-110049.

महिमामय मध्य प्रदेश ❀ राधाकांत भारती

हृदय प्रदेश भारत का,
अद्भुत मध्य प्रदेश नयनाभिराम
भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर,
पूंजीभूत धरोहर, अभिनंदित संस्कृति का
उभरे स्तूप ये वृताकार
कालजयी तथागत के प्रतीक
सांची में संचित, अर्पित,
स्मृतिशेष प्रियदर्शी महान ने
जहां से भेजा था,
मानवता का चिरंतन संदेश
कल-कल, छल-छल बहती शिप्रा
चूमती उज्जैनी का पग-तल
कवि कालिदास वंदित, देवप्रिय पावन नगरी
निरखता महाकालेश्वर का उत्तुंगशिखर,
रूपांकित इतिहास, मूमती काव्यकला
उद्भासित सांस्कृतिक वृग् यह अजेय।
स्फटिक शिला पर इठलाती नर्मदा
फहराया धुंआधार का फेनिल सतरंगी आंचल
विंध्याचल का भवन कलेवर,
बहती बेतवा, शोणभद्र चंचल।
वनश्री का अनुपम सौंदर्य
फैलती महुआ, टेसू की गंध,
मचलते मृगछौने, खरगोश, नाचता पुलकित मयूर
टेर वंशी की तेज, बज उठते मृदंग।
खिल उठते बस्तर के वनकुसुम सौम्य,
कि विकास के नूतन आयाम
उद्यमी जीवन के निर्मल उच्छ्वास,
उल्लसित यौवन मदभार, सहज मृदुहास
महानदी की उपत्यका विशाल,
संजोये खनिज संपदा अपार
बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कोरबा के केन्द्र,
मानव श्रम से विकसित औद्योगिक प्रसार।
कि गांवों में फैली नई ज्योति,
चरखे-करघों की धुन पर प्रतिध्वनित
नवयुग का स्वावलंबन गीत,
गाता प्रगति पथगामी महान, मध्यप्रदेश ✱

मध्य प्रदेश के वन और वन्य-पशु सम्पदा

डा० राम गोपाल चतुर्वेदी

हमारे देश में ऐसे प्रान्त कम हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य-जीवों की दृष्टि से इतने समृद्ध हों, जितना मध्य प्रदेश है। सघन वनों का साम्राज्य यदि कहीं मौजूद है और साथ ही वन्य पशुओं की दृष्टि से जो विविधता आज भी उपलब्ध है, वह दुर्लभ क्षेत्र मध्य प्रदेश ही है। राज्य के आर्थिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश की आय का एक बड़ा साधन वन क्षेत्र भी है, जो 17.70 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र राज्य के पूरे क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग से भी अधिक है। वनों से 110 करोड़ की वार्षिक आमदनी होती है। इसके अलावा, वन विभाग से लगभग 3 हजार लोगों की आजीविका चलती है।

दुर्भाग्य की बात है, कि पिछले अनेक वर्षों से वनों का विनाश होता रहा है और वनस्पति सम्पदा और वन जीवों की रक्षा की ओर लोगों का ध्यान कम गया है। आज भी बहुत लोग वन-सम्पदा के महत्व को नहीं जानते। वन्य-जीवों की कदर करना भी हम नहीं सीखे। खुशी की बात है, कि हाल में नए प्रशासन ने यह निश्चय किया है कि वनों का उत्तरोत्तर विकास किया जाए और इसी के साथ वनों में रहने वाले आदिवासियों को वनों के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन ने कई उपयोगी कदम उठाए हैं। नए-नए क्षेत्रों में वनों का रोपण किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी वर्ष सन् 1978-79 में 167.70 लाख रुपये की व्यवस्था पेड़ लगाने के लिए की गई है। लक्ष्य यह रखा गया है कि 11 हजार 6 सौ हेक्टेयर में पेड़ लगाए जाएं।

सभी जानते हैं कि वनों से अनेक उद्योग पनपते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित कई उद्योग चल रहे हैं, जैसे लकड़ी की कटाई और चिराई, कागज और अखबारी कागज तैयार करना, कत्था, चमड़ा कमाने का धन्धा, लाख, बीड़ी और माचिस बनाने का काम, गोंद, लीसा और तरह-तरह की जड़ी-बूटियां आदि को एकत्र करना। इन सब उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि वनों का विस्तार किया जाए। मध्य प्रदेश के करीब 70 फी सदी क्षेत्र में जंगल नहीं है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में वन करीब-करीब खत्म हो चुके हैं और उत्तरी हिस्सों की हालत भी इस दृष्टि से अच्छी नहीं है। इन क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने और ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो जल्दी बढ़ सकें। साथ ही जगह-जगह चरागाह बनाए जा रहे हैं। इस पूरे कार्य को नियोजित ढंग से चलाने के लिए इस वर्ष योजना में 1 करोड़ 24 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा, वन और वन से सम्बन्धित व्यवसाय के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार वन विकास के कार्यक्रम को भली-भांति चलाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस व्यापक कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन है कि मध्य प्रदेश में लकड़ी, बांस और हर चारे की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बराबर बढ़ाया जाए। आदिवासियों की माली हालत सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाएं और उनको विशेष तरह का उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाए। मध्य प्रदेश की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोका जाए। वन्य जीवों की रक्षा की जाए और वन्य जीवों की रक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

जंगल का राजा

खेद है कि वन्य जीवों का विनाश पिछले कुछ वर्षों से बड़ी तेजी से होता रहा है। इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के वन्य जीवों का

धीरे-धीरे लोप होने का खतरा पैदा हो गया है। जंगली-भैंसा, स्वर्ण-मृग, छिकरा, बाघ, तेंदुआ जैसे वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। वनों में जो तरह-तरह के सुन्दर पक्षी पाए जाते थे, वह भी अब कम दिखाई पड़ते हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि यदि वन्य जीवों का विनाश नहीं रोका गया, तो आगे चलकर वन्य जीवों को किताबों के चित्रों में ही देखा जा सकेगा।

वन्य जीवों के विनाश का एक मुख्य कारण यह है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इस प्रकार जमीन साफ करके खेती के योग्य बनाई गई है। इस तरह खेती की जमीन का क्षेत्रफल जरूर बढ़ा है, लेकिन साथ ही कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। वर्षा का अनुपात घट गया है। इसके फलस्वरूप उपज की मात्रा में कमी हुई है। वनों के कट जाने से वन्य जीवों का उत्पात आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक होने लगा है। वन्य जीव अब आबादी वाले क्षेत्रों में चक्कर लगाने लगे हैं और घरेलू पशुओं को मारकर अपनी भूख शांत करते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि मारकर, बाघ, तेंदुएं अपना पेट पालन करते हैं। वन्य जीवों के उत्पातों से तंग आकर गांव के लोगों ने भी बड़ी तादाद में वन्य पशुओं को मारना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि यदि वन्य जीवों के विनाश को न रोका गया तो अनेक प्रकार के वन्य जीवों का एकदम लोप हो जायेगा। आवश्यकता इस बात की है कि वन्य जीवों को कायम रखने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों में अभयारण्य स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाए। वन्य जीवों की दृष्टि से आज भी मध्य प्रदेश अन्य प्रान्तों की तुलना में कहीं अच्छी हालत में है। मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान और आखेट उद्यान बहुत पहले से हैं। कान्हा तथा शिवपुरी के राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणियों को शरण मिली हुई है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है।

मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग में जंगली भैंसे पाये जाते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखे हैं। फिर भी सींगों वाले वन-जीव यहां दीख पड़ते हैं। वैसे समूचे मध्य-प्रदेश में बाघ, तेंदुआ, रीछ, नीलगाय, जंगली सूअर, सांभर, चिंकरा, लकड़बग्घा, स्वर्ण मृग, सेही, सियार और खरगोश यत्र-तत्र पाये जाते हैं। वनभैंसा, बारहसिंगा आदि सीमित क्षेत्रों में ही हैं। मध्य प्रदेश के अन्तर्गत ही रीवा क्षेत्र सफेद बाघ के लिए मशहूर है। बहुत समय पहले गोविन्दगढ़ (रीवा) में दो चार सफेद बाघ थे। इसके बाद इस नस्ल के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किये गए और तब से सफेद रंग के बाघों की संख्या बराबर बढ़ी है।

यूरोप में तो सन् 1900 में ही शेर खत्म हो गया था। हमारे देश में इसे बचाने के लिए कई प्रान्तों में कारगर कदम उठाए गए। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय रहा। आज प्रकृति के विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि सैंकड़ों प्रकार के वन्य जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, अगर समय रहते उनकी रक्षा के लिए कारगर उपाय नहीं किये गए। यही हाल अनेक प्रकार के फूल वाले पौधों का है; जो आज विनाश के कगार तक पहुंच गए हैं। वनस्पतियों से अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं और इनके भरोसे अनेक उद्योग भी चलते हैं। शिवपुरी में कत्था मिल है, जहां वैज्ञानिक तरीके से कत्था बनाया जाता है। लाख पैदा करने वाले क्षेत्रों में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। यही नहीं कई अनेक छोटी-मोटी काम की चीजें मध्य प्रदेश में बहुतायत से मिलती हैं। जैसे बांस, लाख, तेंदू के पत्त, साल की लकड़ी, सलाई, गोंद, शहद, मोम, हड्डियां, सींग तथा तरह-तरह की जड़ी बूटियां और विभिन्न प्रकार की उपयोगी घास मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

वनवासियों के कल्याण के बिना वनों की रक्षा का कार्य कठिन है। इसीलिए प्रशासन ने कई उपयोगी उपाय किये हैं। वन क्षेत्रों में रोजगार पाने वालों में करीब 60 फी सदी संख्या आदिवासियों की हैं। बांस, लकड़ी, कटाई, हर्रा, गोंद, वन रोपण वन मार्ग के बनाने में आदिवासियों के लिए अनेक सुविधाएं मुहैया की गई हैं। 3 करोड़ रुपये के वार्षिक मूल्य का ईंधन आदिवासियों को मुफ्त दिया जाता है। आदिवासियों के मवेशियों के लिए चराई की मफ्त सुविधा है। आदिवासियों की भलाई के लिए और भी कई काम किए जा रहे हैं। शासन द्वारा निश्चित दर पर उन्हें मजदूरी दी जाती है।

देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां वन भूमि के वितरण का एक महत्व-पूर्ण कार्यक्रम लागू किया गया है। इससे अधिक से अधिक मात्रा में आदिवासियों को लाभ पहुंचेगा। आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। उन्हें वन लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। शासन की इस बारे में एक व्यापक योजना है। शासन का विचार भूमि स्वामी वन विकास निगम बनाने का है। यह योजना अभी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में जहां प्रकृति ने इतना सौंदर्य बिखेरा है और वन संपदा से प्रान्त भरा पूरा है, वहां प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा है। यहां की वन संपदा से लाभ उठाने वाले प्रायः वे लोग हैं जो बाहर के हैं और कल-कारखाने खड़े करके मुनाफा कमा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह प्रदेश वन संपदा से इतना सम्पन्न होते हुए भी आजादी के 30 साल बाद तक उन्नति के दौर से नहीं गुजर सका। संतोष की बात है कि हाल में मध्य प्रदेश के प्रशासन ने इस दिशा में ऐसी योजना बनाई है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। योजना के अनुसार बस्तर में संयुक्त क्षेत्र में 'वुड कॉम्पलेक्स' यानी काष्ठ संयंत्र लगाने की व्यवस्था की जा रही है। बस्तर की वन संपदा का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए चार चरणों में एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे इस समय मध्य प्रदेश में वन संपदा के आधार पर चलने वाले कई बड़े उद्योग हैं। अमलाई (शहडोल) में सफेद कागज और नेफानगर में न्यूज प्रिंट के कारखाने हैं। इसी प्रकार शिवपुरी में कत्था फैक्टरी और इटारसी में 'वुड काम्पलैक्स' कारखाना है। रीवा और सरगुजा क्षेत्रों में भी फैक्टरी लगाने की योजना है।

इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में भी वन संपदा के विकास के साथ-साथ आदि-वासियों के आर्थिक विकास को दृष्टि में रखकर योजना बनायी गयी है। इस योजना

[शेषांश पृष्ठ 23 पर]

मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक

वैभव

देव कृष्ण व्यास

आदिवासी ललनाएं उल्लासपूर्ण वातावरण में नाचती गाती हुईं

मध्य प्रदेश विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। साहित्य, संगीत, कला और पुरातत्व की दृष्टि से सम्पन्न इस राज्य का देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान है। नैसर्गिक दृश्यों और प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध यहां की भूमि ने अनेक साम्राज्यों एवं गणतंत्रों का उत्थान और पतन देखा है।

देश के इस मध्यवर्ती भाग का इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से सम्बन्ध रहा है। सम्राट् अशोक ने उज्जैन के शासक के रूप में अपना शासन कार्य प्रारम्भ किया था। ईसा से पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में इस प्रदेश पर शुंग राजाओं का राज्य रहा। यहां के अधिकांश भाग ने गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी देखा है। विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, यशोधर्मन और भोज के कार्यकाल में इस क्षेत्र ने साहित्य, संस्कृति और कला में उल्लेखनीय प्रगति की। परमार, परिहार, चन्देल और कलचुरी राजवंशों का भी इस प्रदेश पर प्रभुत्व रहा है।

मराठों का उत्थान होने तक मध्यप्रदेश का काफी भाग मुगलों के अधिकार में चला गया था। मोहम्मद गजनी, शेरसाह सूरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी ने यहां के कई हिन्दू राजाओं को युद्ध में परास्त किया। औरंगजेब के राज्यकाल में मराठों ने जोर पकड़ा और कुछ ही वर्षों में उन्होंने सम्पूर्ण मध्यवर्ती भाग पर अधिकार कर लिया। 1794 में मराठा सरदार माधोजी सिन्धिया के देहान्त के बाद मराठों का राज्य बिखर गया और कई छोटी-छोटी रियासतें अस्तित्व में आ गईं। स्वतंत्रता के बाद वर्तमान मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भूतपूर्व मध्यप्रदेश विंध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यभारत और महाकोशल का पुनर्गठन करके इस राज्य की स्थापना की गई है।

मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा राज्य है और यहां कई संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है। देश की सभी दिशाओं से लोग आकर यहां बसते रहे हैं। राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र आदिवासियों से आबाद है। एक अनुमान के अनुसार राज्य का हर सातवां व्यक्ति आदिवासी है। आदिवासियों के अलावा अधिकतर जनसंख्या हिन्दू-जातियों की है। इन जातियों में राजपूत, कुनबी, खाती, अहीर, माली आदि प्रमुख हैं। शहरों में मुसलमान, जैन, पारसी ईसाई और बौद्ध धर्मावलम्बी भी हैं। यहां के किसानों का आम पहनावा धोती और बन्डी है जबकि आदिवासी केवल लंगोट से ही काम चला लेते हैं। पूर्वी भाग में साफे और पश्चिमी भाग में पगड़ी पहनने का आम रिवाज है। नई पीढ़ी के लोग पाजामा, कुर्ता, कमीज, पेंट आदि पहनने लगे हैं। सिर पर काली टोपी पहनने का रिवाज भी अब कम होता जा रहा है। औरतें आम तौर पर रंगीन, लेंहगा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। उत्तरी भाग में औरतें पेटीकोट के उपर पांच गजी साड़ियां पहनती हैं जबकि मराठी क्षेत्रों में पुरुषों की तरह लांगदार साड़ी, जो प्राय: आठ गज लम्बी होती है, पहनी जाती है।

मध्य प्रदेश के रामगढ़, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, धार, रतलाम और झाबुआ जिलों में आदिवासियों की आबादी अधिक है। इन आदिवासियों में लगभग चालीस अनुसूचित आदिम जातियों के लोग सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि बाहर से आने वाले लोगों ने इनको खदेड़ कर जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया। इन आदिवासियों में गोंड और भीलों की संख्या बहुत बड़ी है। नर्मदा की घाटी और जबलपुर में गोंड़ों की शक्तिशाली सरकार रही है। गोंड़ों की मान्यता है कि बैगा आदिवासी भूत-प्रेतों के बारे में सब कुछ जानते हैं और झाड़-फूंक द्वारा वे उनका निवारण कर सकते हैं। भील एक लड़ाकू जाति है। यह कहा जाता है कि भील जंगल का राजा है और अच्छा तीरंदाज भी है। कहावत प्रचलित है कि कुलडी भर दाणा, भील भई राणा, जिसका अर्थ है कि यदि भील को थोड़ा अनाज भी मिल जाए तो वह अपने को किसी राणा से कम नहीं समझता।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों में जन्म, विवाह और मृत्यु से सम्बन्धित विचित्र रीति-रिवाज प्रचलित हैं। गोंड लोगों में शादी की बारात प्राय: दुल्हन के घर से दुल्हा के घर को जाती है और वहीं पर शादी होती है। शादी ब्राह्मण करवाता है। कुछ गोंड जनेऊ भी पहनते हैं। गोंड और मुड़िया जातियों में घोटुल की विचित्र प्रथा है। घोटुल अविवाहित

का मिलन घर है जहां वे सूर्यास्त के बाद एकत्रित होते हैं परस्पर हंसी मजाक या बातचीत के बाद नाच-गान का कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाता है। नाच-गान के बाद लड़के-लड़कियां स्वयं अपनी पसन्द की जोड़ियां बना लेते हैं। डा० वेरियर एल्विन ने घोटुल का विस्तृत अध्ययन करने के बाद लिखा है कि पुराने ढंग के घोटुल में इन जोड़ियों की परिणति प्राय: विवाह में होती है जबकि आधुनिक घोटुल में जोड़ियां बदलती रहती हैं। बाहरी लोगों की दृष्टि में घोटुल यौन स्वच्छंदता का केन्द्र है किन्तु आदिवासियों का विश्वास है कि इससे लड़के लड़कियां सहजीवन का पाठ पढ़ते हैं और उनमें अपराध वृत्ति भी कम हो जाती है।

गोंड लोगों में मृतकों को दफनाने का रिवाज है किन्तु राज गोंड हिन्दुओं की भांति शव-दाह को उचित समझते हैं। सींग माड़िया आदिवासियों में पांच वर्ष से छोटी उम्र के बालक को मरने पर जमीन में सीधा खड़ा करके गाड़ा जाता है। बस्तर के धुरवा आदिवासियों में यह प्रथा है कि किसी पुरुष के मरने के दसवें दिन एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति विधवा के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ले लेता है। आदिवासियों में भी विधवा विवाह या विवाह विच्छेद अन्य जातियों की तुलना में आसान है।

भीलों में शादी के लिए दहेज दापा की प्रथा प्रचलित है। लड़के के माता-पिता की ओर से लड़की वालों को एक निश्चित राशि दी जाती है। प्राय: भील युवक-युवतियों द्वारा भगोरिया हाट में अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया जाता है। कुछ भीलों में आज भी लड़की भगाकर विवाह कर लेने का रिवाज है। पर ऐसा करने पर बाद म लड़की की कीमत पूरी रस्म के साथ चुका दी जाती है। यदि कोई भील औरत जब किसी कारण से अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर उसके घर चली जाती है तो उसे भीलों की भाषा में 'घर में भराना' कहते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे पति को पहले पति को मुआवजा देना पड़ता है।

मध्य प्रदेश की अधिकांश जनता हिन्दू धर्मावलम्बी है और यहां प्राय: हर महीने कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। वसन्त-पंचमी, शिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी, दशहरा और दीवाली के त्यौहार देश के अन्य भागों की तरह मनाए जाते हैं। भीलों और गोंडों में प्रत्येक पर्व की शुरुआत किसी न किसी प्रकार की बलि से होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अनेक आंचलिक मेले भरते हैं। गोंडों के मेघनाद, भीलों के भगोरिया और बस्तर के दंतेश्वरी मेले आदिवासी संस्कृति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं।

आम-तौर पर मध्य प्रदेश में हिन्दी ही बोल-चाल में उपयोग में आती है। मराठी क्षेत्रों में अवश्य मराठी का व्यवहार होता है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी, गोंडी, मालवी, निमाड़ी, बून्देलखण्डी, बघेली और भीली बोलियां प्रचलित हैं। भीली पर गुजराती और मालवी पर राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। राज्य की इन बोलियों में कई शिक्षाप्रद कहावतें और उक्तियां हैं। लोकगीतों की दृष्टि से भी यह सभी बोलियां अत्यन्त समृद्ध हैं। बुन्देलखंड में आल्हा, छत्तीसगढ़ में ढोला, भीलों में हीड़ और निमाड़ में कलगी तुर्रा आदि लोकगीत काफी लोकप्रिय हैं।

शास्त्रीय संगीत और लोक-संगीत की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश संपन्न कहा जा सकता है। ग्वालियर पद्धत्ति का संगीत 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के राज्य काल में प्रचलित हुआ। उसी काल में संगीत में कई रागों का समावेश हुआ। ध्रुपद की लय निकालने का श्रेय राजा मानसिंह को है। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ग्वालियर के ही थे। कहा जाता है कि जब वह दीपक राग गाते थे तो दिये जलने लग जाते थे और जब मल्हार अलापते थे तो वर्षा होने लगती थी। सिंधिया राज्य में संगीतज्ञों का बड़ा सम्मान होता था। ग्वालियर के लोक-संगीत पर व्रज संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। मालवा के माच का लोक नाट्यों में विशेष स्थान है। आदिवासी स्वभावत: सामूहिक रूप से गाते हैं और उनके लोक गीत आल्हादक और प्रभावशाली होते हैं। मुड़िया आदिवासियों के लोकगीतों की धुनें बड़ी मोहक होती हैं। निमाड़ के विलाप गीतों में दुखानुभूति की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। धार्मिक कथाओं, प्रणय प्रसंगों और पर्वों पर आधारित लोकगीतों की रक्षा सदियों से महिलाएं करती आ रही हैं।

आदिवासियों के लोकनृत्य उनकी उन्मुक्तता का परिचय देते हैं। माड़ियाओं का गवर, भीलों का भगोरिया, गोंडों का करमा, बंजारों का लेंहगी और उरांवों का सरहुल लोकनृत्य काफी लोकप्रिय हैं। अपनी परम्परागत वेश-भूषा और आभूषणों से सजधज कर आदिवासी महिलाएं जब लोकनृत्यों में भाग लेती हैं तो दर्शकों को अपनी कलात्मकता से मुग्ध कर देती हैं। स्त्रियां अपने विभिन्न अंगों को गुदवाकर कलात्मक चिन्ह और रेखाएं बनवाती हैं। पुरुषों में भी हाथों पर अपना नाम गुदवाने की प्रथा है। आदिवासियों का विश्वास है कि मरने के बाद स्त्री के आभूषण तो उतार लिए जाते हैं, केवल गुदना चिन्ह ही परलोक में साथ जाता है।

कला और स्थापत्य के प्रेमी को अपनी क्षुधा शान्त करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। सांची के स्तूप अपनी कला और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मांडू के महल और मस्जिदें मुगलकालीन कला की ओर संकेत करते हैं। उदयगिरी की गुफाओं, बाघ के भित्ति चित्र और अन्य एतिहासिक अवशेषों से गौरवमय अतीत की झलक मिलती है।

मध्य प्रदेश के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करने वाले लोक साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए कुछ छुटपुट प्रयास अवश्य हुए हैं किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उचित, अनुसंधान कर इस दिशा में योजनाबद्ध कदम उठाए जाएं। प्राचीन अवशेषों की सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकीकरण के नाम पर आदिवासी संस्कृति की मौलिकता नष्ट न होने पाए।

सी-31
गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली-49

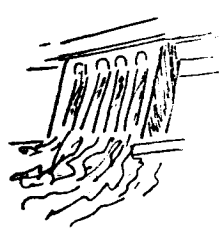

बैलाडीला के खनिज भण्डारों में एक दिन

रामचन्द्र तिवारी

वाल्टेयर से भी करीब इतनी दूर पर स्थित है बैलाडीला की पहाड़ियां। बैलाडीला और उसके आसपास की पहाड़ियों में प्रकृति ने अपार संपदा भर दी है। लौह खनिज के रूप में। लौह खनिज भी ऐसे जिसमें 65 प्र० श० तक लोहा है जो संसार के सर्वोत्तम लौह खनिज में गिने जाते हैं। सामान्य पहाड़ों में पत्थरों की जैसी बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं वैसी ही लौह खनिज की चट्टानों से बैलाडीला तथा आसपास की पहाड़ियां भरी पड़ी हैं। यहां पहाड़ियों में सामान्य पत्थर नहीं, खनिज लौह की शिलाएं होती हैं। संभवतः इसीलिए वहां के लोग इस लौह खनिज को 'लोहा पत्थर' कहते हैं।

यह बैलाडीला उस विशाल दण्डकारण्य का भाग है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला है। घने जंगल, मीलों तक बस्ती नहीं, यातायात के साधनों का अभाव और संस्कृति के संस्पर्श से वंचित दण्डकारण्य ही वह दंडक वन कहा जाता है जहां से अपने वनवास-काल में भगवान् राम गुजरे थे।

प्रकृति ने इस क्षेत्र को खनिज साधनों तथा प्राकृतिक सौन्दर्य दोनों से भरपूर विभूषित किया है लौह खनिज का प्रयोग अपने देश में करने के अलावा, इसके निर्यात की भी उज्ज्वल संभावनाएं थीं। जापान ने यह खनिज खरीदने का सौदा किया और वाल्टेयर किरन्दूल तक (जो बैलाडीला पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक गांव है) रेल लाइन बनाने के लिए सहायता भी दी। कोट्टवालसा तक लाइन पहले ही थी अतः कोट्टवालसा से किरन्दूल तक रेल लाइन बनानी थी। पूर्वी घाटों और घने जंगलों की चुनौतियां सामने थीं जिनका सामना करके ही बैलाडीला की इस अकूत खनिज संपदा का प्रयोग किया जा सकता था।

रेलवे के इंजीनियरों ने यह गंभीर चुनौती स्वीकार की और 5 वर्षों के अनथक परिश्रम से 471 कि० मी० लम्बी यह लाइन 55 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार कर दी। इस लाइन पर छोटे-बड़े 1323 पुल तथा 46 सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अलावा, 15 स्थानों पर दो पहाड़ियों के बीच की जगह भी सुरक्षा के लिए पाट दी गई है।

आरम्भ में यह लाइन 1967 में केवल माल यातायात के लिए ही काम आती थी। मार्च, 1976 तक इस लाइन द्वारा 2 करोड़ 80 लाख मी० टन खनिज लौह जापान भेजा गया जिससे 233.6 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा चुकी है। अब इस खनिज निर्यात में कुछ कमी आ रही है।

यात्री गाड़ियां चलना शुरू

पहली सितम्बर, 1976 से यह लाइन यात्री यातायात के लिए भी खोल दी गई। दण्डकारण्य के सौंदर्य का वर्णन रामायण आदि पुस्तकों में तो पढ़ा ही था और उससे सतत जिज्ञासा जाग्रत भी की थी। लौह खनिज की ढुलाई के दौरान इस लाइन पर आने वाले रेल अधिकारियों के मुंह से दण्डकारण्य के प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा सुनी तो वहां की उत्कण्ठा तीव्र हो गई और ज्योंही यह ज्ञात हुआ कि उस लाइन पर यात्री आ जा सकते हैं, मैं भी उधर जाने के लिए लालायित हो गया।

तमिलनाडु एक्सप्रैस से सवेरे सात बजे चलकर अगले दिन प्रातः 6 बजे के करीब विजयवाड़ा पहुंच गया। विजयवाड़ा से वाल्टेयर के लिए गाड़ी दोपहर में थी। अतः तब तक कुछ देखने की इच्छा से पूछताछ की तो कनक दुर्गा का मंदिर दर्शनीय बताया गया। कनक दुर्गा का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। उस दिन संयोग से दुर्गाष्टमी थी और भक्त आगन्तुक बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे थे। अपनी स्थानीय वेशभूषा में सुसज्जित आगन्तुक अपनी पूजा सामग्री लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूजा सामग्री आदि तथा भीतर जाने का टिकट ढाई रुपए का था।

कहते हैं कि देवी की मूर्ति स्वर्ण की है। धातु क्या थी, यह तो स्पर्श करके मात्र से जाना नहीं जा सकता था किन्तु देखने में उसका स्वर्ण वर्ण ही था। इस मंदिर की विशेषता यह थी कि यहां से पूरे विजयवाड़ा की विहंगम झांकी मिल सकती थी। देवी दर्शन के समय ध्यान में यह बात आ रही थी कि देवी दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं तथा लड़कियां हल्दी युक्त अंगराग लगाए हुए थीं। संभव है, कनक दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वह पीतवर्णी अंगराग विशेष रूप से समझा जाता है।

तमिलनाडु एक्सप्रैस से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से ईस्ट कोस्ट एक्सप्रैस से वाल्टेयर तक की यात्रा छत्तीस घंटे में पूरी हो गई। वाल्टेयर से किरन्दूल के लिए अगले दिन गाड़ी चलती थी। वाल्टेयर—किरन्दूल मार्ग पर छोटे बड़े 47 स्टेशन हैं जिनमें से प्रमुख हैं कोट्टवालसा, शृंगवेरपुर,

कोट्टा, अरकू, [illegible] और दन्तेवाड़ा। [illegible] नाम है। यहां स्टेशन से विशाखापत्तनम बंदरगाह की मोदी तक एक कन्वेयर बैल्ट बना है, जिस पर बैलाडीला से आया लौह खनिज डिब्बों से उतार कर सीधा जहाजों में भरा जाता है।

वाल्टेयर से चलकर पहला प्रमुख स्टेशन कोट्टावालसा जो हावड़ा-मद्रास लाइन का एक प्रमुख स्टेशन है। इससे आगे चलकर श्रृंगवेरपुरकोट्टा स्टेशन से अनन्तगिरि घाट आरम्भ हो जाते हैं। लाइन के एक ओर ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर हरियाली से ढकी घाटी आपके स्मृति कोष के लिए एक मनोहारी दृश्यावलि प्रस्तुत करती है। इस मनोरम दृश्य से गुजरती गाड़ी में आपको स्वर्गिक आनन्द प्राप्त होता है। ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती है, कहीं सुरंगें, कहीं गहरी घाटी के ऊपर बने पुल मिलते हैं। जब इन पुलों पर से गाड़ी गुजरती है तो नीचे से बहती जलधारा और दोनों ओर सिर ऊंचा किए खड़े पहाड़ों को देखकर मन मुग्ध हो जाता है।

इस मनमोहक दृश्य से गुजरते हुए आता है एक स्टेशन बोर्रागुहलु। यहां पास में अनेक प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में इतना अंधेरा होता है कि बिना टार्च के जाना संभव ही नहीं है। इन गुफाओं में से एक गुफा में ऊपर से बूंद-बूंद पानी गिरता है और उस पानी में न जाने क्या मिला होता है कि वह पानी जमता जाता है और क्रमशः शिवलिंग का आकार ग्रहण कर लेता है।

बोर्रागुहलु से एक स्टेशन बाद में शिमलीगुडा जो समुद्र तट से 997 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में बड़ी लाइन का यह ऊंचा स्टेशन है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए एक बोर्ड इस स्टेशन पर लगा है। देखने में यह छोटा सा स्टेशन है लेकिन यहां से नीचे की ओर देखें तो आपको आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गए। स्टेशन मास्टर का कार्यालय स्टेशन से नीचे है और चारों ओर सुन्दर दृश्यावलि अनजाने ही मन हर लेने वाली होती है।

[illegible]

इसके बाद आता है अरकू स्टेशन। यह एक घाटी में बसा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। यहां का मैदानी भाग देखकर घाट के पहाड़ों की उत्तुंगता एक बार मन में फिर तैर जाती है।

इस घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य जहां मनमोहक है वहां इसकी जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। यहां कृषि विभाग का एक बहुत बड़ा फार्म है जिसमें रेशम के कीड़े पलते हैं, रबड़ और चन्दन के पेड़ हैं तथा काफी के बीजों को समुन्नत करने के परीक्षण आदि चल रहे हैं।

स्टेशन के आस-पास दूर-दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। अरकू अच्छा कस्बा है। यहां बाहर से आने वालों के ठहरने की व्यवस्था सुलभ है। यहां के निवासी सहज, सरल तथा अतिथि सत्कार करने वाले हैं। भाषायी विभेद बिल्कुल नहीं है। यह स्थान ऐसा है कि आस-पास के बहुत से लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आकर यहां रहते हैं।

अरकू से करीब चार घंटे की यात्रा करके आता है कोरापुट। यहां हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स का कारखाना है जिसमें 'मिग' विमान का कुछ भाग बनता है। इस क्षेत्र का यह औद्योगिक केन्द्र है। यहां आते-आते शाम हो गई थी, अतः सायंकालीन चाय-नाश्ते का प्रबन्ध यहीं किया गया। समूचे मार्ग पर खान-पान की व्यवस्था नहीं के बराबर है। जो उपलब्ध थी उसमें हमें सर्वोत्तम चीजें मिली हालांकि खान-पान की सीमित चीजें ही यहां सुलभ थीं। मेरी पान की समस्या भी यहां आकर हल हुई और आगे के लिए भी पान का राशन रख लिया।

जगदलपुर बस्तर जिले का प्रधान कार्यालय है। यह स्थान आते समय रात में आया। बस्तर में आदिवासियों के जीवन की न जाने कितनी कहानियां पढ़ी-सुनी थीं। अतः इस स्थान को देखने का पूरा मोह मन में था और निश्चय किया था कि वापिसी यात्रा में इसे जरूर देखना है।

किरन्दूल : छोटी जगह, बड़ा काम

किरन्दूल सवेरे करीब साढ़े पांच बजे गाड़ी पहुंची। बैलाडीला की पहाड़ियों की [illegible] में [illegible] यह छोटा सा गांव है यहां की आबादी में अधिक संख्या उन खनिकों की है जो आसपास की खानों से लौह खनिज निकालते या उसे डिब्बों में चढ़ाते हैं। जहां से बैलाडीला का लौह खनिज लदता है, वह जगह इतनी छोटी पाकर एक झटका सा लगा। बस्ती में मामूली सा बाजार और खाने-पीने की भी कुछ समुचित व्यवस्था नहीं। ठहरने की भी समस्या। लेकिन इस छोटी जगह के बड़े काम को देखने की तीव्र इच्छा थी। इस लाइन के इस स्टेशन (टरमिनल) के एक ओर बैलीडीला की ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को तोड़कर और बड़े खनिज पत्थरों को बारीक करके गाड़ी में लदान किया जाता है। दूसरी ओर, स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ियों में लौह खनिज लद रहा था।

किरन्दूल गांव सामने दाहिनी ओर था जिसमें आदिवासियों की झोंपड़ियां हैं और पूर्वी बंगाल (अब बांग्ला देश) के शरणार्थी अधिकांशतः रहते हैं।

किरन्दूल स्टेशन पर लौह खनिज का लदान दो स्थानों पर हो रहा था। एक स्थान पर कन्वेयर वैल्ट से आया लौह खनिज मशीन के द्वारा ही डिब्बों में भरा जा रहा था। दूसरे स्थान पर ट्रकों द्वारा ढोकर लाया गया लौह खनिज स्थानीय मजदूर (जिनमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों थीं) टोकरियों में भरकर या मालगाड़ी के डिब्बों में भर रहे थे। चारों ओर लौह खनिज की मिट्टी सी बिखरी पड़ी थी।

किरन्दूल से चारेक किलोमीटर की यात्रा करके बैलाडीला संयंत्र तक पहुंचा जाता है। रास्ते में इस संयंत्र के अधिकारी के कार्यालय भी गया। देखा, साफ सुथरा भवन, चुस्त कर्मचारी और वहां का प्रबन्धक इंजीनियर एक बंगाली युवक जिसकी आयु 35 वर्ष के आसपास, बड़े तपाक से वह मिला और बढ़िया हिन्दी में विस्तार से बताता रहा कि वहां के संयंत्र से कितना लौह खनिज निकाला जाता है तथा भविष्य में विस्तार की कितनी संभावना है या क्या योजनायें हैं। सप्रेम काफी नाश्ते के बीच उसका उत्साह पूर्वक सब कुछ बताना बहुत भला लगा और अपने इंजीनियरों की

व्यापक दृष्टि के प्रति आस्था भाव और भी गहरा हो गया। उत्तर भारत से गए टेक्नीशियनों के स्वदेश आने-जाने की कुछ समस्याएं थीं, इसके लिए वे चाहते थे कि रायपुर से यहां के लिए बस की व्यवस्था आदि में और सुधार होना चाहिए।

कार्यालय से निकलकर लोग (कुछ अन्य लोग भी यह संयंत्र देखने आए हुए थे) बैलडी की एक खान देखने के लिए चले। अन्य खानों का किताबी ज्ञान था, अतः मन में सोच रहे थे कि कहीं नीचे उतरना होगा लेकिन जब जीप से बेलाडीला पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो लगा जैसे पहाड़ तोड़ कर ऊपर से साफ किया जा रहा है। दो तरफ बारूद के द्वारा टूटा पहाड़ी अंश पड़ा था। क्रेनों की सहायता से उनमें से लौह खनिज बड़े-बड़े ट्रकों में भरा जा रहा था। उत्सुकतावश जाकर देखा तो जो चीज पहाड़ों की चट्टान लग रही थी वह तो लौह पिंड थे अथवा लौह शिलाएं।

क्रशर में नीचे

ट्रकों में भरकर लौह खनिज को समीप लगे क्रशर में डाला जाता था। इसमें मिट्टी नीचे चली जाती थी और बड़े-बड़े लौह पिंड क्रशर में सरकते चले जाते हैं। सारा काम यांत्रिक था।

क्रशर की दो मंजिलें हैं। पहली मंजिल में गांव के तेली के कोल्हू का विराट संस्करण काम कर रहा है। इस्पात की कोल्हु के आकार की ओखली सी थी जिसमें कोल्हू की लाट सा बड़ा सा स्तम्भ जो आगे पीछे हिलता घूम रहा था। दोनों के बीच में एक स्थान पर इतना कम अन्तर था कि उसके बीच फंसकर लौह पिण्ड के छोटे टुकड़े हो जाते थे जो बाद में क्रशर के दूसरे चरण में पहुंचकर और भी छोटे हो जाते थे। दोनों चरणों में जाली की विशाल छलनियां लगी थीं जिनसे बारीक लौह खनिज अलग-अलग हो जाता था।

नीचे के खंड में दो इंच मिट्टी के आकार के लौह खनिज के टुकड़े निकलते जो कन्वेयर बैल्ट से होते हुए किरन्दूल स्टेशन के लदान प्लेटफार्म तक आ रहे थे।

इस संयंत्र की ऊंचाई करीब दो सौ फीट है। सैकड़ों कर्मचारी काम रहे थे। भारी आवाज की घरघराहट के बीच क्रशर में जब बड़े-बड़े खनिज पिंड उसमें पिसने के लिए अपने आप आगे आते तो गीता की वे पंक्तियां सहसा स्मरण हो आतीं जिनमें कहा गया है कि मनुष्य स्वयं काल के मुंह में चलते चले जाते हैं। अचेतन खनिज पिंड यंत्र से हिलते हुए क्रशर में उस स्थान पर पहुंच जाते जहां अगले ही क्षण लौह खण्ड के टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। समूचे क्रशर में धूलमय वातावरण ऐसा था कि जिसमें अधिक देर तक सांस लेने में कष्ट होता था किन्तु वहां तो लोग सवेरे से शाम तक काम करते थे। मैंने पाया कि वहां काम कर रहे अधिकांश कारीगर या टेक्नीशियन उत्तर भारत से आए हुए थे। समूचा संयंत्र नियंत्रित करने वाला कण्ट्रोल रूम सर्वथा आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित था और दो पैनलों पर बैठकर ही सारा नियंत्रण संभव था।

दंतेश्वरी देवी के दर्शन

बैलाडीला से लौटकर तीसरे पहर दन्तेवाड़ा जाने का कार्यक्रम बना। किरन्दूल से दन्तेवाड़ा करीब 40–45 कि० मी० है। वहीं जाने के लिए बस सुलभ है।

वर्षा के बाद के दिन थे, अतः चारों ओर हरियाली ही थी वैसे भी यहां घना जंगल है, जिसमें पहले सड़क पर चीते आदि जंगली जानवर अक्सर मिल जाते थे। रास्ते भर घने जंगलों के बीच-बीच चलते झरने, हरे-भरे भांति-भांति के वृक्ष दर्शक के मन को सहज ललचाते।

मैंने देखा कि रास्ते भर काली चट्टानों वाले पहाड़ फैले हुए हैं। ये काली चट्टानें और कुछ नहीं, खनिज लौह के पिंड थे। सड़कों पर भी तो मिट्टी बिछी थी वह भी लौह खनिज की ही थी।

डेढ़ेक घंटे में दंतेवाड़ा पहुंचकर सबसे पहले दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने गया। बस्तर के महाराज की अराध्यन देवी का यह मंदिर काफी प्राचीन है। कहते हैं कि यह मंदिर डेढ़ सौ वर्ष पहले का बना है। दक्षिणी शैली का प्रभाव इसकी स्थापत्य कला में स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है, हालांकि इसका ऊंचा गोपुरम नहीं था और नहीं भीतर जलाशय था। हां, इंद्रावती नदी इसके पीछे बहती है जो कुछ दूर पर अन्य नदी से मिलती है।

मंदिर में पेंट पहन कर पूजा करने का निषेध है किन्तु पुजारी जी इतने कठोर नहीं थे और मुझे देवी के रुष्ट हो जाने की धमकी देते हुए एक ओर हट गए जिससे मैंने पूजा की। पूजा के लिए मंदिर के बाहर से ही मैं नारियल पुष्प आदि लिए गया था।

भीतर मन्दिर बहुत ही सादा ढंग का बना था जिसमें वास्तुकला या मूर्तिकला की दृष्टि से अधिक कुछ भी दर्शनीय नहीं था। हां, मन्दिर का विस्तार काफी था। इस देवी की यहां के आदिवासियों में बहुत मान्यता है और लोग देवी से अपनी वांछित वस्तुएं अवश्य पा जाने की प्रार्थना किया करते हैं।

चित्रकूट जलप्रपात

जगदलपुर से चित्रकूट जलप्रपात भी करीब 45 कि० मी० था। जगदलपुर शहर के बीच से हमारी गाड़ी चित्रकूट गई थी। इसलिए बस्तर जिले के इस सदर मुकाम का विहंगम चित्र ही संभव था। कुल मिलाकर यह शहर मध्य प्रदेश के जिला स्तर के किसी शहर जैसा ही था। मध्य प्रदेश और आदिवासी संस्कृति का प्रभाव पूरे शहर की संस्कृति पर स्पष्ट था।

डेढ़ेक घंटे की यात्रा के बाद हम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्त प्रसन्न हो गया। इस स्थान पर इन्द्रावती नदी करीब सौ फीट नीचे गिरती है। वर्षा ऋतु में या उसके बाद कुछ समय तक नदी चार धाराओं में नीचे गिरती है। अन्य दिनों में विशेषकर गर्मियों में इसका वेग कम हो जाता है। यह स्थान कुछ ऐसा है कि जहां पहाड़ की चट्टान खड़ी है और नीचे जहां पानी गिरता है, सफेद झाग

की दीवार सी बन जाती है। यदि गर्मियों में भी यहां पर्याप्त पानी रहे तो यह स्थान जल विद्युत् उत्पादन के लिए तो उपयुक्त है ही, यहां बहुत ही सुन्दर पर्यटक स्थल भी बन सकता है।

इस जल प्रपात की चौड़ाई भी काफी है और आसपास घूमने का भी अच्छा स्थान है। कुछ ऊपर जलक्रीड़ा के लिए स्थान भी बन सकता है। यद्यपि प्रपात की जलधारा बड़ी तीव्र है और दूर से ही पानी गिरने की तेज आवाज सुनाई पड़ती है, फिर भी ऊपर कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां स्नान आदि संभव है। आज भी स्थानीय लोग इन स्थानों पर स्नान करते हैं। किन्तु 'जलक्रीड़ा केन्द्र' बनाने पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

चित्रकूट जल प्रपात के किनारे ही एक रैस्ट हाउस बना हुआ है, जिसे पहले से बुक कराया जा सकता है। यहां रात्रि निवास की भी सुविधा है और भोजन एवं चाय आदि का भी उत्तम प्रबन्ध है।

यह मात्र संयोग ही है कि इस स्थान का नाम भी चित्रकूट है और यहां के लोग इसे भगवान राम के निवास से ही जोड़ते हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो चित्रकूट इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम की ओर है जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां के लोगों के मतानुसार गीधम नामक वर्तमान स्थान जो दंतेवाड़ा से अगला स्टेशन है, यही वह जगह है, जहां जटायु ने रावण से सीता की मुक्ति के लिए युद्ध किया था और अपने प्राण गंवाए थे।

इस क्षेत्र के निवासियों के मतानुसार श्रृंगवेर पुकोट्टा ही पुराना श्रृंगवेरपुर है। इन स्थानों की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए गहन पुरातात्विक खोज की आवश्यकता है। कहते हैं कि भगवान राम की लंका यात्रा के मार्ग की गहन खोज करने की योजना पर काम चल रहा है। इस काम के पूर्ण होने पर इन स्थानों की ऐतिहासिकता पर उपयुक्त प्रकाश पड़ सकेगा।

आदिवासी बाजार

चित्रकूट से चलते समय लोगों को बंहगियों में सामान कंधे पर ले जाते हुए देखा। लगभग हर बंहगी पर या पैदल चलने वाले के हाथ में एक बोतल देखी। मैंने सोचा ये लोग कहीं जाकर शराब के ठेकेदार से दारू लेते होंगे। ड्राइवर से कहा तो वह बोला कि ये लोग पैंठ में जा रहे हैं। आदिवासियों का बाजार देखने की उत्कंठा मन में जागी और ड्राइवर से कहा तो वह बोला आधा समय है, इतने में ही जाना-आना देखना सब कुछ कर सको तो चलो। मैंने हामी भर ली तो उसने कुछ आगे चलकर गाड़ी मोड़ी और हम (मेरे साथ जगदलपुर के रेलवे डाक्टर भी थे) बाजार में पहुंच गए।

सभी प्रकार की वस्तुओं की छोटी-छोटी दुकानें लगाए लोग बैठे थे। मुश्किल से पचास दुकानें या बेचने वाले खोखे थे। सब्जियां, कपड़े, प्रसाधन की सस्ती चीजें, खाने की चीजें, गल्ला आदि सभी था। पूरी एक लौकी चार आने में थी, सूखे महुवे बहुतायत से बिक रहे थे। खाने के अन्न के स्थान पर अधिकांशतः बाजरा या चावल था जो बहुत ही मोटा था। दस्तकारी की चीजों में मुझे बांस की छोटी सी कंघी ने बड़ा आकृष्ट किया जिसमें बांस की तीलियों को सफाई से पतला करके धागे से इस तरह बांधा गया था कि कंघी बन जाती थी। इसकी कीमत थी मात्र चार आने। कंघी लेकर मैं सोचने लगा कि इसे बनाने में कितना समय लगा होगा जिसका मूल्य था चार आने। इस प्रकार इन गरीबों के शोषण का कोई अन्त है?

एक तरफ सबसे अधिक भीड़ थी मिट्टी के तेल वाले की दुकान पर। जो बोतलें लोगों के हाथ में थी उनमें वे मिट्टी का तेल भरा रहे थे। इस मिट्टी के तेल की एक बोतल के लिए ये लोग न जाने कहां से कितनी दूर पैदल चल कर आए होंगे। आदिवासी जीवन के परिश्रम और एक ही कपड़े में शरीर ढकीं औरतें तथा प्रायः नंगे बदन पुरुषों के काले शरीर उनके जीवन के कटु यथार्थ की झांकी दिखाते थे।●

मध्य प्रदेश के वन········[पृष्ठ 17 का शेषांश]

के अनुसार पूरे खर्चे का आधा भाग आदिवासियों से संबंधित स्कीमों पर खर्च किया जायेगा। इसी तरह खेती के क्षेत्र में करीब एक करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इसी दौरान करीब 1800 किलोमीटर लम्बे वन मार्ग बनाए जाने की योजना है। जब वन मार्ग बन कर तैयार हो जाएंगे, तो वनों से मिलने वाली सामग्री की निकासी के द्वारा राज्य की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। भूमि संरक्षण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके जरिये 18 हजार हैक्टेयर बीहड़ क्षेत्रों में वन लगाने की योजना है। जब वन लग जायेंगे, तो उसमें हर साल 150 आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर वन विभाग में 'वन रक्षक' और 'वन पाल' के रूप में काम दिया जायेगा।

मतलब यह कि हाल में नए प्रशासन द्वारा वन विकास का जो बहुमुखी कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि वन संपदा में नियोजित वृद्धि होती रहे और साथ ही वनवासियों और आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके। चालू वर्ष में ही वन संपदा के विकास और आदिवासी युवकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी है। भूमि संरक्षण के काम में भी तेजी आयी है। आशा है, इन प्रयत्नों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में एक नए युग का सूत्रपात हो सकेगा। जन-जीवन समृद्ध हो सकेगा और निकट भविष्य में वनवासियों और आदिवासियों की दशा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। उस सुनहरे भविष्य की ओर यहां की जनता की आंखें लगी हैं।●

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
कृषि भवन
नई-दिल्ली

हरी-भरी झूमती फसलें

मध्य प्रदेश मूलत: एक कृषि प्रधान राज्य है। यह प्रदेश न केवल खाद्यानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है अपितु अच्छी वर्षा होने पर 10 से 20 लाख टन तक अनाज का निर्यात भी करता है। राज्य की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और 53 लाख कृषक परिवार 185 हैक्टेयर भूमि पर जोत कार्य करते हैं जबकि जोत जमीन में मात्र 13 प्रतिशत ही सिंचित है।

मध्य प्रदेश में छोटे किसान अधिक हैं और 32 प्रतिशत किसानों के पास तो एक हैक्टेयर से भी कम जमीन है। इसी प्रकार एक से दो हैक्टेयर जमीन 17 प्रतिशत किसानों के पास है और सीमांत तथा लघु कृषकों के पास मात्र 9.7 प्रतिशत जमीन है। आदिवासी तथा हरिजनों की आबादी कुल जनसंख्या का क्रमश: 21 तथा 13 प्रतिशत है।

यह राज्य देश की उपज का करीब 10 प्रतिशत खाद्यान्न पैदा करता है। दालों के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और देश की कुल दलहन उत्पादन का 20 प्रतिशत इस राज्य में उत्पन्न होता है।

राज्य में कृषि विकास का भविष्य सिंचाई साधनों के दोहन पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत भूमिगत जल के उपयोग में वृद्धि की जानी है। सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से भूमि की उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग का भी महत्व कम नहीं है। क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में तथा भूमि प्रबन्ध की उपयुक्त विकसित तकनीको की सहायता से काली मिट्टी के क्षेत्र में लाभदायी खरीफ की फसलों तथा नकद फसलों, फलों तथा सब्जियों की फसल प्राप्त करने का भी प्रयास जरूरी है।

राज्य में 1974–75 और 1977–78 के बीच 2.27 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि दर्शायी गयी है। वर्ष 1977–78 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 121.14 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच चुका था।

मुख्य फसलों का वर्ष 1977–78 में वास्तविक उत्पादन और छठी योजना और वर्ष 1979–80 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :—

फसल	1977–78 का उत्पादन (लाख टनों में)	छठी योजना का लक्ष्य (लाख टनों में)	1979–80 का लक्ष्य (लाख टनों में)
चावल	43.95	47.00	40.00
गेहूं	29.36	36.00	32.00
मक्का	5.50	7.00	6.50
ज्वार	14.21	18.00	17.00
अन्य	7.28	17.00	5.00
दालें	20.80	30.00	26.50
कुल योग	121.14	145.00	127.00
तिलहन	633	1150	950
गन्ना	2,390	2,800	2,250
कपास	270	450	450

यह कार्यक्रम जहां भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुईं, तेजी से अपनाया गया है। 1978–79 में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का क्षेत्र 35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आंका गया है। छठवीं योजना तक यह लक्ष्य 56 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाना प्रस्तावित है। असिंचित क्षेत्रों को भी सुधरे हुए बीज की बुआई के अंतर्गत लिया जा रहा है। सरकारी कृषि प्रक्षेत्र वर्तमान में आठ हजार टन सुधरे हुए बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों की बढ़ती मांग को देखते हुए छठवीं योजना के अंतर्गत बीज एवं कृषि प्रक्षेत्र निगम की स्थापना प्रस्तावित है।

उर्वरकों का उपयोग

राज्य में वर्ष 1971–72 में उर्वरकों का उपयोग 0.81 लाख टन तक किया गया। चालू वर्ष में यह अनुपात 2.10 लाख टन तक पहुंचने की आशा है। छठवीं योजना के अंत तक यह मात्रा 4.30 लाख टन तक पहुंचाना प्रस्तावित है। अब जबकि नाइट्रोजन खाद के स्थान पर फास्फेट खाद का उपयोग बढ़ गया है, पोटाशिक खाद का अनुपात अभी भी संतोषप्रद नहीं है। इसीलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि छठवीं योजना के अंतर्गत पोटाशिक खाद के लिए 10 प्रतिशत अनुदान दिया जाए। विशेषत: खाद वितरण के मौसम में खाद की कमी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि सहकारी समितियां गैर मौसमी समय में रखे गए खाद के स्टाक पर कृषकों को ब्याज अनुदान प्रदान करें।

सुधरे हुए बीजों की बुआई के अंतर्गत पौध संरक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद के लिए कृषकों को रियायतें दी जा रही हैं और छठवीं योजना में इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार किया जा रहा है। फसल मौसम के समय कीटनाशकों के अभाव को दृष्टिगत रख कर आवश्यक रसायनों का स्टाक अग्रिम रूप से रखने के लिए कृषि औद्योगिक निगम को विशेष सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। कीटाणुओं एवं बीमारियों के खतरनाकरूप से बढ़ने पर उसका नियंत्रण अत्यन्त कठिन हो जाता है। अत: उसके प्रसार को रोकने के लिए पर्यवेक्षक दल गठित करना प्रस्तावित है।

सोयाबीन

खरीफ मौसम के दौरान लगभग 50 लाख हैक्टेयर काली जमीन बेकार पड़ी रहती है, क्योंकि धान के अतिरिक्त और कोई फसल पानी का ठहराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोयाबीन ही एक ऐसी फसल है जो काली जमीन में सिंचाई साधनों के अभाव में भी अच्छी तरह ली जा सकती है। फलत: अधिकाधिक जमीन पर सोयाबीन फसल लेने की महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की जाएगी। राज्य में वर्ष 1970–71 में दो हजार हैक्टेयर भूमि पर सोयाबीन बोया गया था। जो वर्ष

1978–79 में बढ़कर दो लाख हैक्टेयर हो गया। छठवीं योजना में पांच लाख हैक्टेयर भूमि में सोयाबीन की खेती प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की मदद से एक विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना भी क्रियान्वित की गई है। वर्ष 1977-78 में पांच और 1978-79 में दस जिलों को योजना के अंतर्गत लिया गया है। इसी आधार पर ही जर्मन सरकार की मदद से परियोजना का भी विस्तार कार्य किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को स्थल सहायता प्रदान की जाएगी। 600 कृषकों के लिए एक ग्रामसेवक और छः ग्रामसेवकों के लिए एक कृषि विस्तार अधिकारी तथा प्रत्येक तीन विकास खंडों के लिए एक अनुविभागीय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर भी विषय से संबंधित एक-एक विशेषज्ञ उपलब्ध कराये जाएंगे। भारत सरकार की अनुशंसा पर यह कार्यक्रम क्रमानुसार राज्य के शेष 29 जिलों में भी लागू किया जाएगा।

उद्यान विकास कार्यक्रम

यद्यपि राज्य में सभी प्रकार की सब्जियों तथा फलों के लिए उपयुक्त मिट्टी एवं जलवायु उपलब्ध है तथापि केवल 70 प्रतिशत क्षेत्र ही इसके अंतर्गत है। इस दृष्टि से राज्य महत्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। राज्य में अभी 101 नर्सरी हैं। यह भी निश्चित किया गया है कि प्रत्येक 120 बीज उत्पादक परिक्षेत्रों पर एक नर्सरी और स्थापित की जाएं। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में फल एवं सब्जियों की 180 नई नर्सरियां स्थापित की जाएं। दो नये सब्जी बीज परिक्षेत्र भी प्रारम्भ किये जाएंगे। फल एवं सब्जी प्रक्रिया प्रशिक्षण संस्थान राज्य के सभी संभागों में स्थापित किये जाएंगे। साथ ही बड़े शहरों के आसपास सब्जी विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। परियोजना में रुचि रखने वाले किसानों को नये फलोद्यानों के लिए 45 हजार हैक्टेयर तथा सब्जियों के लिए 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सहायता दी जायेगी। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस नये पौधरोपण के लिए पर्याप्त सहायतानुदान भी दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल एवं सब्जी उपलब्ध कराने तथा उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए फल एवं सब्जी उत्पादक समितियां भी प्रस्तावित हैं।

लघु सिंचाई योजना

राज्य में 4.80 करोड़ एकड़ फीट उपलब्ध भूमिगत जल में से उपलब्धता के आधार पर 50 प्रतिशत अर्थात् 2.40 करोड़ एकड़ फीट भूमिगत जल का दोहन किया जाना चाहिए किंतु वर्तमान में केवल 0.45 करोड़ एकड़ फीट जल का ही दोहन हो रहा है। इस प्रकार भविष्य के दोहन के लिए 0.95 करोड़ एकड़ फीट जल उपलब्ध है। यदि 0.15 करोड़ एकड़ फीट जल नल कूपों के लिए छोड़ भी दिया जाए, फिर भी 1.80 करोड़ एकड़ फीट भूमिगत जल 36 लाख सिंचाई कूपों के लिए उपलब्ध रहेगा। दोहन की इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए छठवीं पंचवर्षीय योजना में 5 लाख नये सिंचाई कूपों का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तावित है। दो हैक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति तथा सीमांत एवं छोटे कृषकों को 50 प्रतिशत की दर से तथा चार हैक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसानों को 33.33 प्रतिशत की दर से तथा 10 हैक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को 25 प्रतिशत की दर से उदार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। एक लाख पुराने कुंओं की मरम्मत भी प्रस्तावित है।

भूमि एवं जल संरक्षण

सिंचित क्षेत्र के सीमित होने से यह कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पांचवीं योजना में लगभग 3.53 लाख हैक्टेयर भूमि विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत रखी गई थी। भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जाएगा।

विश्व बैंक तथा पश्चिम जर्मनी सरकार की वित्तीय सहायता से चंबल और तवा परियोजनाओं में क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सिंचाई क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करने के लिए नहरों का निर्माण तथा भूमि के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। जहां जल निकास की समस्या गंभीर है वहां जल निकास नहरें बनाई जा रही हैं। क्षेत्र के सम्यक् विकास के लिए सड़कें एवं बाजार भी बनाये जा रहे हैं। एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाललली, बरना, खारन, हर्षदेव, मनियारी परियोजनाओं में भी छठवीं योजना में प्रस्तावित हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सिंचाई की नहरों तथा जल निकास की नहरों का कार्य हाथ में लिया जाएगा। ●

उत्पादकता जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका है।

खेत खेत जल से आप्लावित हो, मेंड़ मेंड़ हरियाली छाये

बीहड़ भूमि इस जलधारा की बदौलत सोना उगलने लगी है

सदियों से भारतीय किसान हर वर्ष आसमान की ओर हाथ फैला कर पानी की याचना करता आ रहा है । पानी कभी समय पर आता है और कभी नहीं भी । मानसून की इस खिलवाड़ का अर्थ होता है कभी सूखा और कभी बाढ़ । मध्य प्रदेश के किसान भी सदियों से इस स्थिति का सामना करते आ रहे हैं । कृषि के लिए पानी आवश्यक है चाहे वह किसी भी स्रोत से मिले ।

मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का विशालतम राज्य है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 443 लाख हैक्टेयर है । इसमें से 1976-77 में बोया गया क्षेत्र 185 लाख हैक्टेयर था । मध्य प्रदेश में वर्षा सामान्य रूप से 70 सें० मी० से 160 सें० मी० होती है । प्रत्येक वर्ष वर्षा का दौर प्रायः अनिश्चित रहता है फिर भी वर्षा से 1500 एकड़ फुट जल प्राप्त होता है । इसमें से करीब 45 प्रतिशत पानी का उपयोग 105 लाख एकड़ फुट सतह जल, 260 लाख एकड़ फुट भूजल कुल 1760 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकता है जो राज्य के बोए गए क्षेत्र का 55 प्रतिशत है । इसमें से 1977-78 तक केवल 14 प्रतिशत बोए गए क्षेत्र को ही सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सका है । स्पष्ट है कि भारी मात्रा में जल का अभी भी समुचित उपयोग नहीं किया जा सका है और इसका पूरा लाभ लेने के लिए एक लम्बी मंजिल तय करनी होगी ।

इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि वर्ष 1976-77 में शासकीय साधनों से सिंचित क्षेत्र 8.3 प्रतिशत, निजी साधनों से 2.4 प्रतिशत इस प्रकार कुल 10.7 प्रतिशत था जो 1977-78 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया । वर्ष 1978-79 में सिंचाई के क्षेत्र में जो प्रयत्न किए गए उससे सिंचित क्षेत्र 17 प्रतिशत तक होने का अनुमान है । इससे यह स्पष्ट है कि जनता सरकार सिंचाई साधनों को बहुत महत्व दे रही है जिसके फलस्वरूप दो वर्षों में सिंचित क्षेत्र लगभग डेढ़ गुना हो गया है । निश्चय ही यह एक बड़ी सफलता है ।

छठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई प्रतिशत को शासकीय साधनों से 16 एवं निजी साधनों से 7 इस तरह कुल 23 प्रतिशत तक लाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसे प्राप्त कर लेने पर राज्य सिंचाई के राष्ट्रीय औसत 27 प्रतिशत से थोड़ा ही कम होगा । इसके लिए छठवीं योजना में सिंचाई कार्यक्रमों पर कुल 1054 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है ।

सिंचाई साधनों के लिए वित्तीय आवंटन में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी की जा रही है । वर्ष 1976-77 में सिंचाई कार्यक्रम पर 94 करोड़ रु० और 1977-78 में 106 करोड़ रु० व्यय हुआ जबकि 1978-79 में 138 करोड़ रु० व्यय का अनुमान है । इस प्रकार 1976-77 की तुलना में गत वर्ष का आवंटन 47 प्रतिशत अधिक है ।

वृहद् सिंचाई योजनाएं

वृहद् परियोजनाओं का कार्य निरन्तर प्रगति पर है । गत वर्ष कई वृहद् परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया । वर्ष 1978-79 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 322 करोड़ रु० लागत वाली बाणसागर परियोजना की आधार-शिला रखी गई जिस पर अब कार्य पूरे जोर से चल रहा है । 75 करोड़ लागत की राजघाट परियोजना पर भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त 227 करोड़ लागत की नर्मदा सागर, 18 करोड़ रु० लागत की बरियारपुर एवं 12 करोड़ रु० लागत की बावनथड़ी परियोजनाओं का कार्य भी तेजी से चल रहा है ।

77 करोड़ रु० लागत की महानदी जलाशय परियोजना, 200 करोड़ रु० लागत की बरगी परियोजना, 51 करोड़ रु० लागत की अपर बैनगंगा परियोजना एवं 115 करोड़ रु० लागत की हसदेव बांगो परियोजनाओं पर भी कार्य काफी आगे बढ़ चुका है ।

इसके अतिरिक्त चंबल, तवा तथा हसदेव दांई नहर, बारना जैसी वृहद् परियोजनाओं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं से सिंचाई में तीव्र गति से

वृद्धि हो रही है एवं कृषक इन परियोजनाओं से लाभ उठा रहे हैं।

मध्यम सिंचाई योजनाएं

पचास करोड़ रु० की लागत की 84,000 हैक्टेयर सिंचाई हेतु 19 मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में गतिशील है। 135 करोड़ रु० की लागत से 3,70,000 हैक्टेयर सिंचाई हेतु 39 मध्यम परियोजनाओं में कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए लागत से 28,000 हैक्टेयर सिंचाई हेतु 11 परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है एवं इनसे सिंचाई प्रारम्भ की गई है।

लघु योजनाओं का जाल

19 करोड़ रु० लागत से 35,000 हैक्टेयर सिंचाई हेतु 108 नई लघु योजनाओं को राज्य शासन द्वारा वर्ष 1978-79 में प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 152 करोड़ रु० की लागत से 4.5 लाख हैक्टेयर सिंचाई हेतु 1,358 लघु योजनाएं प्रगति पर हैं। 190 करोड़ रु० की लागत की 55,000 हैक्टेयर सिंचाई हेतु लगभग 200 योजनाएं गत वर्ष पूरी की गईं जिनसे सिंचाई प्रारम्भ की गई है।

उत्सिचाई निगम

16 लाख रुपए की लागत से 1,050 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता की तीन उत्सिचन परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं एवं इनसे सिंचाई प्रारम्भ हो गई है। 172 लाख रु० की लागत से 9,400 हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 19 योजनाएं प्रगति पर हैं।

483 लाख रु० की लागत से 23,400 हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 52 परियोजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। 713 लाख रु० की लागत से 31,000 हैक्टेयर की संभावित सिंचाई हेतु 49 योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

आदिमजाति उप-योजना

आदिमजाति के लोग मध्य प्रदेश के 38 प्रतिशत क्षेत्र में बसे हैं। इनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 20 प्रतिशत है पूरे राज्य में 31 परियोजनाएं एवं 11 लघु आदिमजाति विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। आदिम जाति क्षेत्र में मार्च 1978 तक कुल उपलब्ध सिंचन क्षमता, 1.4 लाख हैक्टेयर है जो केवल 2.9 प्रतिशत है। अतएव इस क्षेत्र में सिंचाई के विकास हेतु एक बड़ा काम करना होगा जिसके लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

वर्ष 1978-79 में सिंचाई में 29,000 हैक्टेयर की वृद्धि की जा चुकी है जिससे यह स्पष्ट है कि एक ही वर्ष में सिंचाई में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छठी योजना में आदिम जाति क्षेत्र में सिंचाई क्षमता को 4.5 लाख हैक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इस क्षेत्र में केवल शासकीय साधनों से ही सिंचाई प्रतिशत 9.3 हो जाएगा जो 1977-78 के प्रतिशत से लगभग तिगुना है।

हरिजन कल्याण योजना

मध्य प्रदेश में 19 ऐसे जिले हैं जिनमें हरिजनों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है। इन जिलों में सिंचाई का औसत प्रतिशत 12.5 है जो कि वर्ष 1976-77 में राज्य के औसत सिंचाई प्रतिशत 10.7 से कुछ अधिक ही है। 8 वृहद्, 22 मध्यम एवं 443 लाख रु० की लागत से 227 चालू लघु योजनाओं से इन जिलों में छठी योजना के अन्त म 2.5 लाख हैक्टेयर सिंच की वृद्धि हो जाएगी।

नर्मदा घाटी का विकास

यह प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो देश में सबसे बड़ी होगी। इसमें 29 वृहद् 450 मध्यम एवं 3,000 से भी अधिक लघु योजनाओं के निर्माण का कार्यक्रम है। 1978 की मूल्य दर से नर्मदा घाटी के पूरे विकास की कुल लागत 3,185 करोड़ रु० होगी। बरगी, नर्मदा, सागर, कोलार, ओंकारेश्वर और महेश्वर इन पांच वृहद् परियोजनाओं को शीघ्र अन्य 16 वृहद् परियोजनाओं को दो वर्ष बाद एवं बची हुई 8 परियोजनाओं को द्वितीय चरण में 12 वर्ष बाद कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस तरह पूरा कार्यक्रम 22 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। नर्मदा घाटी के विकास से कुल 27.55 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता एवं 906 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध होगी। इससे राज्य के सिंचाई प्रतिशत में 15 की वृद्धि होगी।

नर्मदा घाटी का विकास एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और यह स्वाभाविक है कि इसे सामान्य योजना निधि से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अतएव सभी परियोजनाओं के प्राक्कलनों को अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार तैयार किया जाएगा और उन्हें

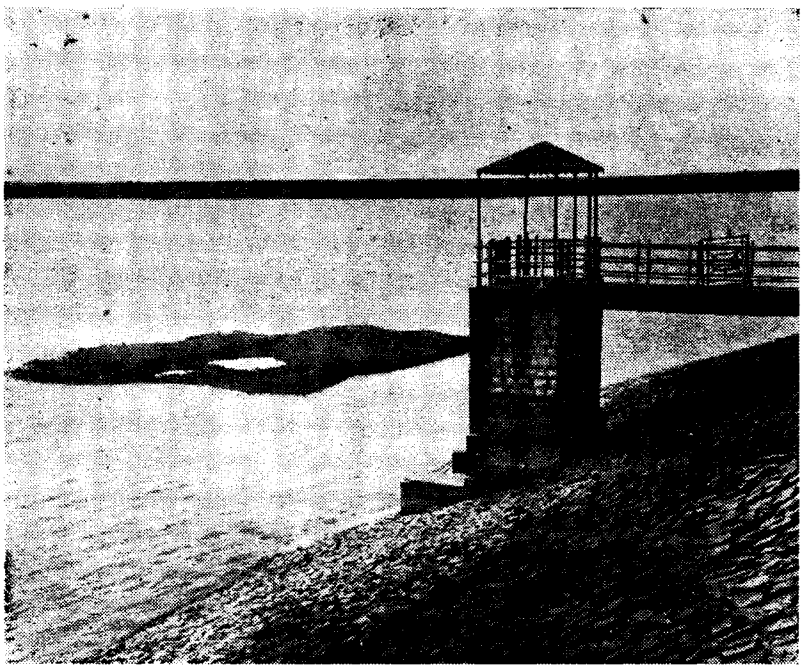

लघु सिंचाई योजना का एक दृश्य

अन्तर्राज्यीय बैंकों से सहायता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा । शासन ने इस कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी है एवं इसके लिए पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्थापना की स्वीकृति दी है ।

अन्तर्राज्यीय मध्य प्रदेश देश के बीचोंबीच स्थित है । यह एक पठार पर है जहां से नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल, बेतवा, माही तथा महानदी ये सात बड़ी नदियां निकलती हैं एवं राज्य में ही एक लम्बी दूरी तय करके पड़ोसी राज्यों में प्रवेश करती हैं। मध्यप्रदेश की उपर्युक्त सतही एवं भौगोलिक स्थिति से कई अन्तर्राज्यीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उपलब्ध साधनों का राज्य में ही इसके विकास हेतु उपयोग हो जाए इसके लिए अग्रिम कारवाई करना आवश्यक भी हो जाता है । प्रदेश का वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के साथ अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मंडलों के द्वारा इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

रोजगार की व्यवस्था

सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जो तेजी से बढ़ रहा है और तकनीकी और गैर-तकनीकी व्यक्तियों को सीधे रोजगार देने हेतु अवसर प्रदान कर रहा है । 11 मुख्य अभियन्ताओं, 8,500 अन्य तकनीकी व्यक्तियों, 11,500 गैर तकनीकी व्यक्तियों एवं कुल 20,000 व्यक्तियों को रोजगार देने की विभाग की वर्तमान क्षमता है । अगले पांच वर्षों में यह रोजगार क्षमता लगभग दुगनी हो जाएगी । इस प्रकार राज्य के प्रत्येक तकनीकी व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा । सीधी रोजगार क्षमता के अतिरिक्त राज्य में निर्मित या निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लगभग 2.5 लाख कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है । जैसे-जैसे सिंचाई का विस्तार बढ़ेगा यह रोजगार क्षमता प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी ।

उपसंहार

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मध्य प्रदेश जल साधनों से समृद्ध है एवं राज्य के 55 प्रतिशत बोए गए क्षेत्र को हम आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं । अभी तक सिंचाई के विकास की गति प्रतिवर्ष एक प्रतिशत से भी कम रही है परन्तु गत वर्ष तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई । छठी योजना के अन्त तक सिंचाई प्रतिशत को 23 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सिंचाई का एक विशाल कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।

विकास हो रहा है, पर जनसंख्या वृद्धि उसे लीलती जा रही है ।

शिव कुमार कौशिक

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसे बचपन से कई बार देखा, पर यह तब की बात है, जब वह भोपाल रियासत की राजधानी थी । सन् 1947 को दिसम्बर मास में मैं अंतिम बार इधर से गुजरा था, और अब सन् 1977 का सितम्बर मास था । लगभग 3 दशक बाद मैं फिर चिर परिचित रेल-मार्ग पर था । वैसे स्वयं भोपाल भी काफी बदला हुआ नजर आया, पर बदलाव का खास अहसास तब हुआ जब रेलगाड़ी भोपाल स्टेशन की सीमा को लांघ उज्जैन की दिशा में आगे बढ़ी । रेल में बैठे-बैठे ही जिस चीज ने सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया वह खीरा था, जो पहले देखे गए खीरे के मुकाबले अधिक बड़ा और बजनदार मालूम हो रहा था । 'लगता है, इस बीच इधर खीरे ने काफी तरक्की की है ।' जब मैंने अपने पास बैठे एक युवक से कहा तो वह हंस उठा । 'वाह, खीरा भी कोई इंसान या स्थान है, जो तरक्की करेगा ?"

मैंने उसे समझाया, मेरा मतलब है इस बीच खीरे की फसल पर काफी ध्यान दिया गया है । पहले वह इस तरह न रेलगाड़ी में तराशा और संवार कर बिकता था और न ही वह देखने में इतना बड़ा होता था । 'आप कब की बात कर रहे हैं ?

'हां, इधर मालवा वाले इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष पहले आया था, पर इधर चम्बल पर बने गांधी सागर बांध को कोई 2 वर्ष पहले देख चुका हूं । उधर तो चम्बल की बिजली के कारण खेती के तौर-तरीकों में काफी अंतर आया है, और उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, इधर का पता नहीं, पर इस खीरे को देखने से पता चलता है कि हालात इधर कुछ बदले हैं ।"

रेल गाड़ी में बैठे बैठे जिस दूसरी बात का अहसास हुआ, वह यह थी कि स्टेशनों के बीच के फासले कुछ कम हो गए हैं । मार्ग वही था, गाड़ी भी वही पुरानी जैसी थी, पर स्टेशनों की संख्या बढ़ गई थी । अर्थात् रेल यात्रा की सुविधा मार्ग पर पड़ने वाले या आस-पास के और गांवों के निवासियों के लिए उपलब्ध कर दी गई थी । लेकिन असली बदलाव सीहोर स्टेशन पर महसूस हुआ, वहां छात्रों की काफी भीड़ थी । पूछने पर पता चला कि सीहोर में इस समय एक पोलिटेक्नीक और एक कृषि कालेज है, और उनमें आसपास तथा दूर तक के गांवों के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं । सुबह अपने गांवों से आते हैं और शाम को लौट जाते हैं । गांवों में उच्च शिक्षा के लिए इतनी संख्या में आते छात्रों को देख खुशी हुई ।

30 वर्ष पहले इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कारण, सीहोर में तब शिक्षा व्यवस्था का नितांत अभाव था। अब वह शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र था, साथ ही उद्योगों के क्षेत्र में भी वह उभर रहा था। यदि मैं यह कहूं कि वहां एक चीनी मिल के लगने की बात सुन मुझे आश्चर्य हुआ तो शायद कुछ को हैरानी होगी : लेकिन जिन लोगों ने पहले के रियासती शासन के रंग-ढंग देखे हैं वे चीनी मिल के लगने पर आश्चर्य किए बिना नहीं रहेंगे। वस्तुतः चीनी मिल के लिए जिस उन्नत किस्म के गन्ने की आवश्यकता होती है, वह पहले इधर होता नहीं था और वैसा गन्ना पैदा करने के लिए जिस तरह की कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की दरकार होती है, उन्हें जुटाने की तरफ भोपाल के नबाब साहब की तो क्या किसी राजा महाराजा का भी ध्यान नहीं था। यहां संदर्भवश यह कह देना आवश्यक होगा कि जिस तरह का छोटा गन्ना इधर मालवा में होता था वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता था, पर बाद में चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार गन्ने की नसल को काफी जल्दी सुधार लिया गया था। गन्ने की नसल सुधार के लिए यूं कई चीजों की जरूरत होती है पर अन्य सभी बातें बेकार हो जाती हैं अगर सिंचाई की माकूल व्यवस्था न हो। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जितनी जल्दी हो गन्ने की विकास सम्बन्धी सुविधाओं को जुटा लिया गया, वैसी सुविधाएं इधर जुटाना स्वप्न की सी बात लगती थी। बहरहाल अब इधर भी किसानों को वे सुविधाएं प्रदान कर दी गई थीं, और पहले जो रियासती शासन के कारण असंभव प्रतीत होता था वह संभव में बदल चुका था। रेलगाड़ी में बैठे-बैठे कुछ दूरी पर ईख के जो खेत नजर आ रहे थे उन्हें देख कर ऐसा लगता था कि खीरे की तरह गन्ने ने भी इस बीच काफी तरक्की की है। गन्ने की अच्छी फसल के कारण गांवों में भी तरक्की हुई है, यह बात सीहोर स्टेशन पर खड़े ग्रामीण छात्रों के लिबास को देखकर स्पष्ट हो जाती थी। दरअसल, गांवों से इतनी संख्या में युवकों का शिक्षा के लिए निकल आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। पहले न इस तरह की शिक्षा की सुविधा प्राप्त थी और न ही ग्रामीणों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की क्षमता थी। इस बीच शिक्षा का इधर कितना प्रचार-प्रसार हुआ है, यह बात मकसी में भी देखने को मिली।

मकसी पहले ग्वालियर रियासत में था। उसे मैं बहुत पहले से ही या यूं कहो बचपन से ही देखता आया था और वहां एक साधारण स्टेशन भी नहीं था। वहां परिवारों की दशा से भी सुपरिचित था। मकसी स्टेशन पर गाड़ी में बैठे-बैठे जिस बात को देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई वह यह थी कि अब भोपाल–उज्जैन रेलवे लाईन से एक नई रेलवे लाइन गुना के लिए निकाल दी गई थी। इस रेलवे लाइन के कारण न जाने कितने गांवों को रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। उधर माल की ढुलाई में सुविधा हो जाने से अधिकाधिक व्यापार की संभावनाएं बढ़ी हैं। पहले इस मार्ग पर पड़ने वाले अधिकांश गाँव इससे वंचित थे और एक प्रकार से ये अति पिछड़े थे। बहरहाल, मकसी पहुंचने पर और भी कई बातें ऐसी देखने को मिलीं जिनकी पहले कल्पना तक भी नहीं की जा सकती थी। वैसे बिजली पहुंचाने वाले ऊंचे-ऊंचे खम्बे भोपाल से निकलते ही प्रायः समूचे मार्ग पर देखने को मिले, उन्ही के साथ नलकूपों के भी दर्शन हुए। पर इसका ग्रामीणों को क्या लाभ पहुंचा, यह मकसी में निकट से देखने के अवसर पर मिला।

मकसी में मैं स्टेशन स्थित एक ऐसे मराठा परिवार को जानता था, जो पहले खेती भी करता था और स्टेशन पर मजदूरी भी। लेकिन इस दोहरे धंधे के बावजूद परिवार के सदस्यों को न भर पेट खाना मिलता था और न ही पहनने को ठीक कपड़ा। पर अब उसी परिवार के रहन-सहन में भारी परिवर्तन आ गया था। इस परिवार के सदस्य आनन्दा ने बताया कि जिस जमीन में उसका पिता खेती करता था उसमें पैदावार बढ़ती गई है। उसकी बचत से और जमीन भी खरीद ली गई है। जब इससे उसकी उन्नति का रहस्य पूछा गया तो उसने खेत देख आने का सुझाव दिया। वहां बिजली चलित नलकूप था और इसी नलकूप के चारों ओर उसके खेत थे। खेतों में गन्ना और मक्का के अलावा, एक खेत में धान भी था जिसके बारे में उसने बताया कि यहां नए किस्म के धान की खेती का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा उसने गन्ने की किस्म सुधार ली थी, वैसे ही मक्का का उत्पादन भी बढ़ा लिया था। इसके अलावा, वह सोयाबीन भी बोने लगा है। पहले यहां सोयाबीन को कोई जानता तक नहीं था। सोयाबीन के अलावा, वह सूरजमुखी की खेती की भी योजना बना रहा था और इसी के साथ यह भी कि वह पाइप लाइनों द्वारा हर खेत को नलकूप से जोड़ देना चाहता है। उसके शब्दों और स्वरों में फुर्ती और आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अपना उत्पादन और बढ़ाने की वह भावी योजना की बात कर रहा था। यह उसका पूर्णतः परिवर्तित दृष्टिकोण था। दरअसल पहले उसका अपने पिता की तरह भविष्य के प्रति कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। कारण? जो जमीन पहले उसके पिता जोतते बोते थे वह पास ही एक अन्य गांव झोकर के पटेल की थी। उसमें तब जो कुछ पैदावार होती थी उसका एक बड़ा भाग पटेल को चला जाता था। अब वह जमीन भूमि सुधार के अन्तर्गत उसने अपने कब्जे में करली। "मुझे उसके लिए मुकद्दमा लड़ना पड़ा," आनन्दा ने बताया। मुकद्दमे में वह जीत गया और वहीं से उसकी जिन्दगी की जीत का क्रम शुरू हो गया। इसमें सरकार की कृषि विकास सम्बन्धी परियोजनाओं का भी योगदान रहा। जमीन अपनी हो जाने से उसे कर्ज मिलने में सुविधा हुई और कर्ज से एक बहुत बड़ी तथा बुनियादी समस्या जोकि सिंचाई व्यवस्था की थी, हल हो गई। फिर उर्वरक व उन्नत बीजों आदि की सुविधा भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा वह यह मान रहा था कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने तरह-तरह के प्रयोग कराए और उतनी ही जमीन में विभिन्न फसलें उगा कर आमदनी बढ़ाई। पहले ऐसी सलाह देने कौन आता था? यह कह कर वह हंसा और फिर बोला, 'हमारे देखते ही जमाना बदल गया'।

मकसी में इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन यह देखने में आया कि कृषि और घर पर दोनों ही जगह बिजली देखने को मिल रही थी। घर में बिजली के

पंखे चल रहे थे, तो रोशनी भी हो रही थी, लेकिन बिजली में चमत्कार की कितनी शक्ति छिपी है यह उस विस्तृत भूखण्ड में देखने को मिली जो न जाने कब से बंजर पड़ा था। मकसी गांव जो बम्बई-आगरा रोड पर है और मकसी जंकशन के बीच का यह भूखण्ड कभी छोटे रास्तों का काम करता था पर अब वह बन्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां पगडंडी तक के लिए जमीन छोड़ना उचित नहीं समझा गया। वह पूरा क्षेत्र अब कृषि के अन्तर्गत है और उसमें हर तरह की फसल उगाई जा रही है। इसका श्रेय वहां लगे नलकूप को है और फिर ट्रैक्टर को और फिर उन कृषि-विशेषज्ञों को, जिन्होंने जमीन को न सिर्फ उपजाऊ बनाया बल्कि फसल उगाने में भी मदद पहुंचाई। इस उपेक्षित भूखंड को उपजाऊ बनाने से मकसी का कृषि योग्य क्षेत्रफल बढ़ गया है, पर उसी के साथ मकसी भी इतनी बड़ी प्रतीत होती है। गांव और स्टेशन के बीच की जो कच्ची और टूटी-फूटी सड़क प्रायः सुनसान नजर आती थी उसके दोनों ओर कई मकान बन गए हैं अर्थात् आबादी बढ़ गई है। उसी के साथ गांव भी कुछ आगे को बढ़ने लगा है। पहले वह, जो बहुत सी भूमि बेकार पड़ी रहती थी उसका किसी न किसी प्रकार अब उपयोग हो रहा है। कुछ जगह मोटरों के पड़ाव ने घेर ली है तो कुछ एक कालेज ने जिससे निश्चय ही आस-पास के ग्रामीणों को अपनी नई पीढ़ी को शिक्षित करने में बड़ी सहायता मिल रही है। लेकिन जो समस्या मकसी की है वही आस-पास के गांवों की भी है। मकसी की तरह आस-पास के गावों का भी नई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन बढा है पर उसी के साथ कृषि पर निर्भर करने वाले न सिर्फ व्यक्तियों बल्कि परिवारों की भी संख्या बढ़ रही है। शिक्षा की बढ़ी सुविधा का इन परिवारों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है, पर वैकल्पिक रोजगार को पाने के उद्देश्य से वैसे बिजली के कारण मकसी में ही कुछ वैकल्पिक धंधे भी उभर आए है। उज्जैन में भी इस बीच वैकल्पिक रोजगारों का काफी विस्तार हुआ है लेकिन जिस परिमाण में जनसंख्या के साथ शिक्षा का विस्तार हो रहा है क्या उसे उज्जैन या फिर इंदौर या फिर कोई और शहर भी अपनी और बढ़ते चले आ रहे शिक्षित ग्रामीणों की खपा सकेगा?

दरअसल कृषि के क्षेत्र में खीरे से गन्ने तक न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, बल्कि नई सुविधाओं के कारण नई जिंसों को भी अपनाया गया है और अंतः फसलीय पद्धति द्वारा भूमि की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा लिया गया है। जिन लोगों ने मालवे की इसी काली मिट्टी की फसलों को देखा है उसकी तुलना में निश्चय ही वहां यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाएगा, इससे भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन स्वयं सिद्धांतों के विचारों में परिवर्तन का आना है। यह परिवर्तन है जीवन स्तर को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने की आकांक्षा।

जो लोग पहले सामंती व्यवस्था में मूक रहते थे वे अब अपनी इसी आकांक्षा के नए-नए तकाजे करने लगे हैं। ये तकाजे सुन खुशी होती है, इन्हें पूरे किए जाने की कोशिश की जा रही है, यह देखकर भी खुशी होती है। भारतीय संदर्भ में, जब तकाजों में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तकाजे की उपेक्षा की जाती है तो कुछ निराशा होती है। यह तकाजा है योजनाबद्ध विकास के अनुपात में परिवार का नियोजन। परिवार नियोजन के अभाव में जैसे यह राष्ट्रीय उपलब्धि पिछड़ रही है उसकी निराशाजनक झलक इस मालवी क्षेत्र में भी मिलती जाती है। इस क्षेत्र ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद, खासतौर पर मध्य प्रदेश के निर्माण के पश्चात् कितनी तरक्की की है इसे वही पहचान सकता है जिसने उसे स्वतंत्रता से पूर्व देखा हो। इस बहुमुखी प्रगति की झलक रेलवे स्टेशन पर बेचे जाते खीरे में ही मिल जाती है, उसके उत्पादन और आकार-प्रकार में तब से निश्चय ही वृद्धि हुई है, पर उससे कहीं अधिक उसे खाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, नतीजा यह होगा कि उसकी फांक क्रमशः छोटी होती चलेगी वैसे ही रेल का वह डिब्बा भी सिकुड़ता जाएगा, जिसमें बसों की वैकल्पिक व्यवस्था के बावजूद भीड़ बढ़ती चली जा रही है। सच तो यह है कि उज्जैन और मकसी के बीच पहले के मुकाबले बसें काफी बढ़ गई है, पर बसों की यह अतिरिक्त सुविधा बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या के सामने वैसे ही पिट जाती है जैसे विकास की अन्य उपलब्धियां।

बी० 3/34 जनकपुरी,
नई दिल्ली-58

सत्ता का विकेन्द्रीकरण .....(पृष्ठ 8 का शेषांश)

1,530 निर्माण कार्य शुरू किए गए और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ग्राम विकास से संबंधित लगभग सभी कार्यक्रमों को इस योजना से संबद्ध कर दिया गया है। लगभग 10,000 ग्रामीण निर्माण कार्यों पर करीब 2½ लाख व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिला है। वर्ष 1979-80 में करीब 20 करोड़ रु० मूल्य का अनाज इस योजना के तहत मिलने की संभावना है।

नई सरकार ने नई सूझ-बूझ के साथ एक ओर जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण को कार्य रूप में परिणित किया है वहां दूसरी ओर ग्राम स्तरीय संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए आवश्यक साधनों को जुटाने की ओर भी ध्यान दिया है। नई पीढ़ी और पिछड़े हुए लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलने के कारण सामाजिक चेतना का निरन्तर विस्तार हो रहा है। ✱

मध्य प्रदेश में सहकारिता का प्रसार

सहकारिता का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उसमें मनुष्य की और समाज की गतिविधियों के सभी पहलू समाए होते हैं। यह देश में विकेन्द्रित आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली माध्यम है। मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सहकारिता के इस अभियान ने प्रदेश के 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को आंदोलन से सीधा जोड़ दिया है। प्रदेश की लगभग 16,000 सहकारी समितियों में से 7,464 समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन समितियों पर लगभग 800 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं।

सन् 1956 में मध्यप्रदेश के निर्माण के बाद सहकारी आंदोलन का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के अंतर्गत विकास की विभिन्न योजनाओं को इस तरह तैयार किया गया था जिससे समस्त कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने में सहकारी संस्थाएं उपयोगी हो सकें। पिछड़े क्षेत्रों के एकीकृत विकास की ओर भी इन योजनाओं में ध्यान दिया गया था। पांचवीं योजना में दिए गए 20.54 करोड़ रु० के प्रावधान में से (4 वर्षों में (1977-78 तक) 15.87 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना (1978–83) में कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण साख में वृद्धि की जा रही है। ऋण नीति में आदिम-जाति और जन-जाति के लोगों की ऋण आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने के लिए उपभोक्ता ऋण के लिए सुविधाजनक प्रावधान किया गया है। पुनर्गठित समितियों में गोदामों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें कृषि-उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं और छोटे वन-उत्पादों का विपणन करने में सहायता मिले। एग्रो-इंडस्ट्रियल कम्पलेक्स का विकास किया जाएगा और उन्हें विपणन और प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ सकें। राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को भी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर आधारित किया जाएगा। उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं को शहर की उपभोक्ता और विपणन सहकारी संस्थाओं तथा अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छठी योजना में 45.79 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 13.84 करोड़ रु० आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत हैं। इससे छठी पंचवर्षीय योजना काल में लगभग 10,975 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होने की संभावना है।

सहकारी ऋण

किसानों को कृषि ऋण का वितरण करना सहकारी आंदोलन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्राथमिक ऋण समितियों की सदस्यता राशि 1976-77 तक 26.25 लाख रु० थी जो 1977-78 के अंत तक बढ़कर करीब 30 लाख रु० हो गई। 1977-78 के अंत तक लघु और मध्यम कालीन ऋण की राशि 81 करोड़ रु० हो गई जबकि 1974-75 के अंत तक यह राशि केवल 55.63 करोड़ रु० ही थी। 1976-77 में दीर्घ कालीन ऋण की राशि 22 करोड़ रु० पहुंच गई थी जो 1977-78 में 10.10 करोड़ रु० पर आ गई। इसका कारण ऋण को वापस नहीं लौटा पाना ही था जिससे भूमि विकास बैंकों की क्षमता सीमित हो गई। दीर्घकालिक ऋणों की वापिसी और नए ऋण जारी किए जाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अधिक उपयोगी बनाने और उनकी ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन समितियों के पुनर्गठन की योजना को 1977-78 में क्रियान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत 21 आदिवासी जिलों में 689 वृहत आदिवासी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों और 92 कृषक सेवा समितियों का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक बहु-उद्देश्यीय एजेन्सी की कल्पना को साकार करना था। इन क्षेत्रों के लिए एक आदिवासी उपयोजना भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश शायद देश का पहला राज्य है जहां रिजर्व बैंक की अनुशंसा के अनुसार समितियों को सक्षम बनाने के लिए पुनर्गठन के महान कार्य को पूरा कर लिया गया है।

किसानों को वितरण और सेवा की सुविधाएं एक स्थल पर ही प्रदान करने के उद्देश्य से छठी योजना में प्राथमिक साख ढांचे के बहु-उद्देश्यीय लक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक साख समितियों की संगठनात्मक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए जिससे कि वे पूर्ण सक्षमता से कार्य कर सकें। तदनुसार छठी योजना में समितियों के प्रबंध संबंधी कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा नियुक्ति और अंशपूंजी बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

छठी योजना के दौरान प्राथमिक साख समितियों की सदस्यता लगभग 45 लाख हो जाने की आशा है व कुल ग्रामीण परिवारों का 65 प्रतिशत इस प्रकार सहकारी क्षेत्र में आ जाएगा। योजना की समाप्ति तक आदिवासी उप-योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में भी सदस्यता 6.12 लाख से बढ़कर 12.21 लाख हो जाने की संभावना है। आदिवासी जनता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्राथमिक साख समितियों के शेयर नहीं खरीद पाती, इस कारण सहकारी आंदोलन के पूरे लाभ उसे नहीं मिल पा रहे हैं।

अतः छठी योजना में सीमान्त कृषकों जिसमें खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर सम्मिलित हैं, को प्राथमिक साख समितियों के शेयर खरीदने के लिए सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार छठी योजना में कमजोर वर्गों के 8.20 लाख लोगों को प्राथमिक साख समितियों के सदस्य बनाने के लिए 205.00 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसमें से वर्ष 1979–80 में एक लाख सदस्य

बनाने के लिए 25 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और इसमें से 10 लाख रुपए आदिवासी क्षेत्रों में व्यय किए जाएंगे।

योजना में पिछड़े इलाकों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए शेयर पूंजी की सहायता, बीमार बैंकों की पुर्नस्थापना मुख्य स्थानों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां व नई शाखाओं को खोले जाने के प्रस्ताव हैं। बहु-उद्देश्यीय आदिवासी सहकारी संस्थाओं को 4 से 5 लाख का व्यवसाय करने की क्षमता के लिए तथा प्रत्येक समिति के लिए एक-एक लाख रु० की आरक्षित राशि छठी योजना में प्रस्तावित है।

आदिवासी व कमजोर वर्गों के लाभ के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान छठी योजना में है, वह है उपभोक्ता ऋण का। ब्याज रहित यह ऋण 500 रु० प्रतिवर्ष की दर से इन परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा।

कमजोर वर्गों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत कृषि ऋणों के ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। छोटे व सीमान्त किसानों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें कृषि ऋण के ब्याज में रियायत दी जाएगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भी कमजोर वर्गों के लिए अप्रैल 78 से अल्पावधि के ऋणों के ब्याज में डेढ़ तथा मध्यम अवधि के ऋणों में एक प्रतिशत की कमी की है। योजना के अनुसार आदिवासियों के लाभ हेतु उनसे केवल 4 प्रतिशत ब्याज ही अल्प व मध्यम अवधि के ऋणों के लिए लिया जाएगा। सरकार द्वारा 8 प्रतिशत व 9 प्रतिशत के अल्पकालीन तथा मध्यम अवधि के ऋणों में सहायता दी जाएगी। इसके लिए छठवीं योजना में 7.06 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की विपुल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना में 997.89 लाख रु० दीर्घकालीन सिंचाई कार्यों के लिए ऋण प्रस्तावित है जिसमें से 213.48 लाख आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जाएंगे। उद्वहन साधन युक्त 66,666 नये कुंओं का निर्माण और 25,000 पुराने कुओं की मरम्मत 20,000 उद्वहन सिंचाई योजनाएं तथा 3,333 नलकूपों का निर्माण प्रदेश की सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तावित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की अंशपूंजी में धनराशि विनियोजित करने तथा प्रबंध संबंधी व तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान किया गया है। हरिजन व आदिवासियों को ऋण और शेयरपूंजी में सहयोग देने तथा उपक्षेत्रों के छोटे किसानों को जो लघु कृषक विकास अभिकरण के दायरे में नहीं आते हैं सिंचाई ऋणों में रियायत देने की व्यवस्था की गई है। पहली बार एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना बनी है जिसमें 105.00 लाख रु० की राशि में से 46.00 लाख रु० आदिवासी क्षेत्रों के लिए है।

कृषकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण के लिए दो भिन्न-भिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तथा सहकारी साख संस्थाओं की क्षमता को उन्नत करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि इन दोनों को एक कर दिया जाए। हजारी समिति के सुझाव के अनुसार प्राथमिक भूमि विकास अधिकोष समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी अधिकोष समितियों के एकीकरण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सहकारी विपणन

राज्य में वर्ष 1977-78 के अंत तक 261 विपणन समितियां थीं। विपणन और प्रक्रिया संस्थाएं विपणन संस्थान सहित 1976-77 में 25 करोड़ रु० की उपज का काम संचालित करती थीं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 3 लाख 13 हजार 250 टन अनाज संग्रह करने की क्षमता बढ़ाई गई थी।

कृषि उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में विपणन प्रक्रिया और भण्डारण की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना प्रस्तावित किया गया है जिससे कृषकों को कृषि उपज का उचित मूल्य मिले और आदिवासियों का बिचौलियों से शोषण समाप्त हो। आदिवासी क्षेत्रों में विपणनोन्मुख योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अतः यह निश्चय किया गया है कि 20 नई विपणन संस्थाएं संगठित की जाएं, विपणन संस्थाओं की 30 शाखाएं खोली जाएं और 130 समितियों को पुनर्जीवित किया जाए। छठी योजना में प्राथमिक विपणन और प्रक्रिया संस्थाओं की अंशपूंजी में धन विनियोजित करने, मार्जिन मनी सहायता, कमजोर समितियों को ब्याज सहायता और प्रबंध अनुदान देने के लिए प्रावधान किया गया है। अब यह भी प्रस्तावित किया गया है कि मध्यप्रदेश में एक सहकारी संग्रहण परियोजना योरोपीय आर्थिक समुदाय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के आर्थिक सहयोग से क्रियान्वित की जाए। इस परियोजना के तहत 3350 गोदाम 50, 100, 250, 500 और 1000 मीटरिक टन की क्षमता के 22.62 करोड़ रु० की लागत से बनाए जाएंगे। परियोजना व्यय 75 प्रतिशत योरोपीय आर्थिक समुदाय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिया जाएगा। राज्य शासन को केवल 20 प्रतिशत ही खर्च करना पड़ेगा और 5 प्रतिशत लाभ उठाने वाली समितियों को व्यय करना होगा। परियोजना 5 वर्ष में पूरी की जाएगी। वर्ष 1979-80 में विभिन्न क्षमता के 395 गोदाम 221.90 लाख रुपये की लागत से बनाए जाएंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना में 50 सहकारी प्रक्रिया इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिनमें से 25 इकाइयां आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में होंगी। इन इकाइयों में कपास निकालने, कपास की गांठे बनाने, शीतगृह, चावल मिलें, सोयाबीन से तेल निकालने के कारखाने, आटा मिलें और सालवेन्ट एक्सट्रेशन प्लान्ट सम्मिलित हैं। योजना व्यय में 846-765 लाख रुपये विपणन के लिए और 337.82 लाख रुपये प्रक्रिया योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें से क्रमशः 253.-485 लाख रुपये और 92.50 लाख रुपये आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जाएंगे।

सहकारी क्षेत्रों में म० प्र० में केवल एक ही मुरेना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरेना में चल रहा है। अब बरलाई (इन्दौर) में 5.72 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक और शक्कर का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसकी शक्कर बनाने की क्षमता 1250 मीटरिक टन प्रतिदिन होगी। इस कारखाने में उत्पादन इस वर्ष के पुर्वार्द्ध में आरम्भ हो जाने की आशा है।

उपभोक्ता सहकारिता

राज्य में वर्ष 1976-77 के अंत तक एक सहकारी उपभोक्ता संघ, 40 थोक भण्डार और 433 प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थे। सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से सार्वजनिक वितरण कराने की राष्ट्रीय नीति के अनुसार यह आवश्यक है कि इन उपभोक्ता भंडारों को सुदृढ़ किया जाए और इनकी गतिविधियों का विस्तार किया जाए। अतः उपभोक्ता संघ और थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की अंश पूंजी में धनराशि विनियोजित करने के लिए छठी योजना में प्रावधान किया गया है। व्यापार हेतु भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

आदिवासी उप-योजना के तहत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण वृहताकार आदिवासी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से करने पर बल दिया गया है। छठी योजना के अंत तक इन समितियों द्वारा लगभग 5 करोड़ रु० की उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार संचालित करने की आशा है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों की गतिविधि का विस्तार करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि बेकरी इकाइयों जैसी उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएं। उपभोक्ता क्षेत्र के लिए कुल लागत 137.78 लाख रु० प्रस्तावित हैं। इसमें से 41.36 लाख रु० आदिवासी उपयोजना के लिए निर्धारित हैं।

आवास सहकारी समितियां

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 1975-74 की आवास समितियों की संख्या 140 से बढ़ाकर वर्ष 1977-78 के अंत तक 202 हो गई है। पांचवीं योजना काल में 1.29 करोड़ रुपये की धनराशि आवास ऋणों के रूप में बांटी गई। छठी योजना में आवास सहकारी समितियों के लिए 62 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

श्रम सहकारी समितियां

यह प्रस्ताव है कि वर्तमान 148 श्रम अनुबंधों और निर्माण सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाए। छठवीं योजना में इस क्षेत्र के लिए 4.50 लाख रुपये का प्रावधान है। अनुमान है कि इस सहायता से इन समितियों के कम से कम 17,444 सदस्यों को रोजगार उपलब्ध होगा।

अन्य उपाय

समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं तैयार करने के अलावा, सहकारी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के सदस्य दो अच्छी जमानतों पर 250 रु० तक ऋण ले सकते हैं।
2. 10 एकड़ से कम जमीन वाले दोषी किसानों से ऋण की राशि वसूली के लिए जमीन नहीं बेची जाएगी।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम से कम 20 प्रतिशत ऋण मंजूर करने के निर्देश सहकारी बैंक को दिए गए हैं।
4. कमजोर वर्गों के सदस्यों को 3/4 वार्षिक किश्तों में अंशपूंजी जमा करने की अनुमति दे दी गई है।
5. कमजोर वर्गों के सदस्यों को वितरित दीर्घावधि ऋण की अदायगी अवधि 9 वर्ष से 12–15 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

निष्कर्ष

वर्ष 1960-61 से 1975-76 के दरम्यान मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है।

वर्ष 1975-76 में सहकारिता की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार थी :—

समिति स्तर पर	मध्यप्रदेश	औसतन अखिल भारतीय
सदस्य	216	213
अंशपूंजी	25,716	21,552
	रु०	रु०
कार्यशील पूंजी	1,66,976	1,33,413
वितरित ऋण	63,724	66,344
सदस्यीय स्तर पर		
	रु०	रु०
अंश पूंजी	71	49
जमा	23	20
कार्यशील पूंजी	438	34
वितरित ऋण	516	466

मध्यप्रदेश को तमिलनाडु, केरल और गुजरात में विकसित सहकारी आंदोलन के स्तर पर पहुंचने के लिए काफी रास्ता तय करना है।

छठी योजना में राज्य में सहकारिता के विकास को गति देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पांचवीं योजना के अंत में (1978-79) सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या 28 लाख से बढ़कर छठी योजना के अंत तक (1982-83) 45 लाख होने की संभावना है। सहकारिता के क्षेत्र में 43.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार बढ़कर 65 प्रतिशत हो जाएंगे। अल्पावधि साख 73 करोड़ रु० से बढ़ाकर रुपये 165 करोड़ हो जायेगी और उपभोग साख 17 लाख रु० से बढ़ाकर 5 करोड़रुपये हो जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को लाभ पहुचाने वाली योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हर पल नवीनता लिए दिखाई दे, यही सुन्दरता एवं प्रगति का सूचक है।

पहला सुख निरोगी काया

गर्मी के रोग लू लगना, मरहोरी तथा वमन

* वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहू

मई और जून के महीनों में उत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर, प्रायः सभी जगह भयंकर लू चलने लगती है। जो लोग असावधानी से घरों से बाहर लूओं में आते-जाते हैं, उन्हें अक्सर लू लग जाती है। लू लगने का अर्थ यह है कि मानव शरीर के रुधिर में जो जलांश होता है वह सूख जाता है। उस हालत में मनुष्य का जिन्दा रहना असम्भव हो जाता है। हर वर्ष सैकड़ों हजारों व्यक्ति लू लगने से मौत के चंगुल में फंस जाते हैं।

बचाव

इलाज की अपेक्षा रोग का बचाव ज्यादा अच्छा रहता है। लू से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि घर से बाहर लूओं में न जाया जाए। यदि कार्यवश जाना ही हो तो काफी मिकदार में पानी पीकर बाहर निकलना चाहिए। सर और कानों को ढक कर रखना चाहिए खाली पेट लू में जाने से भी लू लग जाया करती है। अतः कभी भी खाली पेट लूओं में नहीं जाना चाहिए। आम का पना भी लू लगने से बचाता है। अतः आम के पने का प्रयोग करना चाहिए। लू लगने पर भी आम का पना लाभकारी होता है। आम के पने में पोदीने का अर्क डालकर पीने से लू का प्रकोप शान्त हो जाता है।

मरहोरी

गर्मी के मौसम में बहुत से मनुष्यों के अक्सर मरहोरी निकल आती हैं। शरीर पर छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं और उनमें खुजली भी होने लगती है। शरीर पर मुलतानी मट्टी का लेप करने से इनका प्रकोप शान्त हो जाता है।

उल्टियां

इस मौसम में मनुष्य अत्यधिक जल पीता है और वह जरूरत से अधिक जल या अन्य द्रव पदार्थ पी लेता है। वे अत्यधिक द्रव पदार्थ आमाशय में अत्यधिक तनाव उत्पन्न करके वमन अर्थात् उल्टियों का कारण बनते हैं।

गर्मी के मौसम में सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के सभी पदार्थों के जलांश को सोख लेती है और सभी प्राणी अपने आपको दुर्बल महसूस करते हैं। अतः व्यक्ति अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए दूध, घी मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थों का भी अत्यधिक सेवन करता है। पर ये स्निग्ध पदार्थ दुष्पाच्य एवं कफवर्धक होते हैं और विकृत होकर स्रोतों में अवरोध तथा आमाशयिक श्लैष्मिक कला में क्षोभ पैदा करके उल्टियों का प्रकोप करते हैं।

उपचार

(1) **शीतल जल पट्टिका** : सर्वप्रथम वमन के रोगी को बिस्तर पर लिटा कर उसके आमाशय प्रदेश में शीतल किस्म की पट्टी चढ़ानी चाहिए। करीब आधे-आधे घंटे पर क्रमशः बदल-बदल कर शीतल जल की पट्टी चढ़ाने से रोगी के आमाशय का क्षोभ, अपने आप समाप्त हो जाएगा और उल्टियों का प्रकोप शांत हो जाएगा।

(2) **कृष्ण मृद लेप** : उसी तरह काली मिट्टी को पानी में घोलकर उसके आमशय प्रदेश में लेप करने पर वमन का रोग दूर हो जाता है।

(3) **राजिका लेप** : राई को पानी में सील पर पीस कर इसका आमाशय प्रदेश में लेप लगाने से आधे से एक घंटे में आमाशय का क्षोभ शांत होकर अपने आप वमन के कष्ट को दूर कर देता है।

(4) **शंखभस्म** : यदि उपरोक्त लेप से वमन दूर नहीं हो तो शंख भस्म को 4 से 6 रत्ती की मात्रा में कागजी नीबू के रस में मिलाकर पीसकर उसमें ग्लूकोज का शर्बत पिलाएं तो उसका वमन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा ऐसा मेरा अनुभव है।

(5) **मयूर पुच्छ भस्म** : मयूर पंख के भस्म को भी 4 रत्ती की मात्रा में मधु और अदरख के रस में चटाने से वमन से मुक्ति पाई जा सकती है।

(6) **सूत शेखर कल्प** : यदि इससे भी वमन बन्द न हो तो सूत शेखर रस एक रत्ती और प्रवाल पिष्टी 6 रत्ती की मात्रा में मधु और अदरख के रस में चटाने पर वमन से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है।

(7) **अमृत धारा** : अमृत धारा की 10 बूंद आधे-आधे घंटे पर बतासे में देने से भी वमन दूर हो जाती है।

(8) कैथ के रस में पिप्पली मिलाकर मधु के साथ बार बार चटाने से रोगी वमन से मुक्त हो जाता है।

(9) पिप्पली के चूर्ण को घी, मधु और शर्करा के साथ चाटने से भी वमन शान्त हो जाता है।

(10) आंवले की मज्जा या छाल को मधु के साथ चाटने से वमन दूर हो जाता है।

(11) **स्वर्ण सूत शेखर रस** : एक रत्ती, प्रवाल पिष्टी–4 रत्ती और गुडूची सत्व 6 रत्ती को तीन-तीन घंटे पर मधु से चाटने पर निश्चित रूप से वमन दूर हो जाता है ऐसा मेरा अनुभव है।

(12) **कर्पूरासव** : कर्पूरासव को 10 बूंद की मात्रा में गुनगुने पानी में मिलाकर आध-आध घंटे पर पिलाते रहने से सभी तरह का वमन निश्चित रूप से दूर हो जाता है। *

महात्मा गांधी-जीवन और चिन्तन :– लेखक : भगवानदास कृपलानी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पृष्ठ संख्या : 539, मूल्य : 12.00।

'आधुनिक भारत के निर्माता' ग्रंथ माला के अन्तर्गत प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक से सभी पाठकगण सुपरिचित हैं। श्री जीवतराम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है। इन्हीं कृपलानी जी ने गांधी जी को जैसा देखा और जैसा जाना वैसा ही इस पुस्तक में उनके बारे में लिखा है।

पुस्तक के मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक भाग में गांधी जी की जीवनी दी गई हैं और दूसरे भाग में उनका चिन्तन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट के अन्तर्गत गांधी जी का उस समय के गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं के साथ हुआ पत्र-व्यवहार दिया गया है। वास्तव में इन पत्रों को इसीलिए उदाहरण-स्वरूप दिया गया है कि इन पत्रों के माध्यम से गांधी जी का जीवनदर्शन मुखरित होता है।

कृपलानी जी ने राजनीतिज्ञ गांधी का चरित्र-निरूपण किया है न कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके गुणदोषों का, उनकी मानसिक विचारधारा का परिचय गांधी जी से हुई उनकी पहली मुलाकात की प्रतिक्रिया से होता है—

'वे रह-रह कर ध्यान से मेरी ओर देखते, मने समझा कि वे मुझे जानना और परखना चाहते हैं। मैं भी अपनी ओर से यही कर रहा था। आज यह एक गुस्ताखी मालूम दे सकती है कि कोई नौजवान यह कहे कि वह गांधी जी की नापतोल और परख कर रहा था। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि उस समय गांधीजी महात्मा नहीं हुए थे।' (पृष्ठ-55) जहां प्रथम भेंट के इस अनुभव को लिखने में कृपलानी जी को कोई हिचक महसूस नहीं हुई वहीं एक सप्ताह बाद के अपने अनुभव में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया—

'किन्तु इस सप्ताह में मुझे उनकी सुधार की लगन और संगठन क्षमता के व्यावहारिक रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।" यह कृपलानी जी की निर्भीक स्वीकारोक्ति का उदाहरण है और इसे उन्होंने अपने लेखन में यथा-सम्भव निभाया है। वे आगे लिखते हैं—'गांधी जी का गरीबों के प्रति प्रेम दिमागी, भावुक या काल्पनिक न होकर गम्भीर और स्थायी था। वे गरीबों के संरक्षक नहीं वरन् उन्हीं में से एक होना चाहते थे।

गांधी जी को महात्मा, देवता, श्रेद्धय तथा यहां तक कि पूजनीय और भगवान मानने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। पर, लेखक ने उन्हें एक महान् विचारक, सफल नेता और कर्मठ व्यक्ति मानकर ही अपने विचार प्रकट किए हैं। ऐसा करके उन्होंने अपनी लेखकीय ईमानदारी का परिचय दिया है, हालांकि उन्होंने अपना भय यह कह कर प्रकट किया है कि कुछ लोग स्वभावतः इस बात से अप्रसन्न होंगे।

निस्संदेह गांधीजी का महान गुण रहा है अपने सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्वी और आलोचक से भी प्रेमपूर्वक व्यवहार, वे विचारों और सिद्धांतों के अन्तर को व्यक्ति से नहीं जोड़ते थे। उनकी लड़ाई अन्याय से थी न कि अन्यायी से। यही कारण है कि वे नम्र होने के साथ-साथ दृढ़ भी थे, वे अहिंसा के पुजारी थे परन्तु पूरी तरह निडर एवं निर्भीक थे। निडर और दृढ़ रह कर ही गांधी जी अपने 'सत्य और अहिंसा' की भावना को अभिव्यक्त कर सके थे।

गांधी जी की चिन्तन शैली और विचार धारा को जनता के सामने रखकर कृपलानी जी ने लेखन धर्म का पालन तो किया है परन्तु न जाने क्यों उनमें संकोच है। वे अपने को इस योग्य नहीं समझ पाते कि वे गांधीजी जैसे महात्मा के विचारों को सर्वथा त्रुटिहीन रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए आचार्य कृपलानी का चुनाव हर दृष्टि से उपयुक्त रहा है। विचारों का समावेश तथा व्याख्या, घटनाओं का विवरण, और व्यक्तिगत टिप्पणियां—सभी कुछ पुस्तक में उचित रूप में यथास्थान की गई है।

अनुवाद होने के कारण भाषा में साहित्यिकता का अभाव तो खोजा जा सकता है, परन्तु घटनाओं और विचारों के तारतम्य में विघ्न नहीं पड़ता। भाषा न तो इतनी जटिल है कि बुद्धि से परे हो और न ही इतनी उथली है कि उसमें गति का अभाव खटके। आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी के महान योगदान को जनता के सम्मुख रखने के उद्देश्य में पुस्तक पूर्ण रूप से सफल है। 'गांधी वाङ्मय में निश्चय ही कई गुनी अधिक जानकारी उपलब्ध है पर यह पुस्तक कम समय में और कम परिश्रम से पढ़ी जा सकती है, अतः अधिक उपयोगी है। ●

त्रिलोकी नाथ
डी-90, नारायणविहार,
नई दिल्ली-110028

पवनतनय-लेखक राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक : अनुराधा प्रकाशन, दिल्ली-110032, पृष्ठ संख्या : 116, मूल्य: 8.00 रु० ।

यूं तो हनुमान के पावन व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने वाले अनेक काव्य हिन्दी साहित्य के भण्डार में विद्यमान हैं, पर आज के समर्थ कवि राजेन्द्र शर्मा का सद्य: प्रकाशित 'पवनतनय' काव्य उनमें अपना अलग महत्व रखता है । सरल सुबोध भाषा और आडम्बरहीन शैली में शर्मा जी ने 'पवनतनय' काव्य में हनुमान के महिम्न तेजोमय चरित्र की गाथा को सजीवता से प्रस्तुत किया है । महावीरता के साकार हनुमान इसलिए स्तुत्य हैं कि वे महावीर होते हुए भी महाविनम्र हैं । वीरता और विनम्रता के अद्भुत संगम स्वरुप हैं हनुमान । वीरता में तो रावण भी अतुलनीय है पर उसका अभिमान ही उसकी वीरता को ग्रस लेता है । जबकि हनुमान महावीर होते हुए भी निरभिमानी है । माता जानकी जब लंका में अकेले लोहा लेते हुए हनुमान की वीरता को अपनी आंखों से देखती-सुनती हैं तो प्रशंसा भाव से कह उठती हैं :—

'तुमने मथ डाला रावण बल
हो बलवान अकेले इतने ।
लाये कुशल लखन-राघव की,
सचमुच तुम निर्भय हो कितने ।

पर निरभिमानता के प्रतीक पवनतनय तुरंत कह उठते हैं :—

'मेरा पौरुष नहीं कहो, मां ।
यह सब राघव का प्रताप है ।
मेरा बल उनकी सेवा है,
कृपामूर्ति मां स्वयं आप हैं ।।

स्वयं श्रीराम उनके अभिनन्दन में कहते हैं —

'पवनसुत का यश रहेगा अमर अक्षय
है सुहृद, निष्काम और अनन्य भारी ।
राज लंका का विभीषण को मिला पर
उऋण उससे मैं नहीं दे भूमि सारी ।।

राजेन्द्र शर्मा ने पवनतनय के पौरुष, वीरत्व, साहस, विनम्रता आदि उदात्त गुणों को अपने इस काव्य में उज्जवलता से उजागर कर पाठकों को प्रेरणा का 'पारस' प्रदान किया है ।

रामकथा वैसे भी सेवा, समर्पण, विनम्रता, के साथ वीरत्व-पराक्रम की प्रेरणा देती है । राजेन्द्र शर्मा का रामकथा के प्रति सहज लगाव है, तभी तो सेवाभावी भरत की गाथा को अपने 'भरत' काव्य में प्रस्तुत करके अब 'पवनतनय' में वे हनुमान की कीर्तिकथा को प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं । उनकी कवि-सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है और इसीलिए मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही उनकी लेखनी से सीता, लक्ष्मण आदि उदात्त चरित्रों पर भी कृतियां प्रस्तुत होंगी ।

सम्प्रति 'पवनतनय' की प्रासंगिकता' भी कम प्रशंसनीय नहीं, । पौराणिक प्रसंगों का निर्वाह करते हुए भी शर्मा जी आज के युग में उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल हुए हैं । आज वैभव स्वरुप सीता जी, जो क्लेशहारिणी है और शौर्य प्रदायिनी हैं, आज खो चुकी हैं, अत: उनका संधान करने के लिए हमें हनुमान की सी साधना-सिद्धि के लिए बल-पौरुष जुटाना होगा । इस काव्य में हनुमान के पावन-चरित्र द्वारा कवि पाठकों को यह प्रेरणा देता है कि हनुमान जैसे पुरुषार्थी बनने की तो आवश्यकता है ही पर उस पुरुषार्थी पराक्रम को अमरत्व प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनका प्रयोग पूर्ण निरभिमानता के साथ परहित के उद्देश्य से ही करना होगा ।

निश्चय ही, नौ सर्गों में विमल विविध छन्दों में काव्यबद्ध यह सरल-सुबोध सरस रचना साहित्य रसिकों द्वारा समादर पाने में समर्थ होगी ।

प्रो विश्वंभर 'अरुण'
जानकी निवास,
मानपाड़ा,
आगरा-282003 (उ०प्र०)

[आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश]

संभावना है। दूसरे, साथ ही सीमेन्ट पोल्स, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, वायर ड्राइंग जी० आई० वायर एवं कांटेदार तार, स्टे सेटस, जी० आई० पिन्स, चिप्स, मेलेबल कास्ट आयरन हार्डवेअर सेट्स, स्टेनलेस स्टील वाच स्ट्रेप्स उद्योगों को भूमि सुलभ की जा रही है।

इन उद्योगों की लागत अन्दाजन 23 लाख रुपये होगी व लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

द्वितीय चरण में 200 एकड़ भूमि अर्जित करने के प्रस्ताव हैं, जिसमें से कुछ भूमि के लिए अभी से ही उद्योगपतियों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं :—

(1) स्पिनिंग मिल सिंथेटिक यार्न
(2) इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन प्लान्ट
(3) कोल्ड स्टोरेज एवं आइस प्लान्ट
(4) माल्ट एक्सट्रेक्शन एंड माल्ट प्लान्ट
(5) कन्टेनर्स फोर ज्यूसेस एंड केकस
(6) बैरल प्लान्ट फार फिलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बिअर
(7) स्टील फोर्ज्ड प्लान्ट
(8) एल्यूमीनियम के बर्तन
(9) डेयरी प्रोडक्ट्स कन्टेनर्स
(10) स्टेनलेस स्टील मेल्टिंग रोलिंग यूटेनसिल्स

इन उद्योगों की कुल लागत 8 करोड़ 40 लाख रुपये अनुमानित है तथा इनसे 1400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

तृतीय चरण की अवधि में इंदौर, गवला, प्रीथमपुर, त्रिकोण में लगभग एक हजार एकड़ का विशाल उद्योग क्षेत्र शनैः शनैः विकसित किया जाएगा, जिसमें अंत में धार व बदनावर विकास खंड भी सम्मिलित कर लिए जाएंगे।

इस प्रकार समय आने पर एक लम्बा औद्योगिक अंचल देवास से लेकर पेटवाबाद मेघनगर तक विकसित हो जायेगा। पेटवाबाद व मेघनगर भी "औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र" हैं।

इस क्षेत्र के लिए पानी, बिजली, बैंक, टेलीफोन आदि की सभी सुविधायें सुलभ की जा रही हैं और इसे एक आधुनिक औद्योगिक प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उम्मीद है कि गवला-प्रीथमपुर प्रोजेक्ट धार-झाबुआ के आदिवासी अंचल में एक नवीन चेतना का निर्माण करने में सक्षम होगा जो निश्चय ही यहां के जन जीवन में और ज्यादा निखार लाएगा। *

बी०-8, एम्पोरिया काम्प्लेक्स
बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली

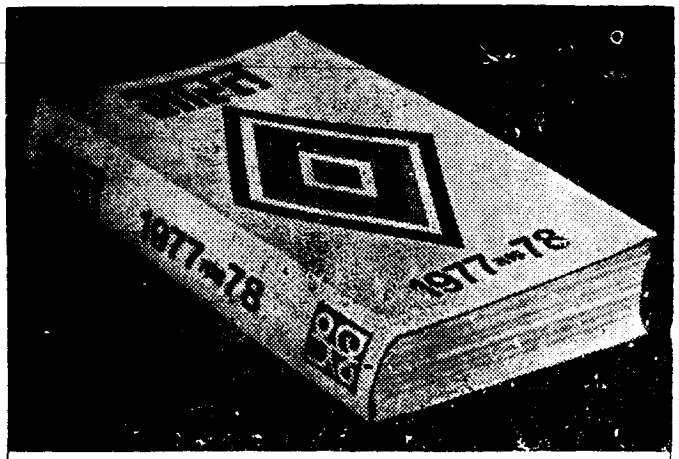

भारत—1977-78
वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ

पत्रकारों, अध्यापकों, छात्रों तथा शिक्षण संस्थाओं व पुस्तकालयों के लिए प्रकाशन विभाग की अनुपम भेंट।
पृष्ठ संख्या : 701, मूल्य 15.00 रु०
(डाक खर्च मुफ्त)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गवेषणा एवं संदर्भ विभाग द्वारा संकलित एकमात्र आधिकारिक महत्वपूर्ण प्रकाशन के कुछ विशिष्ट आकर्षण :

- ☐ 'परिवर्तन का वर्ष'
- ☐ बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत की उपलब्धियाँ
- ☐ 'परिशिष्ट'

नव-गठित सरकार के सदस्यों एवं सांसदों का विवरण, उपयोगी मानचित्र, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति के विषय में उपादेय जानकारी तथा आंकड़े।

शीघ्र आदेश भेजें:-
व्यापार व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग·

विक्रय केन्द्र
नई दिल्ली : 1) पटियाला हाउस,
2) सुपर बाजार, (दूसरा तल), कनाट सर्कस।
बम्बई : कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बेलर्ड पीयर।
कलकत्ता : 8, एस्प्लेनेड ईस्ट।
मद्रास : शास्त्री भवन, 35, हैडोज रोड।
पटना : बिहार स्टेट को० बैंक भवन, अशोक राजपथ।

davp 78/509

Regd. No. D(D)/98

विश्व बाल-वर्ष, 1979 में बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें

—	**श्री कृष्ण कथा**—ले० सीताराम चतुर्वेदी (गीता के जन्मदाता भगवान् कृष्ण की जीवन कथा एक नए रूप में, सरल भाषा में—सचित्र)	रु०	8–00
—	**पर्वत देवता**—ले० राधेश्याम शर्मा (संसार की प्रसिद्ध लोक कथाओं से चुनी हुई 11 मनोरंजक कहानियां—सचित्र)	रु०	5–00
—	**तेन्दुआ और चीता**—ले० रामेश बेदी (तेन्दुआ और उसकी बिरादरी के अन्य जानवरों की विस्तृत व रोचक जानकारी—सचित्र)	रु०	8–00
—	**असली जीमाकड़े**—ले० रामेश बेदी (राजस्थान की चुनी हुई 14 लोक कथाएं—सचित्र)	रु०	7–50

अंग्रेजी में

—	**चिल्ड्रन्स महाभारत**—ले० माधुराम भूतलिंगम	रु०	6–50
—	**एडवेन्चर्स आफ ए० स्पेस क्रेपट**—ले० मोहन सुन्दर राजन	रु०	10–00
—	**थिंगज़ आफ ब्यूटी**—ले० विद्या दहीजिया	रु०	12–50

उर्दु में

—	**पहेलियां**—ले० शाहबाज हुसैन—नन्द किशोर विक्रम	रु०	8–00

हमारे अन्य प्रकाशन

—	**चाचा नेहरू की कहानी** (चित्रों में)—ले० एस० डी० **सावन्त और एस० डी० बादलकर**	रु०	3–50
—	**हमारा स्वतंत्रता आन्दोलन** (चित्रों में)—ले० एस० डी० सावन्त	रु०	3–50
—	**लो गुब्बारे**—ले० जय प्रकाश भारतीय (11 रोचक कहानियां)	रु०	4–00
—	**राम गंगा का शेर**—ले० चन्द्रदत्त "इन्दु"	रु०	3–50
—	**तुलसी का ब्याह**—ले० दुर्गा भागवत	रु०	3.00
—	**पश्चिम भारत की लोक कथाएं**	रु०	4–00
—	**देश विदेश की लोक कथाएं**	रु०	5–50
—	**शेर का दिल**—ले० बंसीलाल गुप्त	रु०	5–50
—	**धनुआ राजा**	रु०	5–00
—	**आदर्श विद्यार्थी बापू**—ले० सावित्री देवी वर्मा	रु०	2–00
—	**सिंह**—ले० रामेश बेदी	रु०	3–25
—	**गैंडा**—ले० रामेश बेदी	रु०	1–00
चिड़ियों की दुनिया—ले० राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, चिड़ियों की जानकारी देने वाली एक रोचक पुस्तक। लेखक द्वारा चित्रित	सजिल्द मूल्य साधारण ,,	रु०	13–00 10–00

आगामी प्रकाशन

पहेलियां (हिन्दी) कहानियां बच्चों के लिए (बंगाली), टैगोर की कहानियां, बच्चों के लिए (हिन्दी), उपनिषद् की लोक कथाएं (हिन्दी), विश्व की लोक कथाएं (हिन्दी, असमिया, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम) आदि।

हमारी सुप्रसिद्ध व लोक-प्रिय पत्रिका बालभारती : (मासिक) के वार्षिक ग्राहकों को रु० 5/- या इससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत छूट—वार्षिक चंदा रु० 9/-) डाक खर्च मुफ्त। 10/- रु० से कम के आदेश पर पंजीकृत शुल्क अतिरिक्त भेजिए।

पुस्तकें स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण बाल साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :—

व्यापार व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

पटियाला हाउस, नई दिल्ली सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली; 8, एस्पलेनेड ईस्ट, कलकत्ता; कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बैलर्ड पीयर, बम्बई; शास्त्री भवन, 35, हैडोज रोड, मद्रास; बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना; प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।